



**पहली
FIRST**

**अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2015-2016

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

जुलाई July, 2015

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2015-2016.

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2015-2016.

वर्ष 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 57 अनुदान मांगे तथा 2 विनियोग हैं। ₹40,821.88 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹25,495.24 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹15,325.62 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, ₹82 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-2016 includes 57 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹40,821.88 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹25,495.24 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹15,325.62 crore. Besides, token provision of ₹82 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10 नागर विमानन मंत्रालय	10 Ministry of Civil Aviation			
(क) (i) नागर विमानन महानिदेशालय के परिसरों में गौण कार्यों संबंधी निधियां प्रदान करना (₹0.46 करोड़), (ii) नागर विमानन महानिदेशालय में तैनात उड़ान संचालन निरीक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करना (₹12.83 करोड़), (iii) उड़ान संचालन निरीक्षणों के संबंध में सेवा कर के भुगतान हेतु (₹6.75 करोड़)।	(a) For providing funds for (i) Minor works at the Directorate General of Civil Aviation (₹0.46 crore), (ii) remuneration to Flight Operations Inspectors (₹12.83 crore) and (iii) payment of Service Tax with respect to Flight Operations Inspectors (₹6.75 crore).	20.04	-	20.04
(ख) इक्विटी समावेशन के रूप में एअर इंडिया को अतिरिक्त निधियां।	(b) For providing additional funds to Air India as equity infusion.	800.00	-	800.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
13 औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग	13 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) उत्तर-पूर्व औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपी), के तहत लम्बित दावों का निपटान करने हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards honouring the pending claims under North East Industrial Investment Promotion Policy (NEIIP).	50.00	-	50.00
(ख) “मेक इन इंडिया” कार्य योजना के तहत भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting an additional expenditure towards Indian Leather Development Programme (ILDP) under “Make in India” action Plan.	50.00	-	50.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15 दूर संचार विभाग	15 Department of Telecommunications			
(क) दूर संचार विभाग द्वारा किराए के भवन हेतु किराया, दरों तथा करों के व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting the expenditure towards Rent, Rates and Taxes for rented building by DoT.	-	7.00	7.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) आईएसएमइएस, जालना, डब्ल्यूएमएस शिलोना, आईडब्ल्यूएमएस कोलकाता तथा डब्ल्यूएमएस गोरखपुर के सशस्त्र गार्ड के लंबित बिल पर व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting the expenditure on pending armed guard bills for ISMES Jalna, WMS Shillong, IWMS Kolkata and WMS Gorakhpur.	-	2.00	2.00

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

18 Department of Food and Public Distribution

(i) खाद्य तेलों के आयात के चलते लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी (₹150.00 करोड़), (ii) “कच्चे चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं पर सहायता” स्कीम के तहत चीनी कारखानों को सहायता उपलब्ध कराना (₹100.00 करोड़), (iii) चीनी कारखाना, 2015 को साफ्ट ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम पर ब्याज सहायता का भुगतान (₹150.00 करोड़), (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न और फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स मर्जिन को चलाने, अंतर-राज्य परिवहन पर होनेवाले व्यय को पूरा करने हेतु विधानमंडल रहित संघ शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹5.00 करोड़) के व्यय को पूरा करना।

For meeting expenditure towards (i) subsidy for settlement of pending claims on account of import of edible oils (₹150 crore) (ii) incentive to Sugar mills under the scheme “Incentive on Marketing and Promotion Service of Raw Sugar Production” (₹100 crore) (iii) interest subvention scheme for “Extending soft loan to sugar mills, 2015” (₹150 crore) (iv) Central Assistance to UTs without legislature for meeting expenditure under National Food Security Act (₹ 5 crore).

- 400.00 400.00

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

20 संस्कृति मंत्रालय

20 Ministry of Culture

(क) व्यय को पूरा करना: (1) एसआई के चुनिंदा केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए बजट घोषणा का कार्यान्वयन (₹20 करोड़), (2) सामान्य सहायता अनुदान (i) कला एवं संस्कृति की योजना के अन्तर्गत (₹74.00 करोड़), (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भारतीय पुरातत्व सोसाइटी को अनुदान प्रदान करना (₹0.25 करोड़), (3) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान: (i) कला एवं संस्कृति शताब्दी समारोह-अन्य (मिशन, स्कीमों तथा स्वायत्तशासी संगठन की स्कीम के अन्तर्गत जन्मशताब्दी एवं शताब्दियां मनाना (₹5.00 करोड़), (ii) परियोजनाओं का कार्यान्वयन, उन्नयन एवं विकासात्मक कार्यकलाप आदि (₹11.69 करोड़), (iii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा विकासात्मक कार्यकलाप (₹4.00 करोड़), (iv) “संग्रहालयों” अन्य (राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी, स्कीम एवं स्वायत्त संगठन) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/कार्यकलाप, भवन परियोजनाओं एवं गैलरियों का आधुनिकीकरण (₹10.30 करोड़), (4) “लघु चालू संरक्षण/परिष्करण कार्यों आदि को पूरा करने हेतु (₹35.00 करोड़)।

(a) For meeting expenditure (1) for implementation of Budget Announcements for carrying out conservation, and developmental works of selected centrally protected monuments of ASI (₹20 crore) (2) Grants-in-aid General (i) under the Scheme of Art and Culture (₹ 74 crore), (ii) for providing grant to Indian Archaeological Society of the Archaeological Survey of India (₹ 0.25 crore), (3) Grants for creation of Capital Assets for (i) commemoration of anniversaries & centenaries under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations -Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations (₹5 crore), (ii) implementation of projects, up-gradation and developmental activities etc. (₹11.69 crore), (iii) undertaking developmental activities by Delhi Public Library (₹ 4 crore), (iv) undertaking various programme/activities, building projects and modernization of galleries under the “Museums – others (National Monuments Authority, Competent Authority, Schemes and Autonomous Organizations)” (₹10.30 crore) (4) towards completion of ongoing

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए (i) कला और संस्कृति, वर्षगांठ और शताब्दियों के स्मरण हेतु शताब्दी समारोह टैगोर संस्कृति के निर्माण की स्कीम और गांधी हेरिटेज साईट कमीशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए (₹42.92 करोड़), और (ii) राज्य सरकार को निधियां प्रदान करने के लिए "संग्रहालय" (₹7 करोड़)।	conservation/preservation works etc. under "Minor Works" (₹35 crore). (b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under (i) the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations for commemoration of anniversaries & Centenaries, construction of Tagore Culture Complex and for implementation of project of Gandhi Heritage site Mission (₹42.92 crore) and (ii) "Museum" for providing funds to State Govt (₹7 crore).	25.00	-	25.00
		5.00	-	5.00
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (₹1500.00 करोड़), (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम-समान्य (₹749.00 करोड़), (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के ईएपी घटक (₹185.00 करोड़), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम डीडीपी (₹251.00 करोड़), (v) स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को सहायता प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना के लिए सामान्य अनुदान सहायता का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹250.00 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards (i) Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹1500 crore) (ii) National Rural Drinking Water Programme (Programme Component) (₹749 crore) (iii) EAP component of National Rural Drinking Water Programme (₹185 crore), (iv) National Rural Drinking Water Programme - DDP (₹251 crore) and (v) Grants-in-aid General to Swachh Bharat Abhiyan/Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹250 crore) - World Bank Project.	2,685.00	-	2,685.00
विदेश मामले मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
33 विदेश मामले मंत्रालय	33 Ministry of External Affairs			
(i) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां (₹175 करोड़) और किराया और वार्षिक अनुदान व्यय के लिए (₹36.00 करोड़), (ii) उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरे से संबंधित हुण्डियों के निपटारे के लिए व्यय (₹95.54 करोड़), (iii) भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित व्यय (₹10 करोड़), (iv) एयर इंडिया के रख-रखाव की लागत का व्यय (₹188.91 करोड़)।	For meeting (i) additional funds to South Asian University for construction of the campus (₹175 crore) and expenditure towards rent and annual contribution (₹36 crore), (ii) expenditure towards settlement of bills relating to Vice President's abroad visits (₹95.54 crore), (iii) expenditure relating to 10th World Hindi Conference at Bhopal (₹10 crore) and (iv) payment to Air India towards maintenance cost (₹188.91 crore).	-	10.00	10.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 वित्तीय सेवा विभाग	35 Department of Financial Services			
(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त ऋणों को गारंटी उपलब्ध कराने हेतु क्रेडिट गारंटी निधि की स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards establishment of Credit Guarantee Fund for providing guarantees to Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	500.00	-	500.00
(ख) (i) सरकारी क्षेत्र बैंक के पूर्ण पूंजीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹120,10 करोड़), (ii) मुद्रा बैंक के स्थापना हेतु इक्विटी	(b) For meeting expenditure (i) on recapitalization of Public Sector Banks (₹12010 crore) (ii) towards equity			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अंशदान (₹100.00 करोड़) के संबंध में व्यय हेतु।	contribution for establishment of the MUDRA Bank (₹ 100 crore).	12,110.00	-	12,110.00
(ग) जम्मू व कश्मीर में सरकारी हिस्से के रूप में लाइसेंस रहित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पुनरुद्धार हेतु नाबार्ड को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।	(c) For providing interest free loan to NABARD for revival of unlicensed District Central Cooperative Banks in Jammu & Kashmir as Government's share.	-	111.20	111.20
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 मंत्रिमण्डल	54 Cabinet			
प्रधानमंत्री के एअरक्राफ्ट के अनुरक्षण हेतु एअर इंडिया के लंबित दावों की स्वीकृति हेतु।	For clearing pending claims of Air India towards maintenance of Prime Minister's Aircrafts.	-	100.00	100.00
55 पुलिस	55 Police			
मैसर्स रोसोबार्न एक्सपोर्ट, रूस से 6 एमआई 17 वी-5 हेलीकाप्टरों की प्राप्ति हेतु (₹452.82 करोड़)।	For Procurement of six MI 17 V-5 Helicopters from M/s Rosobornexport, Russia (₹452.82 crore).	-	100.00	100.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
71 पंचायती राज मंत्रालय	71 Ministry of Panchayati Raj			
(क) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) हेतु व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA).	270.00	-	270.00
(ख) एनईआर एंड सिक्किम के लाभ हेतु अतिरिक्त प्रावधान।	(b) Additional provision for the benefit of NER and Sikkim.	30.00	-	30.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
(क) (i) "भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड" (आईएसपीआरएल) को भुगतान स्कीम के तहत विशाखापटनम में भंडारण केवर्न के संबंध में उसके वार्षिक कार्य और रख-रखाव की लागत को पूरा करने हेतु (₹47.00 करोड़), (ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी" के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (₹660 करोड़)।	(a) For (i) meeting annual operations and maintenance in respect of storage cavern at Visakhapatnam under the scheme "Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited" (ISPRL) (₹47 crore) and (ii) providing the funds "Other Subsidy payable including NE Region" (₹660 crore).	-	47.00	47.00
(ख) भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड को निधियां प्रदान करने हेतु।	(b) For providing funds for Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL).	1,153.00	-	1,153.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियां उपलब्ध कराना।	For providing Funds to Power System Development Fund (PSDF).	1,000.00	-	1,000.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एनईआर एवं सिक्किम के विकास के लिए ₹100 करोड़ सहित) के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure of ₹1,000 crore towards providing grants for creation of capital assets under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (including ₹100 crore to development of NER and Sikkim).	1,000.00	-	1,000.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97 पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
पर्यटक अवसंरचना स्कीम के तहत केंद्रीय एजेंसियों को (1) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹25.00 करोड़), (ii) कुतुब शाही परियोजना के लिए पर्यटक अवसंरचना विकास के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹10.00 करोड़), और (2) तीर्थ स्थलों की खूबसूरती (पीआईएसएडी) के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वाराणसी को सामान्य सहायता अनुदान (₹10.00 करोड़)।	For providing additional expenditure towards (1) Grants for Creation of Capital Assets (i) to Central Agencies under the scheme Tourist Infrastructure (₹ 25 crore) (ii) under Tourism Infrastructure Development for Qutub Shahi Project (₹ 10 crore) and (2) Grants-in-aid General for Varanasi Project under National Mission for Beautifying Pilgrimage Centres (PRASAD) (₹ 10 crore).	20.00	-	20.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104 शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
पास-थू सहायता उपलब्ध कराना (i) चेन्नई मेट्रो रेल लि. (₹750.00 करोड़), (ii) बेंगलोर मेट्रो रेल निगम (₹250 करोड़)।	For providing Pass Through Assistance (i) to Chennai Metro Rail Limited (₹ 750 crore) (ii) to Bangalore Metro Rail Corporation (₹ 250 crore).	1,000.00	-	1000.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹0.75 करोड़), (ii) किशोरावस्था बालिकाओं के संशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (सबला) (₹18 करोड़) और (iii) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹382.00 करोड़)।	(a) For meeting expenditure under the Scheme (i) One Stop Centre (₹ 0.75 crore) for construction of one stop centres in the North Eastern States (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 18 crore) & (iii) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 382 crore)	400.00	-	400.00
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹3218.00 करोड़), (ii) राज्यों में वन स्पाट सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹5.59 करोड़), (iii) किशोरावस्था बालिकाओं के संशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेतु (₹382.00 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 3218 crore), (ii) construction of one stop centres in the States (₹ 5.59 crore), (iii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 382 crore)	3,600.00	-	3600.00
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	24,718.04	777.20	25,495.24

3. पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदान/ विनियोग से ₹15,325.62 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की समान बचत से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नानुसार हैं:

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹15,325.62 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें

कृषि मंत्रालय

1 कृषि एवं सहकारिता विभाग

- (क) (i) 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम (एमआईडीएच)-केंद्रीय बागवानी संस्थान

Technical Supplementary Demands for grants

MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

- (a) For (i) re-appropriation of funds from lump sum provision for North Eastern

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
(केन्द्रीय क्षेत्र) के अंतर्गत कार्यकारी शीर्ष मोटर यान (₹0.15 करोड़), मशीनरी एवं उपकरण (₹0.10 करोड़), तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹3.75 करोड़), कार्यालय शीर्ष के तहत नए उपशीर्ष वस्तुशीर्ष में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों का पुनिर्विनियोजन। (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मशीनरी व उपस्कर (₹3.00 करोड़), की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	Region towards Motor Vehicles (₹ 0.15 crore), Machinery and Equipment (₹0.10 crore) and Major Works (₹ 3.75 crore) under the scheme 'Mission for Integrated Development of Horticulture – Central Institute of Horticulture (Central Sector) and (ii) meeting additional requirement under Machinery & Equipment (₹ 3 crore) for mobile soil testing laboratory under National Project on management of Soil Health and Fertility under Krishonnati Yojna under State Plan.	1.75	-	1.75
(ख) कृषोन्नत योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत मशीनरी एवं उपस्कर की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करना।	(b) For meeting additional requirement for Machinery and Equipment under Integrated Scheme on Agriculture marketing under Krishonnati Yojna Central Sector.	1.00	-	1.00
3 पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग रीजनल केडर स्टेशनों (₹0.13 करोड़), सेन्ट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ओरगेनाईजेशन (₹0.25 करोड़), सेन्ट्रल शीप बिडिंग फार्म (₹0.13 करोड़), एनिमल क्वैरन्टिन सर्टिफिकेशन स्टेशनों (₹3.90 करोड़), और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ (₹0.04 करोड़), की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries For meeting the additional requirement for Regional Fodder Stations (₹0.13 crore), Central Poultry Development Organization (₹ 0.25 crore), Central Sheep Breeding Farm (₹0.13 crore), Animal Quarantine Certification Stations (₹ 3.90 crore) and National Institutes of Animal Health (₹ 0.04 crore).	4.45	-	4.45
रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (i) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी को शैक्षिक गतिविधियों में और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षमता को बढ़ावा देने हेतु (₹15 करोड़), अतिरिक्त राशि प्रदान करना। (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत कैमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस) को (₹2 करोड़), और इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड्स फारमूलेशन एंड टेक्नोलोजी (आईपीएफटी) को (₹0.75 करोड़) की राशि प्रदान करना।	7 Department of Chemicals and Petrochemicals For providing (i) additional funds to Central Institute of Plastic engineering and Technology (₹15 crore) for enhancing the capabilities in academic activities and skill development training programme and (ii) Grant-in-aid General (₹2 crore) under Chemicals Promotion and Development Scheme and Institute of Pesticides for formulation and technology (₹ 0.75 crore)	17.00	-	17.00
8 उर्वरक विभाग प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के तहत भुगतान करने के लिए।	8 Department of Fertilisers For making payment under Management Information Technology.	2.80	-	2.80
9 भेषज विभाग हिन्दुस्तान एंटीबाइओटिक लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु, भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम को ऋण के तौर पर दुबारा निकालना।	9 Department of Pharmaceuticals For recoupment of an advance sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the payment of salaries of its employees.	-	11.50	11.50
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15 दूरसंचार विभाग मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक संचार लि. के पक्ष	15 Department of Telecommunications For recoupment of advance sanctioned from			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
में माध्यमस्थम पंचाट निर्णय/उच्चतम न्यायलय के कारण भारत की आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत अग्रिम को दुबारा निकालना।	Contingency Fund of India in respect of M/s Himachal Futuristic Communications Ltd. due to arbitration award/Supreme Court orders.	-	93.64	93.64
उपभोक्ता, खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
चीनी विकास निधि को अंतरण	Transfer to Sugar Development Fund.	-	250.00	250.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21 रक्षा मंत्रालय	21 Ministry of Defence			
तट रक्षक बल के लिए समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट और फ्लीट की प्राप्ति हेतु व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards acquisition of ships, Aircrafts and Fleets for Coast Guard Organisation.	-	300.00	300.00
23 रक्षा सेवाएं-थल सेना	23 Defence Services - Army			
न्यायालय आदेशों के चलते भुगतान को पूरा करने हेतु।	For meeting payment arising out of Court Orders.	-	30.00	30.00
28 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	28 Capital Outlay on Defence Services			
न्यायालय आदेशों के चलते भुगतान को पूरा करने हेतु।	For meeting payment arising out of Court Orders.	-	0.11	0.11
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTHEASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29 Ministry of Development of North Eastern Region			
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure under North East Road Sector Development Scheme.	75.00	-	75.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34 आर्थिक कार्य विभाग	34 Department of Economic Affairs			
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure on account of Contributions to International Development Association.	-	13.33	13.33
40 व्यय विभाग	40 Department of Expenditure			
सरकारी वित्तीय प्रबंध प्रणाली के व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure of Public Financial Management System.	37.00	-	37.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्न व्यय को पूरा करने हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) नर्सिंग सेवाओं का अपग्रेडेशन/सुदृढ़ीकरण (एनएएम)/जीएनएम) (₹ 1.00 करोड़) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं का विकास (₹ 7.61 करोड़), (iii) जले घावों का उपचार व प्रबंध (₹2.86 करोड़), वरिष्ठों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 0.50 करोड़), (v) राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 82.29 करोड़) और (2) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) देश में अविकसित क्षेत्रों में	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid General for (i) upgradation/strengthening of Nursing Services (NAM/GNM)(₹ 1 crore) (ii) developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹7.61 crore), (iii) prevention & management of Burn injury (₹2.86 crore), (iv) National Programme for Health Care of the Elderly (₹ 0.50 crore), (v) National VBD Control Programme (₹ 82.29 crore) and (2)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (₹ 250.00 करोड़), (ii) राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों (पीजी सीटों) का सुदृढीकरण और अपग्रेडेशन (₹ 10.00 करोड़), (iii) फार्मसी स्कूल/कालेजों का सुदृढीकरण और अपग्रेडेशन (₹ 1.50 करोड़), (iv) नर्सिंग सेवाओं (एनएएम)/जीएनएम का अपग्रेडेशन/सुदृढीकरण हेतु (₹ 4.00 करोड़), (v) कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिनी रोग और लकवा का उपचार व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन (₹ 30.00 करोड़), (vi) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान की स्थापना (₹ 3.00 करोड़), (vii) एनआरएचएम को जोड़ने वाला अग्र कार्यक्रम (₹ 50.00 करोड़), (viii) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं का विकास (₹ 52.68 करोड़), (ix) जले घाव के उपचार और प्रबंध हेतु क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता (₹ 15.60 करोड़), (x) बहरेपन का उपचार और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना (₹ 0.25 करोड़), (3) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65.00 करोड़)।	Grants for Creation of Capital Assets for (i) establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 250 crore), (ii) strengthening and upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats) (₹ 10 crore), (iii) Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.50 crore), (iv) For strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/ GNM) (₹ 4 crore), (v) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 30 crore), (vi) setting up of State level institutions of Allied Health Sciences in Government Medical Colleges (₹ 3 crore), (vii) Forward Linkages to NRHM (₹ 50 crore), (viii) developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹ 52.68 crore), (ix) assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 15.60 crore), (x) setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.25 crore), (3) Grants-in-Aid General for social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 65 crore).	65.00	-	65.00
(ख) निम्न व्यय को पूरा करने हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा हेतु (₹ 583.00 करोड़), (ii) नर्सिंग सेवाओं (एनएएम/जीएनएम) का अपग्रेडेशन/सुदृढीकरण (₹ 5.00 करोड़), (iii) गायना-वर्म प्रोग्राम (₹ 0.10 करोड़) (iv) राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता कार्यक्रम हेतु (₹ 47.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 23.00 करोड़) (vi) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं के विकास हेतु क्षमता निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता (₹ 59.12 करोड़) (vii) जले घावों का उपचार और प्रबंध हेतु क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता हेतु (₹ 5.00 करोड़) (viii) वरिष्ठों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 10.00 करोड़) (ix) राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.41 करोड़) (ईएसी) (2) पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (i) देश में अविकसित	(b) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-Aid General for (i) towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 583 crore), (ii) Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 5 crore) (iii) Guinea-Worm Programme (₹ 0.10 crore) (iv) For National Blindness Programme (₹ 47 crore) (v) National Mental Health Programme (₹ 23 crore) (vi) assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 59.12 crore) (vii) For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 5 crore) (viii) For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 10 crore) (ix) National VBD control programme (₹ 10.41 crore) (EAC) (2) Grants for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना (₹ 1210.00 करोड़) (ii) पी जी सीटों के वृद्धि/सृजन हेतु राज्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का अपग्रेडेशन (₹100.00 करोड़) (iii) नर्सिंग सेवाओं (एनएएम/जीएनएम) का सुदृढीकरण/अपग्रेडेशन (₹ 40.00 करोड़) (iv) राज्य/केंद्रीय सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का सुदृढीकरण/अपग्रेडेशन (₹ 385.00 करोड़) (v) कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिनी रोग और लकवा के उपचार व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन (₹ 238.00 करोड़) (vi) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹40.00 करोड़) (vii) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं का विकास करने हेतु क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता (₹ 59.86 करोड़) (viii) जले घावों का उपचार और प्रबंध हेतु क्षमता निर्माण को दी जाने वाली सहायता (₹ 49.67 करोड़), (ix) वरिष्ठों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹15.00 करोड़) (x) बहरेपन का उपचार और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना हेतु स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय (₹ 1.98 करोड़)।	Creation of Capital Assets (i) establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹1210 crore) (ii) upgradation of State Govt. Medical Colleges for increase/creation of PG Seats (₹ 100 crore) (iii) Strengthening/ upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 40 crore) (iv) strengthening and upgradation of State/Central Government Medical Colleges (₹385 crore) (v) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹238 crore). (vi) National Mental Health Programme (₹40 crore) (vii) assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹ 59.86 crore) (viii) assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 49.67 crore) (ix) National Programme for Health Care of Elderly (₹ 15 crore) (x) Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 1.98 crore).	583.00	-	583.00
(ग) निम्न व्यय को पूरा करने हेतु (1) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित कामगारों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा (₹ 2.00 करोड़) (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹1.00 करोड़) (2) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिनी रोग और लकवा के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु (₹18.00 करोड़) है (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹1.00 करोड़) (iii) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों की स्थापना (₹ 3.00 करोड़) (iv) फार्मसी विद्यालय/महाविद्यालय का अपग्रेडेशन/सुदृढीकरण (₹ 3.00 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid General for (i) social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana (₹ 2 crore) (ii) National Mental Health Programme (₹ 1 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets for (i) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 18 crore) (ii) National Mental Health Programme (₹ 1 crore) (iii) setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 3 crore) (iv) strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 3 crore).	2.00	-	2.00
56. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) एनडीएमए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम सहित "अन्य आपदा प्रबंध परियोजनाओं" पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting administrative expenditure on "Other Disaster Management Projects" including School Safety Programme to be directly implemented by NDMA.	22.91	-	22.91

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) एनडीएमए द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित किए जाने वाले राज्य सरकार की "अन्य आपदा प्रबंध परियोजनाओं" पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure under "Other Disaster Management Projects" of the State Governments to be directly implemented by NDMA.	5.00	-	5.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information And Broadcasting			
निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) ऋण पर अनुदान और ब्याज माफी (₹4082.88 करोड़) का पीछे से चला आ रहा ऋण और पूंजी ऋण में परिवर्तन (₹5684.34 करोड़) (ii) प्रसार भारती को दी जाने वाली स्पेस सेगमेंट के संचित बकाया पर माफी और प्रोद्भूत स्पेक्ट्रम प्रभार (₹1349.54 करोड़)।	For meeting the expenditure (i) conversion of loan in perpetuity and Capital loan (₹5684.34 crore) into Grants and waiver of interest on loans (₹4082.88 crore) and (ii) waiver of accumulated arrears of space segment and spectrum charges accrued (₹1349.54 crore) to Prasar Bharati.	-	11,116.76	11,116.76
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
67. खान मंत्रालय	67 Ministry of Mines			
न्यायालय आदेशों के चलते भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड इम्प्लाइस से संबंधित देयताओं के भुगतान हेतु संस्तुत भारत की आकस्मिक निधि अग्रिम के रिकूपमेंट हेतु।	For recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned towards payment of liabilities in respect of Bharat Gold Mines Limited Employees due to Court orders.	-	7.35	7.35
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
स्कीम के तहत सामान्य सहायता-अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु (1) "ग्रिड इन्टरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" (i) सौर ऊर्जा हेतु (₹250.00 करोड़) (ii) ग्रीन एनर्जी कारिडोर हेतु (₹100.00 करोड़) (2) सौर ऊर्जा हेतु आफ ग्रिड/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा (₹150.00 करोड़)।	For meeting the expenditure towards Grants-in-aid General under the Scheme (1) "Grid Interactive and distributed Renewable Power" (i) for Solar Power (₹250 crore) (ii) for Green Energy Corridors (₹100 crore) (2) "Off-Grid/Distributed and Decentralised Renewable power" for Solar Power (₹150 crore).	500.00	-	500.00
ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. ऊर्जा मंत्रालय	77 Ministry of Power			
निम्नलिखित निधियां उपलब्ध कराने हेतु (i) पीएसडीएफ से मिलने वाले गैस आधारित सृजन क्षमता का उपयोग हेतु स्कीम (₹1000.00 करोड़) (ii) अंतर राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएन) को दी जाने वाली निधियां (₹0.32 करोड़)।	For providing Funds (i) under the scheme for utilization of gas based generation capacity to be met from PSDF (₹1000 crore) (ii) to International Smart Grid Action Network (ISGAN) (₹0.32 crore).	1,000.00	-	1,000.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
सरकारी परिवहन प्रणाली के सुधार और सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े टर्मिनलों का विकास करने हेतु।	For development of large bus terminals in States/UTs under "Improving and Strengthening of Public Transport System.	70.00	-	70.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89. पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) अंडमान में लैंडिंग सुविधाओं और जेटिज के निर्माण के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards construction of landing facilities and jetties in Andaman.	-	2.00	2.00
(ख) पोत महानिदेशालय, मुम्बई में ऑनलाइन जांच प्रणाली हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards online examination system at Directorate General of Shipping, Mumbai.	1.00	-	1.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(क) बहुस्तरीय पार्किंग-सह-मंत्रालय के कार्यालय के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹10.00 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for construction of multi-level parking cum-office of the Ministry (₹10 crore).	5.00	-	5.00
(ख) अजंता और एल्लोरा के संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना से संबंधित देयों के निपटान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards settlement of dues relating to Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project.	0.62	-	0.62
विधानमंडल रहित संघ शासित क्षेत्र	UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE			
101. दादरा और नागर हवेली	101 Dadra and Nagar Haveli			
(क) गांव तक पहुंच और सड़कों के अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए ₹17.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting the additional requirement of ₹ 17.50 crore for maintenance and improvement of rural accessibilities and for maintenance of road.	7.00	-	7.00
(ख) (i) सर्वोदय आवास योजना के तहत आवास (₹15.00 करोड़) और (ii) स्वच्छ आंगन योजना के तहत शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु (₹7.50 करोड़) लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing financial assistance to beneficiaries for construction of (i) houses under Suryodaya Awaas Yojana (₹ 15 crore) and (ii) toilets blocks under Swachh Aangan Yojna (₹ 7.50)	22.50	-	22.50
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104. शहरी विकास मंत्रालय	104 Department of Urban Development			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) संघ शासित क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक और अन्य व्यय (₹80.00 करोड़) (ii) विरासत शहरों की स्कीम हेतु प्रावधान (₹200.00 करोड़) (iii) 100 स्मार्ट शहरों में स्कीम के तहत प्रावधान (₹280.00 करोड़) (iv) शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 बस्तियों (एएमआरयूटी) की स्कीम के तहत प्रावधान (₹89.74 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for (i) administrative and other expenses for implementation of Swachh Bharat Mission (₹ 80 crore) in UTs (ii) provisions for the scheme of Heritage Cities (HRIDAY) (₹ 200 crore) (iii) provision for the scheme of 100 Smart Cities (₹ 280 crore) (iv) provisions for the scheme of Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT) (₹ 89.74 crore).	80.00	-	80.00
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) "स्वच्छ भारत मिशन" स्कीम के शहरी घटक का क्रियान्वयन (₹860.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम' स्कीम के तहत प्रावधान अभिवर्धन (₹125.12 करोड़)।	(b) For meeting expenditure for (i) implementation of Urban component of the scheme 'Swachh Bharat Mission' (₹860 crore) and (ii) augmentation of provision under the scheme 'North East Region Urban Development Programme' (₹125.12 crore).	860.00	-	860.00
(ग) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (1) "स्वच्छ भारत मिशन" स्कीम के शहरी घटक	(c) For meeting expenditure for (1) implementation of Urban component			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
का क्रियान्वयन (₹60.00 करोड़) (2) निम्नलिखित के स्कीम के लिए प्रावधान को बढ़ाने हेतु (i) 100 स्मार्ट शहरों (सामान्य सहायता अनुदान ₹4.00 करोड़ और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹100.00 करोड़) (ii) शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 बस्तियों (एएमआरयूटी) (सामान्य सहायता अनुदान ₹7.50 करोड़ और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु-₹85.00 करोड़)।	of the scheme 'Swachh Bharat Mission' (₹60 crore) (2) augmenting provision for the scheme of (i) 100 Smart Cities (Grants-in-aid General - ₹4 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹100 crore) (ii) Urban Rejuvenation Mission- 500 Habitations (AMRUT) (Grants-in-aid General - ₹7.50 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹85 crore).	60.00	-	60.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105. लोक निर्माण	105 Public Works			
निम्नलिखित व्यय को पूरा करने हेतु (i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान हेतु व्यय और वेतन से संबंधित कार्य (₹9.42 करोड़) निर्माण लेखा के क्रियान्वयन हेतु व्यय (₹8.23 करोड़)।	For meeting (i) establishment related expenditure and salary (₹9.42 crore) for CPWD Training Institute and (ii) expenditure for the implementation of Nirman Lekha (₹8.23 crore).	17.65	-	17.65
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) नदी इंजिनियरिंग समूह और थर्मल डिसपर्सन हेतु हेंगर के निर्माण हेतु अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure under Research and Development Programme for construction of Hanger for River Engineering Group and Thermal dispersion.	6.25	-	6.25
(ख) भू-जल प्रबंध और विनियमन के तहत रिस की अधिप्राप्ति के संबंध में भुगतान करना।	(b) For making payment on account of procurement of rigs under Ground Water Management and Regulation.	54.00	-	54.00
कुल तकनीकी पूरक	Total Technical Supplementary	3,500.93	11,824.69	15,325.62

4. निम्नलिखित सूचीकृत मदों के संबंध में प्रत्येक ₹1 लाख पूरक अनुदान का प्रस्तावित, दर्शाया गया व्यय; इसको संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग के अंतर्गत बचतों के पुर्नविनियोजन द्वारा जो भी स्थिति हो पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें

Token Supplementary Demands for grants

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

1. कृषि और सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़) प्रदान करना। (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत परियोजना प्रबंध दल हेतु

(a) For providing (i) additional Grants in aid General (₹ 3 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme) under Krishonnati Yojna – State Plan and (ii) administrative expenditure (₹3 crore) including Grants in aid General for

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान सहित प्रशासनिक खर्च (₹3.00 करोड़) प्रदान करना।	Project Management Team under Paramparagat Krishi Vikas Yojna under Krishonnati Yojna – State Plan.	6.00	-	6.00
(ख) नेफेड को एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करना।	(b) For providing subsidy to NAFED under “Implementation of MIS/PSS”	-	200.00	200.00
(ग) सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹4.20 करोड़) प्रदान करना। (2) अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित के तहत विशेष घटक योजना (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹31.30 करोड़) (ii) कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹6.20 करोड़) पर उप-मिशन और (iii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (₹3 करोड़), और (3) और निम्न के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना हेतु (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹100 करोड़) (ii) कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹5.40 करोड़) पर उप-मिशन और (iii) राज्य आयोजना के तहत कृषोन्नति योजना के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत कृषि विकास योजना (₹2.10 करोड़)।	(c) For providing Grants-in-aid General (1) under Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹4.20 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan, (2) for Special Component Plan for Scheduled Castes under (i) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹31.30 crore) (ii) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹6.20 crore) and (iii) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹3 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan and (3) for Tribal Area Sub-Plan under (i) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹100 crore), (ii) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹5.40 crore) and (iii) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹2.10 crore) under Krishonnati Yojna under State Plan.	152.20	-	152.20
(घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचैरी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु	(d) Providing Grants in aid General for implementation of Rashtriya Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT Delhi and Puducherry.	3.00	-	3.00

2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

बागवानी संस्थान स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान और शिक्षा संस्थान, अमृतसर, पंजाब की स्थापना के लिए निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1.35 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹5 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹2.20 करोड़) (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार को सामान्य सहायता अनुदान (₹6.60 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ (₹15.20 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹30.69 करोड़) (iii) 'मत्स्य संस्थान' स्कीम के तहत अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़)। पशु विज्ञान संस्थान (₹1 करोड़) और फसल विज्ञान संस्थान (₹1 करोड़)। (ख) पशु विज्ञान संस्थान (₹4 करोड़) और फसल विज्ञान संस्थान को पूंजीगत आस्तियों

2 Department of Agricultural Research and Education

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1.35 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹5 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹2.20 crore) to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (ii) Grants-in-aid General (₹6.60 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹15.20 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹30.69 crore) to Central Agricultural University, Bihar (iii) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme “ Fisheries Institutes” (₹2 crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
के सृजनार्थ अनुदान (₹4 करोड़)। (ग) मात्स्यिकी संस्थान स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (₹8 करोड़) (iv) 'मत्स्य संस्थान' स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़)। (v) भारतीय केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़)।	towards (a) Grants-in-aid General to Animal Science Institutes (₹1 crore) and Crop Science Institutes (₹1 crore) (b) Grants for creation of Capital Assets to Animal Science Institutes (₹4 crore) and Crop Science Institutes (₹4 crore) (c) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Fisheries Institutes (₹8 crore)(iv) Grants-in-aid General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Punjab under the scheme "Fisheries Institutes" (₹ 1 crore) (v) Grants for creation of capital assets to Indian Council for Centre Research and Training, Bihar (₹4 crore)	86.04	-	86.04
3. पशु पालन, डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को सामान्य सहायता अनुदान	For meeting expenditure towards Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories.	1.28	-	1.28
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एनएफसी - कोटा मेजर वर्क्स (₹28.54 करोड़), (ii) मेल्टिंग एण्ड मशीनिंग फेसिलिटी मेजर वर्क्स (₹0.16 करोड़), (iii) जिरकोनियम प्रोडक्शन फेसिलिटी का नवीनीकरण आधुनिकीकरण (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपस्कर (₹1.20 करोड़), (iv) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा (एडब्ल्यूएमएफ) मशीनरी एवं उपस्कर (₹0.64 करोड़), (v) जोराक्लोय फेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल फेब्रिकेशन फेसिलिटी (एमएजेड4एफ) मशीनरी और उपस्कर का आधुनिकीकरण और वृद्धि करना (₹28.18 करोड़) और वृहत कार्य (₹9.53 करोड़), (vi) एनएफसी उत्पादों, मशीनरी तथा उपस्कर की उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी हेतु ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रापण (₹9.04 करोड़), (vii), कलपक्कम स्थित वृहत कार्य संबंधी अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली (₹4 करोड़), (viii) एकीकृत सूचना प्रणाली (आईआईएस) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रमुख कार्य सहित अनुप्रयोग (₹0.28 करोड़), (ix) फास्ट रियक्टक्टर फ्यूल साइकल फेसिलिटी (एफआरएफसीएफ) मशीनरी एवं उपस्कर तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹68 करोड़), (x) यू-धातु उत्पाद सुविधा मशीनरी तथा उपस्कर की ई-अभियांत्रिकी और प्रक्रिया एकीकरण (₹1.50 करोड़)।	(a) meeting additional expenditure under following projects: (i) NFC – Kota Major Works (₹ 28.54 crore), (ii) Melting and Machining Facility Major Works (₹ 0.16 crore), (iii) Revamping and Modernisation of Zirconium production facility (RMZPF) Machinery and Equipment (₹1.20 crore), (iv) Augmentation of waste Management facilities (AWMF) Machinery and Equipment (₹0.64 crore), (v) Modernisation and augmentation of Zorcaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) Machinery and Equipment (₹ 28.18 crore) and Major Works (₹9.53 crore), (vi) Procurement of Transmission Electron Microscope for high resolution microscopy of NFC products, Machinery and Equipment (₹9.04 crore), (vii), Support System for Waste Management Facility at Kalpakkam Major Works (₹4 crore), (viii) Integrated Information System (IIS) application along with IT infrastructure Major Works (₹ 0.28 crore), (ix) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) Machinery and Equipment and Major Works (₹ 68 crore), (x) Process Integration and e-engineering of U – metal production facility Machinery and Equipment (₹ 1.50 crore).	151.07	-	151.07

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय करना (i) अनुपुरम टाउनशिप वृहत कार्य तथा कलपक्कम स्थित इलेक्ट्रिकल और मकेनिकल प्रणालियों की आधारभूत संरचना (₹3 करोड़), (ii) अनुपुरम टाउनशिप में वृहत कार्य हेतु भवनों का निर्माण (₹27 करोड़) (iii) फ्रन्ट एण्ड फ्यूल साइकल मशीनरी तथा उपकरण में आरएण्डडी सहायता (₹0.30 करोड़), (iv) स्वास्थ्य देखभाल सेवा मशीनरी तथा उपकरण बढ़ोतरी (₹1.72 करोड़) (v) थोरियम प्रोटोगिकी मशीनरी एवं उपकरण (₹3 करोड़), (vi) एडीएस ड्राइवर मशीनरी एवं उपस्कर के फ्रन्ट एंड हेतु निम्न ऊर्जा उच्च गहनता प्रोटोन बढ़ोतरी (एलईएचआईपीए) के विकास हेतु (₹2 करोड़), (vii) विशेष सामग्री कार्यक्रम मशीनरी एवं उपस्कर हेतु विकसित प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (₹3 करोड़) (viii) इलेक्ट्रोनिक्स एंड उपकरणीय मशीनरी और उपस्कर हेतु उन्नत रीर एंड विकास सुविधाओं (₹4 करोड़) (ix) लेजर, प्लास्मास तथा इलेक्ट्रोन बीम तकनीकी मशीनरी एवं उपस्कर हेतु घटक एवं प्रणाली विकास (₹1 करोड़) वृहत कार्य (₹1.50 करोड़) (x) क्राइओगेनिक टेम्प्रेचर प्रोसेस सिस्टम मशीनरी एवं उपस्कर का विकास (₹1.50 करोड़) (xi) फिजिक्स आफ मेटेरियल्स मेजर वर्क्स (₹0.15 करोड़) (xii) मेम्बरेन टेक्नोलोजी मशीनरी एवं उपस्कर का विकास एवं अनुप्रयोग (₹1.40 करोड़) (xiii) भौतिक विज्ञान मशीनरी एवं उपस्कर में खगोल भौतिकी तथा ऐक्सेलेटर बेस्ड अनुसंधान (₹1.49 करोड़) और (xiv) डीएई परियोजना के तहत हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र (₹20 करोड़)।	(b) meeting additional expenditure under following projects: (i) Infrastructure of Electrical and Mechanical Systems at Kalpakkam and Anupuram Township Major Works (₹3 crore), (ii) Construction of Houses at Anupuram Township Major Works (₹27 crore) (iii) R&D support in Front End Fuel Cycle Machinery and Equipment (₹0.30 crore), (iv) Augmentation of Healthcare Services Machinery and Equipment (₹ 1.72 crore) (v) Thorium Technologies Machinery & Equipment (₹3 crore), (vi) Development of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver Machinery & Equipment (₹ 2 crore), (vii) R&D on Advanced Technologies for Special Material Programme Machinery & Equipment (₹ 3 crore) (viii) Advanced Rear End Development Facilities for Electronics & Instrumentation Machinery & Equipment (₹4 crore) (ix) Components & Systems Development for Lasers, Plasmas and Electron Beam Technologies Machinery & Equipment (₹ 1 crore) Major Works (₹ 1.50 crore) (x) Development of Cryogenic temperature process systems Machinery & Equipment (₹ 1.50 crore) (xi) Physics of Materials Major Works (₹ 0.15 crore) (xii) Development & Application of Membrane Technology Machinery & Equipment (₹ 1.40 crore) (xiii) Astrophysics and Accelerator based Research in Physical Sciences Machinery & Equipment (₹ 1.49 crore) and (xiv) Global Centre for Nuclear Energy Partnership in Haryana (₹ 20 crore) of DAE Projects.	71.06	-	71.06
5. नाभिकीय विद्युत स्कीमें केमेको कनाडा (₹169.43 करोड़) और मैसर्स काजाटोमप्रोम, कजाकिस्तान (₹700 करोड़) से यूरेनियम आयात के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करना।	5 Nuclear Power Schemes For meeting additional expenditure towards import of uranium from M/s Cameco, Canada (₹ 169.43 crore) and M/s Kazatomprom, Kazakhstan (₹ 700 crore)	-	869.43	869.43
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMEOPATHY (AYUSH)			
6. आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (1) निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान अर्थात् (i) आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय	6 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) For meeting additional requirement in (1) Grants-in-aid General under the schemes viz. (i) International Exchange Programme/			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
कार्यक्रम/सेमीनार कार्यशाला की आवश्यकता को पूरा करने हेतु जीआईए सामान्य (₹0.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जीआईए जनरल (₹1.85 करोड़) (iii) प्राकृतिक विज्ञान पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (₹0.35 करोड़), (iv) आईआईईएसटी, कोलकाता को लागत स्थित आधारभूत अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹2 करोड़) और (v) केंद्रीय योगा और प्राकृतिक विज्ञान परिषद को अनुदानों और मानदेय के भुगतान के लिए (₹1.35 करोड़) और (2) (i) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने के लिए एनएएम (₹1.56 करोड़), (ii) लखनऊ, कोटायम और इंफाल में चारदीवारियों/भवनों के निर्माण हेतु केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹4 करोड़), (iii) झज्जर, हरियाणा और नाग-मंगला में दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए एनपीसीसी को भुगतान हेतु केंद्रीय एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3 करोड़) और (iv) एसीआरआई, नई दिल्ली के लिए भूमि की खरीद और अन्य अनुमोदित देयताओं के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़)।	Seminar workshop on AYUSH (₹0.50 crore), (ii) National AYUSH Mission (NAM) (₹1.85 crore), (iii) Central Council of Homoeopathy for holding National Seminar on Homoeopathy (₹ 0.35 crore), (iv) Central Council for Research in Homoeopathy for Basic Research Lab at IEST, Kolkata (₹ 2 crore) and (v) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment of grants and honorarium (₹1.35 crore) and (2) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes viz. (i) NAM to be released to the UTs without legislature (₹1.56 crore), (ii) Central Council for Research in Homoeopathy for construction of boundary walls/building at Lucknow, Kottayam and Imphal (₹ 4 crore), (iii) Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment to NPCC 2nd phase constructions work at Jhajjar, Haryana and Nagmangla (₹3 crore) and (iv) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences to purchase of land of ACRI, New Delhi and other approved liabilities (₹20 crore).	34.61	-	34.61
रसायन और उर्वरक विभाग	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
9. भेषज विभाग महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और शोध संस्थान (एनआईपीईआर) की स्थापना हेतु अतिरिक्त (₹3 करोड़) राशि और बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केन्द्र के सृजन के लिए (₹0.50 करोड़) अतिरिक्त निधि प्रदान करना।	9 Department of Pharmaceuticals For providing additional funds for establishment of National Institute of Pharmaceuticals Education and Research in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh (₹3 crore) and for creation of Intellectual Property Rights Facilitation Centre (₹0.50 crore).	3.50	-	3.50
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10. नागर विमानन मंत्रालय हज यात्रियों के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए।	10 Ministry of Civil Aviation For providing subsidy for Haj Charters.	-	500.00	500.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12. वाणिज्य और उद्योग विभाग अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक आयोजना के तहत कॉफी बोर्ड को सब्सिडी देने हेतु।	12 Department of Commerce For providing subsidies to Coffee Board under Special Component Plan for Schedule Caste.	10.00	-	10.00
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15. दूरसंचार विभाग जारी महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास स्कीमों, वेतन और विविध खर्चों को पूरा करने के लिए।	15 Department of Telecommunications For meeting expenditure on ongoing important R&D Schemes, Salaries and miscellaneous expenses.	231.00	-	231.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खर्च पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता।	(a) Central Assistance to States for meeting expenditure under National Food Security Act.	-	4,435.00	4,435.00
(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खर्च पूरा करने के लिए केन्द्र शासित राज्यों को केन्द्रीय सहायता।	(b) Central Assistance to Union Territories for meeting expenditure under National Food Security Act.	-	60.00	60.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
20. संस्कृति मंत्रालय	20 Ministry of Culture			
(क) (i) ललित कला अकादमी के पेंशन, बिजली और पानी बिलों आदि का भुगतान (₹3 करोड़). (ii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन के भुगतान के लिए (₹5 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to (i) Lalit Kala Akademi for pension, electricity & Water bills, etc. (₹3 crore) and (ii) Delhi Public Library for payment of pension and retirement benefits to its employees (₹5 crore).	-	8.00	8.00
(ख) पूंजी आस्तियां सजून करने के लिए अनुदान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करना (i) कला और संस्कृति व शताब्दी समारोह के तहत एनईआर में जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। (₹1.02 करोड़) और (ii) “संग्रहालय के तहत” एनईआर में जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए। (₹0.50 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for (i) completion of ongoing projects in NER under the “Scheme of Art and Culture and Centenary Celebration” (₹1.02 crore) and (ii) completion of ongoing projects under “Museum”(₹0.50crore).	1.52	-	1.52
(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत विभिन्न चालू मुख्य कार्यों और कोर्ट डिक्री के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting additional requirement towards expenditure under Archaeological Survey of India for various ongoing Major Works and also on account of court decree.	30.00	-	30.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21. रक्षा मंत्रालय	21 Ministry of Defence			
भारतीय तटरक्षक संगठन को पीओएल और गौण कार्यों के अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards POL and minor works to Coast Guard Organisation.	-	200.00	200.00
रक्षा सेवाएं- सेना	23 Defence Services - Army			
भूमि कल्याण अध्ययन केन्द्र को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए भुगतान करने हेतु।	For meeting payment towards additional Grants-in-aid to Centre for Land Welfare Studies (CLAWS).	-	0.07	0.07
26 रक्षा आयुध निर्माणियां	26 Defence Ordnance Factories			
विजयांता सीनियर सेकण्डरी स्कूलों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing additional Grants-in-aid to Vijayanta Senior Secondary School.	-	0.14	0.14
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	(a) For meeting expenditure towards North Eastern Rural Livelihood Project	75.00	-	75.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards North Eastern States Road Investment Programme.	100.00	-	100.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
जलापूर्ति और स्वच्छता के तहत विज्ञापन और प्रचार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards advertising and publicity under water supply and sanitation.	229.00	-	229.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34. आर्थिक कार्य विभाग	34 Department of Economic Affairs			
अडवांसिंग एशिया पर उच्चस्तरीय सम्मेलन को आयोजित करने के व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards hosting a High Level Conference on Advancing Asia.	-	1.37	1.37
35. वित्तीय सेवाएं विभाग	35 Department of Financial Services			
(क) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण व अंशदान संग्रहण की प्रोत्साहन व विकासात्मक गतिविधियों के खर्च को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting the expenditure on promotional and developmental activities for enrolment and contribution collection under Atal Pension Yojana (APY).	93.00	-	93.00
(ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा (पीएमबीएसवाई) को सहयोगी प्रचार/ जागरूकता निर्माण हेतु व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting the expenditure for supporting publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana (PMBSY).	-	50.00	50.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	47 Ministry of Food Processing Industries			
गुणवत्ता परक आशवासन स्कीम, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोन्नति विषयक कार्यकलापों के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement for Advertising & Publicity under Scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities.	2.00	-	2.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्नलिखित सामान्य अनुदान सहायता की अतिरिक्त जरूरत पूरा करना (i) टेलीमेडिसिन स्कीम में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए (₹43 करोड़) (ii) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिनी और दौरा रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹4 करोड़)। (iii) तम्बाकू विरोधी अभियान के लिए व्यय को पूरा करना (₹16 करोड़)। (iv) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु सहायता (₹1 करोड़) (v) बर्न इन्जरी की रोकथाम और प्रबंधन हेतु सहायता (₹ 0.40 करोड़)। (vi)	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants-in-aid General for (i) implementation of Telemedicine scheme (₹43 crore) (ii) implementation of national programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹4 crore) (iii) Anti-Tobacco campaign (₹16 crore) (iv) developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹1 crore) (v) prevention & management of Burn injury (₹0.40 crore) (vi) National			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम हेतु (₹1 करोड़) (vii) राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹11 करोड़) (ईएसी) (viii) देश में एनएसओ की अप्रमाणिक व मानक गुणवत्ता रहित की कुछ सीमा तक समस्या की समीक्षा हेतु (₹8.50 करोड़)। 2) निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुदान के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए भुगतान करना। 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए (₹40 करोड़)। 2. राज्य सरकारों के चिकित्सा (पीजी सीटें) का उन्नयन (₹5 करोड़)। 3. स्कूलों/महाविद्यालयों की मजबूती/उन्नयन (₹5.50 करोड़)। 4. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य स्तर के संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान स्थापित करना (₹14 करोड़)। 5. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियों वैस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹4 करोड़)। 6. राष्ट्रीय बहरापन रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना हेतु स्वायत्तशासी चिकित्सा कालेज के (₹ 0.70 करोड़)। 7. अत्याधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए इंडियन फार्मोकोपिया आयोग का निर्माण (₹4 करोड़)। (3) सचिवालय के लिए श्रम शक्ति आऊटसोर्स करने और निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत खर्च - (i) टेलीमेडिशन (₹7 करोड़)। (ii) कैंसर मधुमेह, कार्डियों वैस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹5.20 करोड़)। (iii) जोनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (₹1 करोड़)। (iv) वायरल हेपेटिटिस कार्यक्रम (₹0.91 करोड़)। (v) एंटी माइक्रोवाइल प्रतिरोध (₹ 1 करोड़)। (vi) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 एनसीडीसी शाखाएं स्थापित करने के लिए (₹1.50 करोड़)। (vii) अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹12 करोड़)। (viii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹10 करोड़)। (ix) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु सहायता (₹10.10 करोड़)। (x) जलने से हुई दुर्घटना के रोकथाम और प्रबंधन की सहायता (₹16.47 करोड़)। (xi) एपीएचओ सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना के लिए (₹13 करोड़)। (xii) बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹24.50 करोड़)।	programme for Blindness (₹1 crore) (vii) National VBD control programme (₹11 crore)(EAC) (viii) survey of extant problem of spurious and not standard quality NSO in the country(₹8.50 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets for (i) For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹40 crore). 2. For upgradation of State Government Medical Colleges (PG Seats) (₹ 5 crore). 3. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 5.50 crore). 4. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Government Medical Colleges (₹ 14 crore). 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 4 crore). 6. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.70 crore). 7. Indian Pharmacopoeia Commission for construction of State of Art Laboratory (₹4 crore) (3) outsourcing of manpower for secretariat support under the following programmes for (i) Telemedicine (₹7 crore). (ii) implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 5.20 crore) (iii) Prevention & Control of Zoonotic Diseases(₹ 1 crore) (iv) Viral Hepatitis Programme(₹ 0.91 crore) (v) Anti-Microbial Resistance(₹ 1 crore) (vi) establishing 30 branches of NCDC in States and UTs (₹ 1.50 crore) (vii) Blindness Control Programme (₹ 12 crore) (viii) National Health Programme(₹10 crore) (ix) developing Trauma Care Facilities in Government Hospitals on National Highways (₹10.10 crore) (x) prevention & management of Burn injury (₹ 16.47 crore) (xi) Port Health Establishment including APHO (₹13 crore) (xii) National Programme for Health Care of Elderly (₹ 24.50 crore).	260.78	-	260.78
(ख) (i) गर्भनिरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति और सामाजिक विपणन की लागत को पूरा करना	(b) For meeting expenditure towards (i) cost of contraceptive for Free Supply			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(₹50 करोड़) (ii) एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन की मजबूती के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹34.50 करोड़)।	and Social Marketing (₹ 50 crore) (ii) Grants-in-Aid General in respect of Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 34.50 crore)	84.50	-	84.50
(ग) (i) राज्यों में एनसीडीसी की 30 शाखाओं की स्थापना संबंधी पूंजी व्यय को पूरा करना (₹8.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹9.63 करोड़)। (iii) बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हेतु (₹10 करोड़)। (iv) सीआईपी, रांची में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए (₹14 करोड़)। (v) एपीएचओ सहित पोर्ट स्वास्थ्य संगठन संबंधी (₹12 करोड़)। (vi) पैरा मेडिकल संस्थानों आरआईपीएस एनआई पीएस का सुदृढीकरण (₹20 करोड़)।	(c) For meeting expenditure (i) on establishing 30 branches of NCDC in States (₹8.50 crore) (ii) on assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹9.63 crore) (iii) for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 10 crore) (iv) For procurement of MRI machine at CIP Ranchi (₹14 crore) (v) on Port Health Establishment including APHO (₹12 crore. (vi) Strengthening/creation of Para medical Institutions (RIPS/NIPS) (₹ 20 crore).	74.13	-	74.13
50. एड्स नियंत्रण विभाग राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत ईएपी घटक की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु।	50 Department of AIDS Control For meeting additional EAP component under Grant-in-aid to State Government.	10.00	-	10.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53. गृह मंत्रालय (क) जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता सहयोग स्कीम के तहत खरीदे गए अग्निशमन और बचाव उपकरणों के व्यय को पूरा करने हेतु।	53 Ministry of Home Affairs (a) For meeting expenditure of firefighting and rescue equipment procured under Japanese International Cooperation Assistance Scheme.	-	0.83	0.83
(ख) विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान (₹232.34 करोड़)।	(b) For providing Grants-in-aid General (₹16 crore) and Grants-in-aid for Creation of Capital Assets (₹232.34 crore) for National Cyclone Risk mitigation Project with World Bank Assistance.	248.34	-	248.34
55. पुलिस (क) "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण एंजसी द्वारा सर्वोदय विद्यालय में अनुदान सहायता सामान्य के खर्च को पूरा करना।	55 Police (a) For providing Grants-in-aid General under "Swachh Bharat Abhiyan" in Savodaya Kanya Vidyalaya by National Investigation Agency.	-	0.10	0.10
(ख) असम राइफल्स द्वारा कार्यालय भवन (₹48.62 करोड़) और सीमा आऊट पोस्ट निर्माण को पूरा करना (₹ 9.80 करोड़)।	(b) For meeting expenditure of Assam Rifles for Office Buildings (₹ 48.62 crore) and construction of Border Out Posts (₹ 9.80 crore).	58.42	-	58.42
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 1984 के दंगों के मामलों की जांच पुर्नजांच हेतु विशेष जांच दल (एसआईटी) के व्यय को पूरा करने हेतु।	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs For meeting expenditure towards Special Investigation Team (SIT) for investigating re-investigating the cases of 1984 riots	-	8.22	8.22
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (क) (i) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के लिए (₹8 करोड़) (ii) क्रेडिट	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (a) For augmenting Grants-in-aid General (i) to Building Material & Technology			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान को (₹499.99 करोड़) बढ़ाया।	Promotion Council (₹8 crore) (ii) in respect of Credit Linked Subsidy Scheme (₹499.99 crore).	507.99	-	507.99
(ख) निम्न के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए (i) पेशेवर सेवाओं के तहत प्रावधान में (5 करोड़ रुपए) और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन - शहरी गरीब के लिए मूलभूत सेवाएं स्कीम (3.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान। (ii) अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (0.05 करोड़ रुपए) का प्रावधान, प्रशासनिक सेवाओं (0.90 करोड़ रुपए) और अंतरराष्ट्रीय विकास सहायक परियोजना विभाग की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (16.41 करोड़ रुपए)। (iii) शहरी विकास परियोजनाओं की क्षमता निर्माण स्कीम के तहत अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (0.16 करोड़ रुपए) और पेशेवर सेवाएं (0.67 करोड़ रुपए) और (2) जपानी एनसीफलीटिस/अक्यूट एनसीफलीटिस सिनड्रोम से ग्रस्त झुग्गी-झोपड़ियों में पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत (143 करोड़ रुपए) व्यय को पूरा करना।	(b) For (1) augmenting provisions under (i) Professional Services (₹5 crore) and Grants-in-aid General under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission(₹3 crore) – Basic Services for Urban Poor (ii) Other Administrative Expenses (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 0.90 crore) and Grants-in-aid General under the scheme of Department for International Development supported Project (₹16.41 crore) and (iii) Other Administrative Expenses (₹ 0.16 crore) and Professional Services (₹ 0.67 crore) under the scheme of Capacity Building for Urban Development projects and (2) meeting the expenditure under the scheme Drinking Water Supply in slum households endemic with Japanese Encephalitis/Acute Encephalitis Syndrome (₹ 143 crore)	169.19	-	169.19
(ग) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान के लिए प्रावधान वृद्धि करने के लिए।	(c) For augmenting provisions towards payment for various projects under National Urban Livelihoods Mission.	5.80	-	5.80
(घ) स्कीमों के तहत राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) शहरी गरीबों और बुनियादी सेवाओं के लिए 80 करोड़ रुपए और (ii) एकीकृत आवास एवं झुग्गी-झोपड़ी विकास परियोजना (58 करोड़ रुपए)।	(d) For providing Grants-in-aid General and Grants for Creation of Capital Assets to States under the schemes, (i) ₹ 80 crore for Basic Services for Urban Poor and (ii) ₹ 58 crore for Integrated Housing & Slum Development Project .	138.00	-	138.00

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

59 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

59 Department of School Education and Literacy

(क) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना (1) स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता जैसे (i) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के जीआईए (3.05 करोड़), (ii) ब्लाक स्तर पर 6000 माडल स्कूलों की स्थापना (0.69 करोड़) (iii) मदरसों/अल्पसंख्यकों (एसपीक्यूईएम) को शिक्षा प्रदान करने, वकीलों के भुगतान, टीए, डीए इत्यादि (0.50 करोड़)। (iv) एमडीएम (14.40 करोड़) का राष्ट्रीय कार्यक्रम। (2) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन (10.24 करोड़) और (3) नवोदय विद्यालय समिति की स्कीम के तहत जीआईए वेतन (94.00 करोड़)।

(a) For meeting additional requirement towards (1) Grants-in-aid General under the schemes viz. (i) UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 3.05 crore), (ii) for Setting up of 6,000 Model School at Block Level (₹ 0.69 crore), (iii) for providing Education to Madrassas/Minorities (SPQEM) for making payments to advocates, TA/DA, etc. (₹ 0.50 crore) and (iv) National Programme of MDM (₹ 14.40 crore); (2) Grants for creation of Capital Assets under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 10.24 crore); and (3) GIA Salary under the Scheme for Navodaya Vidyalay Samiti (₹ 94 crore).

122.88 - 122.88

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) नेशनल ट्रस्ट फार बुक प्रमोशन को अनुदान स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (10.00 करोड़) तथा अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल मिशन आन टीचर्स एण्ड ट्रेनिंग के स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन का अनुदान (75.00 करोड़)।	(a) for meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹10 crore) under the Scheme of 'Grants to National Book Trust for Book promotion and Grants for creation of Capital Assets (₹75 crore) under the Scheme of 'National Mission on Teachers and Training for meeting additional requirement .	85.00	-	85.00
(ख) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़) (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की निम्नांकित स्कीमों के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (317.00 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (198.00 करोड़), इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च (125.00 करोड़), भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (27.00 करोड़), बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (1.00 करोड़), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान (10.00), सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (20.40 करोड़) पीपीपी मॉडल में आईआईटी की स्थापना (34.00 करोड़) तथा भारतीय प्रबंध संस्थान (50.00 करोड़)।	(b) for meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the Scheme of 'Setting up of Indian Institute of Engineering, Science and Technology (₹10 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Scheme: Indian Institutes of Technology (₹317 crore), National Institutes of Technology (₹198 crore), Support to Indian Institute Science and Indian Institute of Science and Engineering Research (₹125 crore), Setting up of Indian Institute of Engineering Science and Technology (₹27 crore), Board of Apprenticeship Training (₹1 crore), National Institutes of Technical Teachers Training & Research (₹10 crore), Training & Research in Frontier Areas (₹20.40 crore), Setting up of IIITs in PPP Model (₹34 crore) and Indian Institute of Management (IIM) (₹50 crore).	792.40	-	792.40
(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) आईआईएम स्कीम के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान (8.00 करोड़) तथा (ii) निम्नांकित स्कीमों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान; आईआईएम (10.00 करोड़) तथा (iii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (30.00 करोड़)।	(c) for meeting additional expenditure towards (i) GIA Salary under the Scheme of IIM (₹8 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for the following schemes : IIM (₹ 10 crore) and (iii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFT Ranchi, CIT, Kokrajhar (₹ 30 crore).	48.00	-	48.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में "फिल्म और वृत्तचित्र निर्माण" की आयोजना स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For providing additional Grants-in-aid General under the Plan Scheme "production of films and documentaries" in various regional languages.	1.40	-	1.40
(ख) के लिए (i) सूचना भवन (0.50 करोड़) के कार्यालय स्थान के नवीकरण और (ii) फिल्म प्रमाणन और अपील प्रधिकरण के सदस्यों को मानदेय प्रदान करने के लिए (0.10 करोड़)।	(b) For (i) renovating office of Soochna Bhawan (₹0.50 crore) and (ii) making payment of honorarium to members of films certification and appellate tribunal (₹0.10 crore).	-	0.60	0.60

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) फिल्म प्रभाग के लिए उपस्करों की खरीद स्कीम के तहत मशीनरी और उपस्करों के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards Machinery and equipment under the scheme acquisition of equipment for Films Division.	0.20	-	0.20
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64. विधि और न्याय	64 Law and Justice			
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की कार्यप्रणाली का खर्च पूरा करना।	For meeting expenditure towards functioning of National Judicial Appointments Commission.	-	4.20	4.20
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करना (1) पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान (i) एनईआर अगस्तला में कार्यालय भवन निर्माण के लिए एनईआर योजना (3.00 करोड़) और (ii) सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (7.55 करोड़) (2) सामान्य सहायता अनुदान सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर आयोजना। ग्राम उद्योग अनुदान के तहत एनईआर योजना हेतु (2.00 करोड़) प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (2.00 करोड़) स्कीम के तहत।	(a) For meeting expenditure towards (1) Grants for Creation of Capital Assets for NER Plan for construction of Office Building at Agartala (₹ 3 crore) and Grants-in-aid General - NER Plan for support activities (₹7.55 crore) (2) Grants-in-aid General - NER Plan for support activities (₹2 crore) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (₹2 crore) for NER Plan under "Village Industries Grant".	12.55	-	12.55
(ख) सामान्य सहायता अनुदान के तहत केवीआईसी के प्रशिक्षण विभाग को भुगतान पूरा करना।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for payment to Departmental Training Centre of KVIC.	0.50	-	0.50
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
(क) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत "सीखो और कमाओ" में 175000 प्रशिक्षुओं के बड़े हुए लक्ष्य के लिए अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना।	(a) For providing additional Grants-in-aid General towards fulfilling the increased targets of 1,75,000 trainees under the scheme Skill Development initiatives "Seekho Aur Kamao".	176.72	-	176.72
(ख) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत एनईआर के अन्तर्गत "सीखो और कमाओ" में 175000 प्रशिक्षुओं के बड़े हुए लक्ष्य के लिए अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना।	(b) For providing additional Grants-in-aid General towards fulfilling the increased targets of 1,75,000 trainees under the scheme Skill Development initiatives "Seekho Aur Kamao" under NER.	15.50	-	15.50
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
नई दिल्ली में कार्यालय भवन और भुवनेश्वर में संस्थान का निर्माण के व्यय को पूरा करना।	For meeting expenditure towards construction of office building in New Delhi and Institute at Bhubaneshwar.	-	3.00	3.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76. योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
नई योजना स्कीम के तहत खर्च को पूरा करना (i) विश्व स्तरीय नवोन्मेषी केन्द्र नेटवर्क को प्रोत्साहित	For meeting the expenditure under New Plan Scheme (i) Atal Innovation Mission			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करना एवं भारत के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों के लिए अटल नवोन्मेष मिशन (1 करोड़) और (ii) सेल्फ एम्प्लायमेंट एण्ड टैलेंट यूटिलाइजेशन (एसआईटीयू) (50.00 करोड़)।	to promote a network of World Class Innovation Hubs and Grand Challenges of India (₹ 1 crore) and (ii) Self employment and Talent Utilization (SETU) (₹50 crore).	51.00	-	51.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित का खर्च पूरा करना। (i) आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए सीधे भुगतान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य के लिए लागू अंतर-राज्य कनेक्टिविटी के लिए (293.00 करोड़)। (ii) प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण आदि (58.20 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) implementation of Direct Payment Procedure for roads of economic importance and Inter-State connectivity for NH Works (₹ 293 crore) and (ii) training, research, quality control, etc. (₹ 58.20 crore).	351.20	-	351.20
(ख) प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत कार्यकारी एजेंसी एनएचएआई को भुगतान।	(b) For payment to executing agency under Direct Payment Procedure to NHAI.	4,500.09	-	4,500.09
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84. ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु आपरेशनल डाइरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोटोकाल हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure towards Operational Direct Benefit Transfer (DBT) Protocol for wage payment under MGNREGA.	7,000.00	-	7,000.00
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89. नौवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट को बकाया जेआईसीए ऋण के भुगतान के लिए।	For payment of balance JICA loan to Vishakhapatnam Port Trust.	7.72	-	7.72
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	91 Department of Social Justice And Empowerment			
(क) निम्नलिखित को प्रदान करने के लिए (i) डा. बी.आर. अम्बेडकर की वर्षगांठ के उत्सव के लिए "अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमों" को सहायता अनुदान (124.55 करोड़)। (ii) पिछड़ी जातियों के मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति के व्यय के लिए (1.00 करोड़)।	(a) For providing (i) Grants-in-aid (₹124.55 crore) for celebration of anniversary of Dr. B.R. Ambedkar under 'Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes and (ii) expenditure of Post Matric Scholarship for OBCs (₹1 crore).	125.55	-	125.55
(ख) निम्नलिखित को प्रदान करने के लिए (i) नशाखोरी और मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम की स्कीम के लिए (8.00 करोड़) सहायता अनुदान। (ii) ड्रग्स तक पहुंच, विस्तार, पैटर्न और रुझानों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण को (2.00 करोड़) का सहायता अनुदान, (iii) गरीबों के पुर्नवास के लिए एकीकृत कार्यक्रम हेतु (3.00 करोड़) का सहायता अनुदान (iv) सामाजिक रक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (5.00 करोड़)। (v) राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के हेल्पलाइन के लिए (2.00 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	(b) For providing (i) Grants-in-aid (₹8 crore) for scheme of prevention of Alcoholism and Substance (Drugs), (ii) Grants-in-aid (₹2 crore) for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug, (iii) Grants-in-aid (₹3 crore) for Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars, (iv) Grants-in-aid (₹5 crore) for National Institute of Social Defence and (v) Grants-in-aid (₹2 crore) for Helpline for Senior Citizens at National Level.	20.00	-	20.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. वस्त्र मंत्रालय	96 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (5.37 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (16.96 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीच संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ((3.29 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (1.38 करोड़) (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (35.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (40.00 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹5.37 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 16.96 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative in NER Sector. (ii) Grants-in-aid General (₹ 1.38 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 3.29 crore) under Seed Organization in NER Sector. (iii) Grants-in-aid General (₹ 40 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under NER Textile Promotion Scheme in NER Sector.	102.00	-	102.00
(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (1) सामान्य सहायता अनुदान (i) यार्न आपूर्ति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (137.00 करोड़) (ii) समूह बीमा स्कीम के तहत (5.30 करोड़) (iii) बिजली चालित करघा क्षेत्र विकास की एकीकृत स्कीम के तहत (12.73 करोड़) (iv) पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम के तहत (5.00 करोड़) (2) पूंजीगत परिसंमपतियों का सृजन (i) ग्रुप वर्कशेड स्कीम के तहत (14.46 करोड़) (ii) प्लैन बिजली चालित करघा इन-सी-टू का उन्नयन (25 करोड़) (3) (i) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और आईटी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (15.58 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में (35.72 करोड़)। (ii) बीज संगठन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (25.31 करोड़) और परिसंपत्तियों का सृजन (19.80 करोड़) (iii) समन्वयन एवं बाजार विकास (एचआरडी) के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (1.27 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (4.75 करोड़)। (iv) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.70 करोड़) एवं पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (0.17 करोड़) और (v) सेरीकल्चर केंट्रालीटिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजाति क्षेत्र उप-योजना स्कीम के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (14.00 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (6.00 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards (1) Grants-in-aid General (i) under Yarn Supply Scheme (₹ 137 crore) (ii) under Group Insurance Scheme (₹5.30 crore) (iii) under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development (₹ 12.73 crore) (iv) under Pashmina Wool Development Programme (₹ 5 crore) (2) Creation of Capital Assets (i) under Group Workshed Scheme (₹ 14.46 crore) (ii) under Scheme For in-situ Up-Gradation of Plain Powerloom)(₹ 25 crore) (3) (i) Grants-in-aid General (₹ 35.72 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.58 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative. (ii) Grants-in-aid General (₹ 25.31 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 19.80 crore) under Seed Organization (iii) Grants-in-aid General (₹ 4.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.27 crore) under Coordination and Market Development (HRD). (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.17 crore) under Quality Certification System. (v) Grants-in-aid General (₹ 6 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14 crore) for the Tribal Area Sub Plan of the Scheme under Sericulture Catalytic Development Programme.	322.79	-	322.79

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) कीमत समर्थन के तहत काटन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा कपास की खरीद (2108.00 करोड़) (ii) कीमत जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया को इसकी सब्सिडी (107.11 करोड़)। (जिसमें भारत की आकस्मिक निधि अग्रिम रिकूपमेंट (55 करोड़) शामिल है। (iii) कपास सलाहकार समिति और कपास संस्थान (1.50 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement for (i) Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support (₹2,108 crore) (ii) Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹107.11 crore) [which includes the recoupment of Contingency Fund of India advance ₹55 crore] (iii) Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹1.50 crore).	-	2,216.61	2,216.61
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पर्यटन सर्किट स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional expenditure under the schemes Tourism Circuits for North Eastern Areas.	20.00	-	20.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
99. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99 Andaman and Nicobar Islands			
(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For providing additional Grants-in-aid to Andaman and Nicobar Island Medical Education and Research Society (ANIMERS)	60.64	-	60.64
(ख) सेलुलर जेल के रख-रखाव और वाइपर द्वीप के संरक्षण के लिए सिविल निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कला व संस्कृति के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।	(b) For meeting the additional requirement under Art & Culture to complete civil construction work for maintenance of Cellular Jail and Conservation of Viper Island.	3.22	-	3.22
103 लक्षद्वीप	103 Lakshadweep			
(क) अध्यक्ष और सदस्य, उपभोक्ता शिकायत सुधार मंच (सीजीआरएफ) के पारिश्रमिक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional Grants-in-aid General for the remuneration of the Chairperson and Member, Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF).	-	0.07	0.07
(ख) पंचायती राज संस्था (पीआरआई) की अपनी निधि की क्षतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता-अनुदान उपलब्ध कराने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for the recoupment of the own fund of Panchayati Raj Institution (PRI).	-	0.85	0.85
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105 लोक निर्माण	105 Public Works			
आइजवाल, मिजोरम में ज्ञानेद्रिय भवन के निर्माण हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting the expenditure towards construction of Census building at Aizwal, Mizoram.	-	1.20	1.20
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों को दी जाने वाली पूंजी	(a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आस्तियों के सृजन हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	to North Easter Area under “Accelerated Irrigation Benefit and Flood Management Programme”.	29.00	-	29.00
(ख) निम्न उपलब्ध कराने हेतु (i) वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय के भुगतान हेतु जल संसाधन विकास अन्वेषण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹44 करोड़) (ii) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (₹16.35 करोड़)	(b) For providing (i) Grants-in-aid General (₹44 crore) under Investigation of Water Resources Development for payment of salaries and other administrative expenses and (ii) National Institute of Hydrology (₹16.35 crore).	60.35	-	60.35
(ग) "त्वस्ति सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" के तहत ब्लाक अनुदान (₹96.80 करोड़) और जनजातीय उपयोजना घटक (172.20 करोड़) के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Block Grant (₹ 96.80 crore) and Tribal Sub Plan Component (₹ 172.20 crore) under “Accelerated Irrigation Benefit and Flood Management Programme”.	269.00	-	269.00

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

108 महिला और बाल विकास मंत्रालय

108 Ministry of Women and Child Development

(क) एक स्टाफ सेंटर स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक स्टाफ सेंटर के निर्माण हेतु (₹0.80 करोड़) (ii) एनआईपीसीसीडी में बेहता (बिहार) एवं मोहाली (पंजाब) में दो नए क्षेत्रीय केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹25.00 करोड़) (iii) वृंदावन में विधवाओं के आश्रय हेतु (₹10.00 करोड़)।	(a) For meeting expenditure (i) towards construction of one stop centres in the States/Union Territories under the Scheme One Stop Centre (₹ 0.80 crores), (ii) for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) in NIPCCD, for construction of building of two new Regional Centres at Behta (Bihar) and Mohali (Punjab) and (iii) towards Shelter Home for widows at Vrindavan (₹ 10 crore).	35.80	-	35.80
(ख) निम्न उपलब्ध कराने हेतु (i) 23 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वेतन सहायता अनुदान (₹4.50 करोड़) और सेवानिवृत्ति बकायों के भुगतान हेतु एनआईपीसीसीडी को दी जाने वाली अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़) (ii) सेवानिवृत्ति बकायों के भुगतान हेतु सीएसडब्ल्यूबी के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹4.41 करोड़)।	(b) For providing (i) additional Grants-in-aid General (₹2.50 crore) to NIPCCD for payment of retirement dues and Grants-in-aid salary (₹4.50 crore) for filling up 23 vacant posts and (ii) additional Grants-in-aid General (₹4.41 crore) for CSWB for payment of retirement dues.	-	11.41	11.41
(ग) निम्न व्यय पूरा करने हेतु (i) वन स्टाफ सेंटर स्कीम के तहत दिल्ली और पुडुचेरी में वन स्टाफ सेंटर का निर्माण (₹0.40 करोड़) (ii) किशोरावस्था बालिकाओं (सबला) के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (₹14.48 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) construction of one stop centres in Delhi and Puducherry under the Scheme one Stop Centre (₹0.40 crore) (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 14.48 crore).	14.88	-	14.88

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

109 युवा मामले और खेल मंत्रालय

109 Ministry of Youth Affairs and Sports

(क) निम्न अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (1)	(a) For meeting additional expenditure (1)			
---	--	--	--	--

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹25.00 करोड़) (ii) हिमालयन माउन्टेनियरिंग संस्थान विभाग, जवाहर माउन्टेनियरिंग संस्थान प्रवासी भारतीय दिवस आदि शेरर मुद्रा के भुगतान हेतु और किशोरावस्था के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹9.00 करोड़) (iii) विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों हेतु राजीव गांधी खेल अभियान (₹11.00 करोड़) और (iv) डोप कंट्रोल किट्स की खरीद, एंटी डोपिंग एवेयरनेस चलाने हेतु नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (₹1.90 करोड़) और (2) (i) कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर मीट का आयोजन करने अंतर राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत ब्रिक्स युवा सम्मेलन और अन्य युवा विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु रुस जाने वाली भारतीय प्रतिनिधियों का दौरा (₹2.00 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अंतर्गत वेतन, चिकित्सा, अभिमुखीकरण तथा अनुसंधान केंद्रों को भुगतान हेतु (₹10.50 करोड़)।	towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan for various programme activities (₹25 crore), (ii) National Programme for Youth and Adolescent Development for making payment of share money of the Department of Himalayan Mountaineering Institution, Jawahar Institution of Mountaineering, Pravasi Bhartiya Divas, etc. (₹ 9 crore), (iii) Rajiv Gandhi Khel Abhiyan for various programme activities (₹11 crore) and (iv) National Anti Doping Agency for purchase of Dope Control Kits, conducting of Anti-doping Awareness etc (₹1.90 crore) and (2) (i) organizing Commonwealth Youth Ministers Meet, visit of Indian Delegations to Russia to participate BRICS Youth Summit and other Youth Exchange Programmes under the Scheme of International Co-operation (₹2 crore) and (ii) make payment of Salary, Medical, Reorientation and Research Centres etc under the National Service Scheme (₹ 10.50 crore).	59.40	-	59.40
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) देयताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 हेतु कामनवेल्थ सचिवालय, एशिया क्षेत्रीय केंद्र को दी जानेवाली अंशदान/बचनबद्धता (₹2.50 करोड़) और राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत कार्यक्रम परामर्शी प्रकोष्ठ और क्षेत्रीय केंद्रों के कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन का भुगतान हेतु (₹1.08 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards i) contribution/ commitment to the Commonwealth Secretariat, Asia Regional Centre for the years 2013-14 & 2014-15 to meet the liabilities (₹2.50 crore) and (ii) for making payment of salary to staff of Programme Advisory Cells and Regional Centres under the National Service Scheme (₹1.08 crore).	-	3.58	3.58
(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) असम के पूर्वोत्तर युवा उत्सव को चलाने हेतु राष्ट्रीय युवा और किशोरावस्था विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.00 करोड़) और (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में पूंजी आस्तियों का सृजन हेतु अनुदान (₹15.00 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards i) GIA General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for conducting North East Youth Festival in Assam (₹ 2 crore) and ii) Grants for creation of Capital Assets in various States under the Scheme of Urban Sports Infrastructure (₹15 crore).	17.00	-	17.00
(घ) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्रम गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure towards GIA General under the National Service Scheme, for conducting programme activities in UT Govts.	1.50	-	1.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ड) संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएस राज्य सम्पर्क कार्यालय हेतु देयता को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(e) For meeting additional expenditure towards GIA General under the National Service Scheme for meeting liability towards NSS State Liaison Office in UTs	-	0.02	0.02
कुल सांकेतिक	Total Token Supplementary	0.58	0.24	0.82
5. तत्काल आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय आकस्मिक निधि से चार अग्रिम कुल ₹1,67,49,00,000 संस्तुत किए गए थे। अनुदान की पूरक मांगों को संस्तुत किए जाने के पश्चात्, निधि की क्षतिपूर्ति की जाएगी।	5. Four advances aggregating ₹167,49,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	28,219.55	12,602.13	40,821.68
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	24,718.04	777.20	25,495.24
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	3,500.93	11,824.69	15,325.62
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.58	0.24	0.82

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय			MINISTRY OF AGRICULTURE					
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.04	2.75	2.79	1-2
2.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.01	...	0.01	3-4
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.01	4.45	4.46	5
परमाणु ऊर्जा विभाग			DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	...	0.02	0.02	6-7
5	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	0.01	...	0.01	8
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)			MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
6.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	6. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	9
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
7.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	7. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	17.00	...	17.00	10
8.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilisers	Voted	2.80	...	2.80	11
9.	भेषज विभाग	स्वीकृत	9. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	11.50	11.51	12
नागर विमानन मंत्रालय			MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
10	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Civil Aviation	Voted	20.05	800.00	820.05	13
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
12.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	12. Department of Commerce	Voted	0.01	...	0.01	14
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	13. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	100.00	...	100.00	15
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
15.	दूरसंचार विभाग	भारित स्वीकृत	15. Department of Telecommunications	Charged Voted	93.64 9.01	...	93.64 9.01	16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Voted	650.02	...	650.02	17-18
संस्कृति मंत्रालय			MINISTRY OF CULTURE					
20.	संस्कृति मंत्रालय		20. Ministry of Culture	Voted	30.02	0.01	30.03	19-20

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
21. रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	21. Ministry of Defence	Voted	0.01	300.00	300.01	21
23. रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	23. Defence Services - Army	Charged	30.00	...	30.00	22
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
26. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां		26. Defence Ordnance Factories	Voted	0.01	...	0.01	23
28. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	28. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	0.11	0.11	24
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.02	75.00	75.02	25
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
30. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	2685.01	...	2685.01	26
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
33. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	33. Ministry of External Affairs	Voted	10.00	...	10.00	27
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
34. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	34. Department of Economic Affairs	Voted	13.34	...	13.34	28
35. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	35. Department of Financial Services	Voted	500.02	12221.20	12721.22	29-30
40. व्यय विभाग	स्वीकृत	40. Department of Expenditure	Voted	37.00	...	37.00	31
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
47. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	47. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	32
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health and Family Welfare	Voted	650.02	0.01	650.03	33-36
50. एड्स नियंत्रण विभाग	स्वीकृत	50. Department of AIDS Control	Voted	0.01	...	0.01	37
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
53. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	53. Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	...	0.02	38
54. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	54. Cabinet	Voted	100.00	...	100.00	39
55. पुलिस	स्वीकृत	55. Police	Voted	0.01	100.01	100.02	40
56. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	स्वीकृत	56. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	27.92	...	27.92	41
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
58. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	58. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.04	...	0.04	42-43
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
59. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	59. Department of School Education and Literacy	Voted	0.01	...	0.01	44
60. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	60. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	45-46

			(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	11116.78	0.01	11116.79	47-48
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64.	विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	49
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
66.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	50
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
67.	खान मंत्रालय	भारित	67. Ministry of Mines	Charged	7.35	...	7.35	51
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
68.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.02	...	0.02	52
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
69.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	500.00	0.01	500.01	53
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
71.	पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Panchayati Raj	Voted	300.00	...	300.00	54
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	47.00	1153.00	1200.00	55
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING						
76.	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	56
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
77.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Power	Voted	2000.00	...	2000.00	57
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
83.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	70.01	0.01	70.02	58
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
84.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	84. Department of Rural Development	Voted	1000.01	...	1000.01	59
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING						
89.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	...	3.01	3.01	60
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
91.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02	61

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
96. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted	0.03	...	0.03	62-63
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted	20.01	5.62	25.63	64-65
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE					
99. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	99. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.01	0.01	0.02	66
101. दादरा और नगर हवेली	स्वीकृत	101. Dadra and Nagar Haveli	Voted	29.50	...	29.50	67
103. लक्षद्वीप	स्वीकृत	103. Lakshadweep	Voted	0.02	...	0.02	68
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
104. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	104. Department of Urban Development	Voted	1000.00	1000.00	2000.00	69-70
105. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	105. Public Works	Voted	17.65	0.01	17.66	71
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
107. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	107. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.03	60.25	60.28	72-73
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
108. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	108. Ministry of Women and Child Development	Voted	4000.03	...	4000.03	74-75
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
109. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	109. Ministry of Youth Affairs And Sports	Voted	0.05	...	0.05	76-77
कुल जोड़		GRAND TOTAL		25084.69	15736.99	40821.68	
	भारित		Charged	130.99	0.11	131.10	
	स्वीकृत		Voted	24953.70	15736.88	40690.58	
अनुबंध		ANNEXURE					78-89

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	16959.36	44.99	17004.35	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.04	2.75	2.79	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16959.40	47.74	17007.14	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.03	0.01	0.04	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted: 1.75 (डेe)	...	1.75	
4435 - अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4435 - Capital Outlay on Other Agricultural Programmes	Voted: 1.00 (चf)	...	1.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 2.75	...	2.75	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 2.78	0.01	2.79	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि विस्तार उप मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) प्रदान करना।

(ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत प्रशासनिक खर्च (₹ 3 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) एमआईएस/पीएसएस "(मार्केट इंटरवेंशन स्कीम/प्राइस सपोर्ट स्कीम)" कार्यान्वयन के अन्तर्गत नैफेड को सब्सिडी उपलब्ध करना (₹ 200 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) providing additional Grants in aid General (₹ 3 crore) under Sub-Mission on Agriculture Extension (Centrally Sponsored Scheme) under Krishonnati Yojna – State Plan.

(ii) providing administrative expenditure (₹ 3 crore) including Grants in aid General for Project Management Team under Paramparagat Krishi Vikas Yojna under Krishonnati Yojna – State Plan.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) providing subsidy to NAFED under "Implementation of MIS/PSS (Market Intervention Scheme/ Price Support Scheme)" (₹ 200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.20 करोड़) प्रदान करना। (c) (i) providing additional Grants in aid General under Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 4.20 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan.
- (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित के तहत विशेष घटक योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 31.30 करोड़) (ख) कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 6.20 करोड़) पर उप-मिशन और (ग) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत कृषि विकास योजना (₹ 3 करोड़)। (ii) providing Grants in aid General for Special Component Plan for Scheduled Castes under (a) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 31.30 crore) (b) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 6.20 crore) and (c) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 3 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan.
- (iii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए निम्नलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 100 करोड़) (ख) कृषि मशीनीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 5.40 करोड़) पर उप योजना और (ग) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) परम्परागत कृषि विकास योजना (₹ 2.10 करोड़)। (iii) providing Grants in aid General for Tribal Area Sub-Plan under (a) Mission for Integrated Development of Horticulture (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 100 crore), (b) Sub-Mission on Agriculture Mechanization (Centrally Sponsored Scheme) (₹ 5.40 crore) and (c) Paramparagat Krishi Vikas Yojna (₹ 2.10 crore) under Krishonnati Yojna – State Plan.
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कार्यान्वयन सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़) प्रदान करना। (d) providing Grants in aid General (₹ 3 crore) for implementation of Rashtriya Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT Delhi and Puducherry.
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ङ) (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम (एमआईडीएच)-केन्द्रीय बागवानी संस्थान (केन्द्रीय क्षेत्र) के अन्तर्गत कार्याकारी शीर्ष मोटर यान (₹ 0.15 करोड़) मशीनरी एवं उपकरण (₹ 0.10 करोड़) तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 3.75 करोड़) कार्यालय शीर्ष के तहत नए उपशीर्ष वस्तुशीर्ष में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान से निधियों का पुनर्विनियोजन। (e) (i) re-appropriation of funds from lumpsum provision for North Eastern Region to new sub-head/object head under functional heads, Motor Vehicles (₹ 0.15 crore), Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore) and Major Works (₹ 3.75 crore) under the scheme 'Mission for Integrated Development of Horticulture – Central Institute of Horticulture (Central Sector)'.
- (ii) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए मशीनरी व उपस्कर (₹ 3 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। (ii) meeting additional requirement under Machinery & Equipment (₹ 3 crore) for mobile soil testing laboratory under National Project on Management of Soil Health and Fertility under Krishonnati Yojna – State Plan.
- अनुदान (₹ 1.75 करोड़) के राजस्व खण्ड में उपलब्ध बचतों में अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी खण्ड के अंतर्गत बचतों को उपयोग करने के पश्चात, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant (₹ 1.75 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (च) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के तहत एकीकृत कृषि विपणन स्कीम के तहत मशीनरी उपस्कर की अतिरिक्त जरूरत पूरा करना (₹ 1 करोड़)। (f) meeting additional requirement for Machinery and Equipment under Integrated Scheme on Agriculture Marketing under Krishonnati Yojna – Central Sector (₹ 1 crore).
- अनुदान के राजस्व खण्ड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6320.00	...	6320.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6320.01	...	6320.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- बागवानी संस्थान (₹ 1.35 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा, अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता।
- बागवानी संस्थान (₹ 5 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा, अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता।
- बागवानी संस्थान (₹ 2.20 करोड़) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को स्नातकोत्तर संस्थान बागवानी अनुसंधान और शिक्षा, अमृतसर, पंजाब स्थापित करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹ 6.60 करोड़) को सामान्य अनुदान सहायता।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹ 15.20 करोड़) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
- केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को दी जाने वाली वेतन सहायता (₹ 30.69 करोड़)।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इंस्टिट्यूट (₹ 2 करोड़), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार, पशु विज्ञान संस्थान (₹ 1 करोड़) और क्रोप विज्ञान संस्थान (₹ 1 करोड़)।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इंस्टिट्यूट (₹ 8 करोड़), स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार, पशु विज्ञान संस्थान (₹ 4 करोड़) और क्रोप विज्ञान संस्थान (₹ 4 करोड़)।

- Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 1.35 crore).
- Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 5 crore).
- Grants-in-Aid-Salaries to Indian Council of Agricultural Research for establishment of Postgraduate Institute of Horticulture Research and Education, Amritsar, Punjab under the scheme Horticulture Institutes (₹ 2.20 crore).
- Grants-in-Aid-General to Central Agricultural University, Bihar (₹ 6.60 crore).
- Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Bihar (₹ 15.20 crore).
- Grants-in-Aid-Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 30.69 crore).
- Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 2 crore), Animal Science Institutes (₹ 1 crore) and Crop Science Institutes (₹ 1 crore).
- Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 8 crore), Animal Science Institutes (₹ 4 crore) and Crop Science Institutes (₹ 4 crore).

- | | |
|--|---|
| (ix) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 1 करोड़),
स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण पंजाब। | (ix) Grants-in-Aid-General to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Punjab under the scheme Fisheries Institutes (₹ 1 crore). |
| (x) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को फिशिरी इस्टिट्यूट (₹ 4 करोड़),
स्कीम के तहत केन्द्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण बिहार। | (x) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research for Centre for Research and Training, Bihar under the scheme Fisheries Institutes (₹ 4 crore). |

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2120.22	15.94	2136.16	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	4.45	4.46	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2120.23	20.39	2140.62	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4403 - पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	Voted:	4.45 (खब)	...	4.45
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	4.46	...	4.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला को दी जाने वाली सहायता अनुदान को जारी करना (₹ 1.28 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) रीजिनल केडर स्टेशनों (₹ 0.13 करोड़), सेन्ट्रल पोलिट्र डवलपमेंट ओरगेनाइजेशन (₹ 0.25 करोड़), सेन्ट्रल शीप बीडिंग फार्म (₹ 0.13 करोड़), एनिमल क्वैरन्टिन सर्टिफिकेशन स्टेशनों (₹ 3.90 करोड़) और नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ (₹ 0.04 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) release of Grants-in-aid to Regional Disease Diagnostic Laboratories (₹ 1.28 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement for Regional Fodder Stations (₹ 0.13 crore), Central Poultry Development Organization (₹ 0.25 crore), Central Sheep Breeding Farm (₹ 0.13 crore), Animal Quarantine Certification Stations (₹ 3.90 crore) and National Institutes of Animal Health (₹ 0.04 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व
Revenueपूँजी
Capitalजोड़
Total

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

भारित:

Charged:

1.00

0.50

1.50

स्वीकृत:

Voted:

7583.51

4500.43

12083.94

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

Supplementary Estimate of the amount now required:

स्वीकृत:

Voted:

...

0.02

0.02

जोड़ (मूल और पूरक)

Total (Original plus Supplementary)

7584.51

4500.95

12085.46

भारित:

Charged:

1.00

0.50

1.50

स्वीकृत:

Voted:

7583.51

4500.45

12083.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

आयोजना
Planआयोजना-
भिन्न
Non-Planजोड़
Totalपूँजी भाग
मुख्य शीर्षCAPITAL SECTION
MAJOR HEAD

4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजी परिव्यय

स्वीकृत:

4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries

Voted:

0.01 (का)

...

0.01

5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय

स्वीकृत:

5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research

Voted:

0.01 (खb)

...

0.01

जोड़ (पूरक)

स्वीकृत:

Total (Supplementary)

Voted:

0.02

...

0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एनएफसी - कोटा मेजर वर्क्स (₹ 28.54 करोड़), (ii) मेल्टिंग एण्ड मशीनिंग फेसिलिटी मेजर वर्क्स (₹ 0.16 करोड़), (iii) जिरकोनियम प्रोडक्शन फेसिलिटी का नवीनीकरण आधुनिकीकरण (आरएमजेडपीएफ) मशीनरी और उपस्कर (₹ 1.20 करोड़), (iv) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा (एडब्ल्यूएमएफ) मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 0.64 करोड़), (v) जोराकलोय फेब्रिकेशन एण्ड फ्यूल फेब्रिकेशन फेसिलिटी (एमएजेड4एफ) मशीनरी और उपस्कर का आधुनिकीकरण और वृद्धि करना (₹ 28.18 करोड़) और वृहत कार्य (₹ 9.53 करोड़), (vi) एनएफसी उत्पादों, मशीनरी तथा उपस्कर की उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी हेतु ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रापण (₹ 9.04 करोड़), (vii), कल्पक्कम स्थित वृहत कार्य संबंधी अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली (₹ 4 करोड़), (viii) एकीकृत सूचना प्रणाली (आईआईएस) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रमुख कार्य सहित अनुप्रयोग (₹ 0.28 करोड़), (ix) फास्ट रियक्टक्टर फ्यूल साइकल फेसिलिटी (एफआरएफसीएफ) मशीनरी एवं उपस्कर तथा प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 68 करोड़), (x) यू-धातु उत्पाद सुविधा मशीनरी तथा उपस्कर की ई-अभियांत्रिकी और प्रक्रिया एकीकरण (₹ 1.50 करोड़).

- (a) meeting additional expenditure under following projects: (i) NFC - Kota Major Works (₹ 28.54 crore), (ii) Melting and Machining Facility Major Works (₹ 0.16 crore), (iii) Revamping and Modernisation of Zirconium production facility (RMZPF) Machinery and Equipment (₹ 1.20 crore), (iv) Augmentation of waste Management facilities (AWMF) Machinery and Equipment (₹ 0.64 crore), (v) Modernisation and augmentation of Zorcaloy Fabrication and Fuel Fabrication facility (MAZ4F) Machinery and Equipment (₹ 28.18 crore) and Major Works (₹ 9.53 crore), (vi) Procurement of Transmission Electron Microscope for high resolution microscopy of NFC products, Machinery and Equipment (₹ 9.04 crore), (vii), Support System for Waste Management Facility at Kalpakkam Major Work (₹ 4 crore), (viii) Integrated Information System (IIS) application along with IT infrastructure Major Works (₹ 0.28 crore), (ix) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) Machinery and Equipment and Major Works (₹ 68 crore), (x) Process Integration and e-engineering of U -metal production facility Machinery and Equipment (₹ 1.50 crore).

इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय करना (i) अनुपुरम टाउनशिप वृहत कार्य तथा कलपक्कम स्थित इलेक्ट्रिकल और मकेनिकल प्रणालियों की आधारभूत संरचना (₹ 3 करोड़), (ii) अनुपुरम टाउनशिप में वृहत कार्य हेतु भवनों का निर्माण (₹ 27 करोड़) (iii) फ्रन्ट एंड फ्यूल साइकल मशीनरी तथा उपकरण में आरएण्डडी सहायता (₹ 0.30 करोड़), (iv) स्वास्थ्य देखभाल सेवा मशीनरी तथा उपकरण बढ़ोतरी (₹ 1.72 करोड़) (v) थोरियम प्रौद्योगिकी मशीनरी एवं उपकरण (₹ 3 करोड़), (vi) एडीएस ड्राइवर मशीनरी एवं उपस्कर के फ्रन्ट एंड हेतु निम्न ऊर्जा उच्च गहनता प्रोटोन बढ़ोतरी (एलईएचआईपीए) के विकास हेतु (₹ 2 करोड़), (vii) विशेष सामग्री कार्यक्रम मशीनरी एवं उपस्कर हेतु विकसित प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान एवं विकास (₹ 3 करोड़) (viii) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उपकरणीय मशीनरी और उपस्कर हेतु उन्नत रीर एंड विकास सुविधाओं (₹ 4 करोड़) (ix) लेजर्स प्लास्मास तथा इलेक्ट्रॉन बीम तकनीकी मशीनरी एवं उपस्कर हेतु घटक एवं प्रणाली विकास (₹ 1 करोड़) वृहत कार्य (₹ 1.50 करोड़) (x) क्राइओगेनिक टेम्प्रेचर प्रोसेस सिस्टम मशीनरी एवं उपस्कर का विकास (₹ 1.50 करोड़) (xi) फिजिक्स आफ मेटेरियल्स मेजर वर्क्स (₹ 0.15 करोड़) (xii) मेम्ब्रेन टेक्नोलोजी मशीनरी एवं उपस्कर का विकास एवं अनुप्रयोग (₹ 1.40 करोड़) (xiii) भौतिक विज्ञान मशीनरी एवं उपस्कर में खगोल भौतिकी तथा ऐक्सेलेटर बेस्ड अनुसंधान (₹ 1.49 करोड़) और (xiv) डीएई परियोजना की हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र (₹ 20 करोड़)।
- (b) meeting additional expenditure under following projects: (i) Infrastructure of Electrical and Mechanical Systems at Kalpakkam and Anupuram Township Major Work (₹ 3 crore), (ii) Construction of Houses at Anupuram Township Major Work (₹ 27 crore) (iii) R&D support in Front End Fuel Cycle Machinery and Equipment (₹ 0.30 crore), (iv) Augmentation of Healthcare Services Machinery and Equipment (₹ 1.72 crore) (v) Thorium Technologies Machinery & Equipment (₹ 3 crore), (vi) Development of Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) for front-end of ADS driver Machinery & Equipment (₹ 2 crore), (vii) R&D on Advanced Technologies for Special Material Programme Machinery & Equipment (₹ 3 crore) (viii) Advanced Rear End Development Facilities for Electronics & Instrumentation Machinery & Equipment (₹ 4 crore) (ix) Components & Systems Development for Lasers, Plasmas and Electron Beam Technologies Machinery & Equipment (₹ 1 crore) Major Work (₹ 1.50 crore) (x) Development of Cryogenic temperature process systems Machinery & Equipment (₹ 1.50 crore) (xi) Physics of Materials Major Work (₹ 0.15 crore) (xii) Development & Application of Membrane Technology Machinery & Equipment (₹ 1.40 crore) (xiii) Astrophysics and Accelerator based Research in Physical Sciences Machinery & Equipment (₹ 1.49 crore) and (xiv) Global Centre for Nuclear Energy Partnership in Haryana (₹ 20 crore) of DAE Project.
- इसे ध्यान में रखते हुए कि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

न्यूक्लियर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4168.65	691.00	4859.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4168.66	691.00	4859.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मैसर्स कैमिको, कनाडा (₹ 169.43 करोड़) और मैसर्स कजाटोम्प्राम, कजाकिस्तान (₹ 700 करोड़) से यूरेनियम आयात (₹ 869.43 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards import of uranium (₹ 869.43 crore) from M/s Cameco, Canada (₹ 169.43 crore) and M/s Kazatomprom, Kazakhstan (₹ 700 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1197.00	17.00	1214.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1197.01	17.00	1214.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (i) आयुष पर अंतराष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/सेमीनार कार्यशाला संबंधी स्कीम के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) को बकाया भुगतान करने के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु जीआईए सामान्य (₹ 0.50 करोड़), (ii) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जीआईए जनरल (₹ 1.85 करोड़) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने के लिए एनएएम के अंतर्गत पूंजी आस्तियां सृजित करने के लिए अनुदान (₹ 1.56 करोड़), (iv) होम्योपैथी विषय पर राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 0.35 करोड़), (v) आईआईईएसटी को लागत स्थित आधारभूत अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 2 करोड़), (vi) लखनऊ, कोट्टायम और इंपाल में चारदीवारियों/भवनों के निर्माण हेतु केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4 करोड़), (vii) अनुदान और मानदेय भुगतान के लिए केंद्रीय भुगतान एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत जीआईए सामान्य (₹ 1.35 करोड़), (viii) झज्जर, हरियाणा और नाग-मंगला में दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के लिए एनपीसीसी को भुगतान हेतु केंद्रीय एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 3 करोड़) और (ix) एसीआरआई, नई दिल्ली के लिए भूमि की खरीद और अन्य अनुमोदित देयताओं के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत राशि को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की आवश्यकता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement in i) GIA General for meeting the requirement of funds for making outstanding payment to Indian Council of Cultural Relations (ICCR) under the Scheme, International Exchange Programme/Seminar workshop on AYUSH (₹ 0.50 crore), ii) GIA General to the UTs without legislature under the National AYUSH Mission (NAM) (₹ 1.85 crore), iii) Grants for creation of Capital Assets under NAM to be released to the UTs without legislature (₹ 1.56 crore), iv) GIA General under the Scheme, Central Council of Homoeopathy for holding National Seminar on Homoeopathy (₹ 0.35 crore), v) GIA General under the Scheme, Central Council for Research in Homoeopathy for Basic Research Lab at IEST, Kolkata (₹ 2 crore), vi) Grants for creation of Capital Assets under Scheme, Central Council for Research in Homoeopathy for construction of boundary walls/building at Lucknow, Kottayam and Imphal (₹ 4 crore), vii) GIA General under the Scheme, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment of grants and honorarium (₹ 1.35 crore), viii) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy towards payment to NPCC towards 2nd phase of constructions work at Jhajjar, Haryana and Nagmangla (₹ 3 crore and ix) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences to purchase of land of ACRI, New Delhi and other approved liabilities (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	223.15	32.03	255.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	17.00	...	17.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	240.15	32.03	272.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 17.00	...	17.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी (सीआईपीईटी) को शैक्षिक गतिविधियों में और कुशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षमता को बढ़ावा देने हेतु (₹ 15 करोड़) अतिरिक्त राशि प्रदान करना। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- सामान्य सहायता अनुदान के तहत कैमिकल प्रमोशन एण्ड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस) को (₹ 2 करोड़) और इंस्टीट्यूट आफ पेस्टीसाइड्स फारमूलेशन एण्ड टेक्नोलोजी (आईपीएफटी) को (₹ 0.75 करोड़) की राशि प्रदान करना। अनुदान के पूंजी भाग में ₹ 2 करोड़ की उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के उसी भाग में ₹ 0.75 करोड़ की बचतों को इस्तेमाल करने के पश्चात, उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- providing additional funds to Central Institute of Plastic Engineering & Technology (CIPET) for enhancing the capabilities in academic activities and skill development training programme (₹ 15 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the expenditure will not entail any additional cash outgo.
- providing Grant-in-aid General under Chemicals Promotion and Development Scheme (CPDS) (₹ 2 crore) and Institute of Pesticides Formulation & Technology (IPFT) (₹ 0.75 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 2 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 0.75 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 8

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	77097.76	50.04	77147.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2.80	...	2.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	77100.56	50.04	77150.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 2.80	...	2.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के तहत भुगतान करने के लिए (2.80 करोड़)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

making payment under Management Information Technology (₹ 2.80 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	258.94	0.08	259.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	11.50	11.51	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	258.95	11.58	270.53	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted:	...	11.50 (खb)	11.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	11.50	11.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और शोध संस्थान (एनआईपीआईआर) के स्थापना हेतु अतिरिक्त (₹ 3 करोड़) राशि और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सुविधा केन्द्र को (₹ 0.50 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान कार्य हेतु, भारत की आक्समिक निधि से स्वीकृत ₹ 11.50 करोड़ के अयेषित को ऋण के तौर पर दुबारा निकालना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional funds for establishment of National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh (₹ 3 crore) and for creation of Intellectual Property Rights (IPR)Facilitation Centre (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) recoupment of an advance of ₹ 11.50 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for the purpose of payment of salaries of its employees.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 10

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	813.34	2528.20	3341.54	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	20.05	800.00	820.05	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	833.39	3328.20	4161.59	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted:	20.04 (खb)	...	20.04
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	20.04	0.01	20.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	800.00 (गc)	...	800.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	820.04	0.01	820.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (क) हज चार्टरों के लिए सब्सिडी देना (₹ 500 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रर्थित है।
- (ख) (i) (i) नागर विमानन महानिदेशालय के परिसरों में गौण कार्यों संबंधी निधियों प्रदान रखना (₹ 0.46 करोड़)
(ii) (ii) नागर विमानन महानिदेशालय में तैनात उड़ान संचालन निरीक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करना (₹12.83 करोड़)
(iii) (iii) उड़ान संचालन निरीक्षणों के संबंध में सेवा कर के भुगतान हेतु (₹ 6.75 करोड़ रुपए)
उपर्युक्त खर्च में नकद नहीं देना होगा।
- (ग) इक्विटी समावेशन के रूप में एअर इंडिया को अतिरिक्त निधियां (₹ 800 करोड़) जारी करना। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing subsidy (₹ 500 crore)for Haj Charters.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) providing funds regarding Minor works in premises of the Directorate General of Civil Aviation (₹ 0.46 crore);
(ii) providing remuneration to Flight Operations Inspectors deployed in the Directorate General of Civil Aviation (₹ 12.83 crore);
(iii) for payment of Service Tax with respect to Flight Operations Inspectors (₹ 6.75 crores);
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (c) releasing additional funds to Air India (₹ 800 crore)as equity infusion. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4990.01	101.50	5091.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4990.02	101.50	5091.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत काफी बोर्ड को सब्सिडी (₹ 10 करोड़) उपलब्ध कराना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

providing subsidies (₹ 10 crore) to Coffee Board under Special Component Plan for Scheduled Castes.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2613.58	2.61	2616.19	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	100.00	...	100.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2713.58	2.61	2716.19	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	50.00 (क)	...	50.00
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	50.00 (ख)	...	50.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	100.00	...	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) उत्तर-पूर्व औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपी), 2007 के तहत लम्बित दावों का निपटान करने हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 50 करोड़)।

(a) meeting additional expenditure towards honoring the pending claims under North East Industrial Investment Promotion Policy (NEIIP), 2007 (₹ 50 crore)

उपर्युक्त व्यय में नकद देना होगा।

The above expenditure will entail cash outgo;

(ख) "मेक इन इण्डिया" कार्य योजना (₹ 50 करोड़) के तहत भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(b) meeting additional expenditure towards Indian Leather Development Programme (ILDP) under "Make In India" action Plan (₹ 50 crore)

उपर्युक्त व्यय में नकद देना होगा।

The above expenditure will entail cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 15

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ # देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	13284.10	2590.50	15874.60	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	93.64	...	93.64	
स्वीकृत:	Voted:	9.01	...	9.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13386.75	2590.50	15977.25	
भारित:	Charged:	93.64	...	93.64	
स्वीकृत:	Voted:	13293.11	2590.50	15883.61	
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	भारित: 3451 - Secretariat-Economic Services	Charged:	...	93.64 (का)	93.64
	स्वीकृत:	Voted:	0.01 (खb)	7.00 (गc)	7.01
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted:	...	2.00 (घd)	2.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	102.64	102.65	
भारित:	Charged:	...	93.64	93.64	
स्वीकृत:	Voted:	0.01	9.00	9.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक संचार लि. के पक्ष में पंचाट निर्णय/उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत भुगतान हेतु भारत की आकस्मिक निधि से मंजूर ₹ 93.64 करोड़ की अग्रिम रिकूपिंग।

स्वीकृत अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) चल रही महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास स्कीमों, वेतन तथा विविध खर्चों पर होने वाले व्यय को पूरा करना। (₹ 231 करोड़)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) दूरसंचार विभाग द्वारा किराए पर लिए गए भवन के किराया, दर तथा कर के भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करना (₹ 7 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

- (घ) आईएसएमईएस जालना, डब्ल्यूएमएस शिलांग, आईडब्ल्यूएमएस कोलकाता तथा डब्ल्यूएमएस गोरखपुर (₹ 2 करोड़)।

उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) recouping an advance of ₹ 93.64 crore to Contingency Fund of India sanctioned towards making payment arising out of arbitration award/ Supreme Court orders in favour of M/s Himachal Futuristic Communications Ltd.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of Voted Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (b) meeting expenditure on ongoing important R&D schemes and salaries and miscellaneous expenses (₹ 231 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) meeting expenditure towards Rent, Rates and Taxes to be paid by Department of Telecommunication rented building (₹ 7 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (d) meeting expenditure on pending armed guard bills for ISMES Jalna, WMS Shillong, IWMS Kolkata and WMS Gorakhpur (₹ 2 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	125950.30	10587.25	136537.55	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	650.02	...	650.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	126600.32	10587.25	137187.57	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	...	650.00 (का)	650.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	650.02	650.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	...	(-) 250.00	(-) 250.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) खाद्य तेलों के आयात के चलते लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी (₹ 150 करोड़)।	(a) (i) subsidy for settlement of pending claims on account of import of edible oils (₹ 150 crore).
(ii) "कच्चे चीनी उत्पादन के विपणन और संवर्धन सेवाओं पर सहायता" स्कीम के तहत चीनी कारखानों को सहायता उपलब्ध कराना (₹ 100 करोड़)।	(ii) providing incentive to sugar mills under the scheme "Incentive on Marketing and Promotion Services of Raw Sugar Production" (₹ 100 crore).
(iii) चीनी कारखाना, 2015 को साफ्ट ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम पर ब्याज सहायता का भुगतान (₹ 150 करोड़)।	(iii) payment of interest subvention on scheme for extending soft loan to sugar mills, 2015 (₹ 150 crore).
(iv) चीनी विकास निधि का अंतरण (₹ 250 करोड़)।	(iv) transfer to Sugar Development Fund (₹ 250 crore).
(v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न और फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स मर्जिन को चलाने, अंतर-राज्य परिचालन पर होनेवाले व्यय को पूरा करने हेतु विधानमंडल रहित संघ शासित राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 5 करोड़)।	(v) Central Assistance to UTs without legislature for meeting expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 5 crore).

चीनी विकास निधि (₹ 250 करोड़) से वसूलियों के मद्देनजर और बचतों (₹ 5 करोड़), को उपयोग करने के पश्चात् उपर्युक्त व्यय में ₹ 400 करोड़ का निवल

taking into account matching recoveries from the Sugar Development Fund (₹ 250 crore) and after utilising the savings

नगद व्यय होगा।

(₹ 5 crore), the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 400 crore.

- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर-राज्य परिचालन पर होने वाले व्यय को पूरा करने, खाद्यान्न और फेयर प्राइस शाप डीलर्स' मार्जिन को चलाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 4435 करोड़)।

- (b) Central Assistance to States for meeting expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 4435 crore).

इस अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर-राज्य परिचालन पर होने वाले व्यय को पूरा करने, खाद्यान्न और फेयर प्राइस शाप डीलर्स' मार्जिन को चलाने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता (₹ 60 करोड़)।

- (c) Central Assistance to Union Territories for meeting expenditure on intra-state movement, handling of food grains and Fair Price Shop Dealers' margin under National Food Security Act (₹ 60 crore).

इस अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue		पूँजी Capital		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		स्वीकृत:	Voted:	2091.50	77.50		2169.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:					
स्वीकृत:		स्वीकृत:	Voted:	30.02	0.01		30.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)		2121.52	77.51		2199.03
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत:	2205 -Art and Culture	Voted:	25.00 (कa)	0.01 (खb)		25.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...		0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	5.00 (घd)	...		5.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	30.01	0.01		30.02
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	स्वीकृत:	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (ङe)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	30.02	0.01		30.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एसआई (₹ 20 करोड़) के चयनित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और विकास कार्यों की बजट घोषणा का पालन करना।
- (ii) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना i) वर्षगांठों और शताब्दियों के स्मरणोत्सव के लिए पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु जीआईए सामान्य-अन्य (मिशन, स्कीमें और स्वायत्त संगठन (₹ 5 करोड़), (ii) कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह स्कीम के तहत जीआईए सामान्य-अन्य विभिन्न देशों में कार्यक्रमों त्रयों को आयोजित करने के लिए मिशन, (स्कीमें और स्वायत्त संगठन, वेतन और उत्पादक अनुदानों के अनेकों अनुमोदित मामलों का भुगतान, मध्यस्थता पुरस्कारों के लिए भुगतान ₹ 74 करोड़। iii) परियोजनाओं के कार्यान्वयन, सामान्य और क्षेत्रीय के निर्माण का उन्नयन और विकासात्मक गतिविधियों, कोलकाता, संस्थान स्थापित करने आदि (₹ 11.69 करोड़), के लिए पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, iv) 'लाईब्रेरी' के तहत दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी की विकासात्मक गतिविधियों के लिए पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान - अन्य (मिशन और स्वायत्त संगठनों (₹ 4 करोड़), v) 'निदेशालय' (₹ 0.25 करोड़) के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारतीय पुरातत्व सोसाईटी के अनुदान प्रदान करने के लिए जीआईए

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) implementation of Budget Announcements for carrying out conservation, and developmental works of selected centrally protected monuments of ASI. (₹ 20 crore)
- (ii) meeting additional requirements towards i) GIA for creation of Capital Assets for commemoration of anniversaries & centenaries under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations -Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations (₹ 5 crore), (ii) GIA General under the Scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations -Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations for holding of programmes/ festivals in various countries, payment of large number of approved cases under Salary and Production Grants; payment on account of Arbitration Awards (₹ 74 crore), iii) Grants for creation of Capital Assets for implementation of projects, up-gradation and developmental activities construction of General and Regional Centre, Kolkata; setting up of Institution etc. (₹ 11.69 crore), iv) Grants of creation of Capital Assets for undertaking developmental

सामान्य, vi) "लघु कार्यों" के तहत "प्राचीन स्मारकों के संरक्षण" (₹ 35 करोड़) और vii) "संग्रहालय"-अन्य (राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकरण, स्कीम और स्वायत्त संगठन) (₹ 10.30 करोड़) के तहत विभिन्न कार्यक्रम गतिविधियों, भवन परियोजनाओं और दीक्षाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। ₹ 25 करोड़।

(ख) निम्नलिखित के लिए अनुदान सहायता (i) ललित कला अकादमी के पेंशन, बिजली और पानी बिलों आदि का भुगतान (₹ 3 करोड़). (ii) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभों और पेंशन के भुगतान के लिए (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) निम्नलिखित जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए पूंजी आस्तियां सृजन करने के अनुदान (i) एनईआर में कला और संस्कृति व शताब्दी समारोह के तहत (₹ 1.02 करोड़) और (ii) "संग्रहालय के तहत" (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(घ) निम्नलिखित के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) टैगोर कल्चरल काम्पलेक्स के वर्षगांठों और शताब्दी स्मरणोत्सव और अनुदान सहायता से गांधी विरासत परियोजना साईट मिशन के कार्यान्वयन के लिए पूर्वविनियोजन के लिए कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह (अभियान और स्कीम) की स्कीम (₹ 42.92 करोड़). (ii) "संग्रहालय" राज्यों को फंड प्रदान करने के लिए (₹ 7 करोड़) के तहत अनुदान सहायता से पूर्णविनियोजन।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। ₹ 5 करोड़।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत विभिन्न चालू मुख्य कार्यों और कोर्ट डीक्री की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹ 30 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

activities by Delhi Public Library under 'Libraries' -Others (Missions and Autonomous Organizations) (₹ 4 crore), v) GIA General for providing grant to Indian Archaeological Society by the Archaeological Survey of India under 'Directorate' (₹ 0.25 crore), vi) for completion of ongoing conservation/preservation works etc. under "Minor Works" of 'Conservation of Ancient Monuments' (₹ 35 crore). and vii) Grants for creation of Capital Assets for undertaking various programme/activities, building projects and modernization of galleries under the "Museums -others (National Monuments Authority, Competent Authority, Schemes and Autonomous Organizations)" (₹ 10.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 25 crore.

(b) Grants in aid General to (i) Lalit Kala Akademi for payment of pension, electricity & water bills etc. (₹ 3 crore). (ii) Delhi Public Library for payment of pension and retirement benefits to its employees (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting additional requirement towards Grants for creation of Capital Assets for completion of ongoing projects (i) in NER under the "Scheme of Art and Culture and Centenary Celebration" (₹ 1.02 crore) and (ii) under "Museum" (₹ 0.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) GIA for creation of capital assets under (i) the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations (Missions & Schemes) for commemoration of anniversaries & Centenaries, construction of Tagore Culture Complex and for implementation of project of Gandhi Heritage site Mission (₹ 42.92 crore). (ii) "Museum" for providing funds to State Govt., (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 5 crore.

(e) meeting additional requirement towards expenditure Under Archaeological Survey of India for various ongoing Major Works and also on account of Court Decree (₹ 30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.61	35.00	35.61
	स्वीकृत:	Voted:	20188.58	3653.03	23841.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	300.00	300.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20189.20	3988.03	24177.23	
	भारित:	Charged:	0.61	35.00	35.61
	स्वीकृत:	Voted:	20188.59	3953.03	24141.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 -Customs	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services	Voted:	...	300.00 (खb)	300.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	300.01	300.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) तटरक्षक बल के पीओएल और लघु कार्य (₹ 200 करोड़) के अतिरिक्त खर्च को पूरा करना।
केन्टीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के तहत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) तटरक्षक बल के लिए समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट और फ्लीट (₹ 300 करोड़) की प्राप्ति हेतु व्यय पूरा करना।
केन्टीन स्टोर विभाग (सीएसडी) के तहत स्वीकृत अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है। अतः उपरोक्त व्यय में नकद प्रवाह नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards POL and minor works (₹ 200 crore) to Coast Guard Organisation.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant under Canteen Stores Department (CSD), a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards acquisition of ships, Aircrafts and fleets for Coast Guard Organisation (₹ 300 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the voted Grant under Canteen Stores Department (CSD), a technical supplementary is sought thus the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवा - थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	46.56	...	46.56
	स्वीकृत:	Voted:	106994.27	...	106994.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	30.00	...	30.00
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		107070.84	...	107070.84
	भारित:	Charged:	76.56	...	76.56
	स्वीकृत:	Voted:	106994.28	...	106994.28

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित: 2076 - Defence Services - Army	Charged:	...	30.00 (का)	30.00
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	30.01	30.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय आदेशों के चलते ₹ 30 करोड़ के भुगतान को पूरा करने हेतु।

स्वीकृत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचत को देखते हुए उपर्युक्त, व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) भूमि युद्ध के अध्ययन केन्द्र (सीएलएडब्ल्यूएस) को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए भुगतान को पूरा करने हेतु ₹ 0.07 करोड़। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting expenditure on payment of ₹ 30 crore arising out of Court orders.

Taking into account the surrender of savings available in the same Section of the Voted Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) meeting payment of ₹ 0.07 crore towards additional grants-in-aid to Centre for Land Warfare Studies (CLAWS).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 8.00	...	8.00
	स्वीकृत:	Voted: 14697.73	...	14697.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14705.74	...	14705.74
	भारित:	Charged: 8.00	...	8.00
	स्वीकृत:	Voted: 14697.74	...	14697.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	स्वीकृत: 2079 -Defence Services - Ordnance Factories	Voted: ...	0.01 (का)	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) विजयांता सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को (0.14 करोड़) की अतिरिक्त सहायता अनुदान देना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing additional grants-in-aid to Vijayanta Senior Secondary School (₹ 0.14 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 28

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	136.50
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged:	...	0.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	94588.11	94588.11
	भारित:	Charged:	...	136.61
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.50
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Charged:	...	0.11 (का) 0.11

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों के कारण (₹ 0.11 करोड़) के भुगतान को पूरा करना।
स्वीकृत अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए
सांकेतिक पूरक अपेक्षित है, व्यय में अतिरिक्त नकद नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

- (a) meeting payment arising out of Court orders. (₹ 0.11 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the
Capital Section of the Voted Grant, the above expenditure will
not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2205.74	327.00	2532.74	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	75.00	75.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2205.76	402.00	2607.76	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	75.00 (ग)	...	75.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	75.02	...	75.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उत्तर-पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (₹ 75 करोड़)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) उत्तर-पूर्व राज्यों सड़क निवेश परियोजना (₹ 100 करोड़)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (₹ 75 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) North Eastern Rural Livelihood Project (₹ 75 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) North-Eastern States Road Investment Programme (₹ 100 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) North East Road Sector Development Scheme (₹ 75 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6243.87	...	6243.87	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	2685.01	...	2685.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8928.88	...	8928.88	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	2685.00 (खब)	...	2685.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	2685.01	...	2685.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त राशि को पूरा करना (₹ 229 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (₹ 1500 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम- सामान्य (₹ 749 करोड़) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-डीडीपी (₹ 251 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के ईएपी घटक (₹ 185 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

(ii) स्वच्छ भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को सहायतार्थ प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना के लिए सामान्य अनुदान सहायता का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹ 250 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, इसमें ₹ 2685 करोड़ का नकद प्रवाह होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional amount for advertising and publicity (₹ 229 crore) under Water Supply and Sanitation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) meeting additional expenditure (₹ 1500 crore) for Swachh Bharat Mission (Gramin), National Rural Drinking Water Programme - normal (₹ 749 crore), National Rural Drinking Water Programme- DDP (₹ 251 crore) and EAP component of National Rural Drinking Water Programme (₹ 185 crore).

(ii) meeting additional expenditure of Grants-in-Aid General for proposed World Bank Project (₹ 250 crore) for support to Swachh Bharat Abhiyan/Swachh Bharat Mission (Gramin).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash out go of ₹ 2685 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11238.00	3728.80	14966.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	10.00	...	10.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11248.03	3728.80	14976.83
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted:	11248.00	3728.80	14976.80

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted:	...	10.00	10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(i) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को अतिरिक्त तिथियां नियत करते हुए (i)परिसर के निर्माण हेतु (175 करोड़ रुपए) और (ii) किराया और वार्षिक अंशदान के व्यय के लिए (36 करोड़ रु)</p> <p>(ii) उप-राष्ट्रपति के विदेशी दौरों से संबंधित हण्डियों के निपटारे के लिए (95.54 करोड़ रु)</p> <p>(iii) वीवीआईपी गतिविधियों के लिए 747 के रखरखाव के लिए एयर इंडिया को भुगतान (188.91 करोड़ रु)</p> <p>(iv) भोपाल में 10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन से संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु (10 करोड़ रु)चूंकि उपर्युक्त व्यय, अनुदान के राजस्व भाग में 495.45 करोड़ के पुनः विनियोग से आंशिक तौर पूरा किया जाएगा, शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है। इससे 10 करोड़ रुपए का नकद प्रवाह होगा।</p> | <p>(i) allocating additional funds to South Asian University for (i) construction of the campus (₹ 175 crore), and (ii) for meeting expenditure towards rent and annual contribution (₹ 36 crore)</p> <p>(ii) settlement of bills relating to Vice President's abroad visits (₹ 95.54 crore)</p> <p>(iii) payment to Air India towards maintenance cost (₹ 188.91 crore) of B747 Aircraft for VVIP movements.</p> <p>(iv) meeting expenditure relating to 10th World Hindi Conference at Bhopal (₹ 10 crore). As the above expenditure will be partly met by re-appropriation of ₹ 495.45 crore in the Revenue section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. This will entail a cash out go of ₹ 10 crore.</p> |
|--|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 34

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	17774.88	5601.69	23376.57
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	13.34	...	13.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17788.22	5601.69	23389.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	13.33 (का)	13.33
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	13.34	13.34

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अंशदान के कारण ₹ 13.33 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
नकद प्रवाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे प्रतिभूतियों के स्वरूप में प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- (ख) मार्च, 2016 में अडवांसिंग एशिया: इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर पर हुई उच्चस्तरीय सभा को आयोजित करने और भारत के लिए इसकी कुल कीमत के व्यय को पूरा करने के लिए जो लगभग 210000 अमरीकी डालर होगी (₹ 1.37 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 13.33 crore on account of Contributions to International Development Association.
There will be no cash outgo as this would be matched by receipts in the form of securities.
- (b) meeting expenditure towards hosting a High Level Conference on Advancing Asia : Investing for the Future held in March, 2016 and the total cost for India would be around USD 210000 (₹ 1.37 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	15311.80	17495.00	32806.80	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	500.02	12221.20	12721.22	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15811.82	29716.20	45528.02	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 -General Financial and Trading Institutions	Voted: 500.00 (गc)	...	500.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 500.01	0.01	500.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 12110.00 (घd)	...	12110.00	
6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6416 - Loans to Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	111.20 (ङe)	111.20	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 12110.00	111.20	12221.20	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 12610.01	111.21	12721.22	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण व अंशदान संग्रहण की प्रोत्साहन व विकासात्मक गतिविधियों के ₹ 93 करोड़ का खर्च पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा (पीएमबीएसवाई) के समर्पित उपकर/जगह रूकता फैलाना के ₹ 50 करोड़ खर्च करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत प्रदत्त ऋणों को गारंटी उपलब्ध कराने हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना(₹ 500 करोड़)।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

- (घ) (i) सरकारी क्षेत्र बैंक के पूर्ण पूंजीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करना (₹ 12010 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting expenditure of ₹93 crore on promotional and developmental activities for enrolment and contribution collection under Atal Pension Yojana (APY).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) Meeting expenditure of ₹ 50 crore for supporting publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana (PMBSY).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Establishment of Credit Guarantee Fund for providing guarantees to Loans extended under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) (₹ 500 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (d) (i) meeting expenditure on recapitalization of Public Sector Banks (₹ 12010 crore).

(ii) मुद्रा बैंक के स्थापना हेतु इक्विटी अंशदान (₹ 100 करोड़)।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

(ड) केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 111.20 करोड़ कृषि और ग्रामीण विकास की राष्ट्रीय बैंक को जम्मू और कश्मीर में गैर-लाइसेंस जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के जीर्णोद्धार के लिए बिना ब्याज के ऋण के खर्च को पूरा करना।

उक्त व्यय से नगद खर्च होगा;

(ii) Equity Contribution for establishment of the MUDRA Bank (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

(e) providing ₹ 111.20 crore to National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of Unlicensed District Central Cooperative Banks (DCCBs) in the State of Jammu and Kashmir as Central Government's share.

The above expenditure will entail a cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 40

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	156.84	...	156.84
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	37.00	...	37.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	193.84	...	193.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: 37.00	...	37.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
पीएफएमएस के व्यय को पूरा करना (₹ 37 करोड़)।

मांग सं. 76 के तहत योजना आयोग (नीति आयोग) द्वारा अभ्यर्पित की जाने वाली राशि को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting expenditure of Public Financial Management System (PFMS) (₹ 37 crore).

Taking into account the amount may be surrender by Planning commission (NITI Ayog) under Demand No. 76, the above expenditure will not entail any additional cash outgo

मांग संख्या DEMAND NO. 47

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	505.51	...	505.51	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	505.52	...	505.52	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) गुणवत्ता पूरक आश्वासन स्कीम, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोन्नति विषयक कार्यकलापों के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। (₹ 2 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting additional requirement for Advertising & Publicity under the Scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 48
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	31501.32	867.35	32368.67	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	650.02	0.01	650.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	32151.34	867.36	33018.70	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	65.00 (गc)	...	65.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	583.00 (घd)	...	583.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	2.00 (ङe)	...	2.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	650.02	...	650.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	650.03	...	650.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क)(i) निम्नलिखित सामान्य अनुदान सहायता की अतिरिक्त जरूरत पूरा करना - टेलीमेडिसिन स्कीम में कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एंजेंसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 43 करोड़) 2. राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिनी और दौरा रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 4 करोड़)। 3. तम्बाकू विरोधी अभियान के लिए व्यय को पूरा करना (₹ 16 करोड़)। 4. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 1 करोड़) 5. बर्न इन्जरी की रोकथाम और प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 0.40 करोड़)। 6. अंधता (₹ 1 करोड़) हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 7. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 11 करोड़) (ईएससी) 8. देश में एनएसओ की अप्रमाणिक व मानक गुणवत्ता रहित की कुछ सीमा तक समस्या की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय फार्मा-सतर्कता कार्यक्रम (₹ 8.50 करोड़) ii) निम्नलिखित के लिए सामान्य अनुदान के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए भुगतान करना 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए (₹ 40 करोड़) 2. राज्य सरकारों के चिकित्सा (पीजी सीटें) का उन्नयन (₹ 5 करोड़) 3. स्कूलों/महाविद्यालयों (₹ 5.5 करोड़) का

The supplementary grants are required for:

(a) (i) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General:- 1. For providing financial assistance to implementing agencies for implementation of Telemedicine scheme (₹ 43 crore), 2. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 4 crore), 3. For meeting expenditure on Anti-Tobacco campaign (₹ 16 crore), 4. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 1 crore), 5. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 0.40 crore), 6. National programme for Blindness (₹ 1 crore), 7. National VBD control programme (₹ 11 crore)(EAC), 8. National Pharmacovigilance Programme for survey of extant problem of spurious and not standard quality NSO in the country (₹ 8.50 crore), ii) making payment under Grants-in-aid for creation of Capital Assets :- 1. For establishment of new

मजबूती/उन्नयन 4. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में (₹ 14 करोड़) राज्य स्तर के संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान स्थापित करना। 5. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 4 करोड़) 6. राष्ट्रीय बहरापन रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत (₹ 0.70 करोड़) 7. अत्याधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए इंडियन फार्मोकीपिया आयोग का निर्माण (₹ 4 करोड़) iii) सचिवालय के लिए श्रम शक्ति आउटसोर्स करने और निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत आईईसी कार्यक्रमों से संबंधित खर्च पूरा करने के लिए - 1. टेलीमेडिशन

(₹ 7 करोड़) 2. कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 5.20 करोड़) 3. जोनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (₹ 1 करोड़) 4. वायरल हेपेटिटिस कार्यक्रम (₹ 0.91 करोड़) के लिए। 5. एंटी माइक्रोवाइल प्रतिरोध (₹ 1 करोड़) 6. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 एनसीडीसी शाखाएं स्थापित करने के लिए (₹ 1.50 करोड़)। 7. अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 12 करोड़) 8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) 9. राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधा के विस्तार हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 10.10 करोड़) 10. जलने से हुई दुर्घटना के रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹ 16.47 करोड़) 11. एपीएचओ सहित (₹ 13 करोड़) पतन स्वास्थ्य स्थापना के लिए। 12. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 24.50 करोड़) के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (i) गर्भनिरोधकों की निशुल्क आपूर्ति और सामाजिक विपणन की लागत को पूरा करना (₹ 50 करोड़) ii) एनआरएचएम (₹ 34.50 करोड़) के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन की मजबूती के संबंध में सामान्य अनुदान सहायता जारी करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) (i) (ग) (i) निम्नलिखित स्कीमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान - 1. नर्सिंग सर्विसिज (एनएएम/जीएनएम ₹ 1 करोड़) के उन्नयन/मजबूत बनाने के लिए 2. राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सरकारी अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं के विकास हेतु क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 7.61 करोड़) 3. बर्न इनजरी की रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 2.86 करोड़) 4. वृद्ध के राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए (₹ 0.50 करोड़) 5. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए (₹ 82.29 करोड़) (ईएसी) ii) निम्नलिखित स्कीमों के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान इस प्रकार है - 1. देश में वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा कालेजों की स्थापना हेतु (₹ 250 करोड़) 2. राज्य सरकारी चिकित्सा कालेजों को मजबूत करने और सुधार हेतु (₹ 10 करोड़) (पी जी सीटी) 3. फार्मसी स्कूलों/कालेजों/सुधार हेतु (₹ 1.50 करोड़) 4. नर्सिंग सेवाओं (एनएएम/जीएनएम) को सुदृढ़ करने के/मजबूत करने हेतु (₹ 4 करोड़) 5. राष्ट्रीय कार्यक्रम कैंसर,

Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 40 crore), 2. For upgradation of State Govt. Medical Colleges (PG Seats) (₹ 5 crore), 3. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 5.50 crore), 4. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 14 crore), 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 4 crore), 6. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.70 crore), 7. Indian Pharmacopoeia Commission for construction of State of Art Laboratory (₹ 4 crore), iii) For meeting expenditure on outsourcing of manpower for secretariat support and IEC activities under the following Programmes: 1. Telemedicine (₹ 7 crore), 2. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 5.20 crore), 3. For Prevention & Control of Zoonotic Diseases (₹ 1 crore), 4. For Viral Hepatitis Programme (₹ 0.91 crore), 5. For Anti-Microbial Resistance (₹ 1 crore), 6. For establishing 30 branches of NCDC in States and UTs (₹ 1.50 crore), 7. For Blindness Control Programme (₹ 12 crore), 8. For National Health Programme (₹ 10 crore), 9. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 10.10 crore), 10. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 16.47 crore), 11. For Port Health Establishment including APHO (₹ 13 crore), 12. For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 24.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) To meet cost of contraceptive for Free Supply and Social Marketing (₹ 50 crore), (ii) For releasing Grants-in-Aid General in respect of Strengthening National Prog. Management of the NRHM (₹ 34.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) (i) Grants-in-aid General for meeting requirement under the following Schemes : 1. For upgradation/strengthening of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 1 crore), 2. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 7.61 crore), 3. For assistance for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 2.86 crore), 4. For National Programme for Health Care of the Elderly (₹ 0.50 crore), 5. National VBD Control Programme (₹ 82.29 crore) (EAC). (ii) Grants-in-aid for creation of Capital Assets in respect of the following Schemes : 1. For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 250 crore), 2. For strengthening and upgradation of State Govt. Medical Colleges (PG Seats) (₹ 10 crore), 3. For

मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर रोगों और स्ट्रोक के नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु (₹ 30 करोड़) 6. सरकारी चिकित्सा कालेजों में राज्य स्तरीय संबंध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों की स्थापना हेतु (₹ 3 करोड़) 7. एनआरएचएम को फॉरवर्ड लिंकेंजिस हेतु (₹ 50 करोड़) 8. राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने सरकारी हस्पतालों में ट्रौमा केयर सुविधाओं के विकास हेतु क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 52.68 करोड़) 9. बर्न इनजरी की रोकथाम और प्रबंधन की क्षमता निर्माण को सहायता (₹ 15.60 करोड़) 10. राष्ट्रीय बहरापन की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टेम्पोरल लैब की स्थापना हेतु स्वायत्त चिकित्सा कालेजों को (₹ 0.25 करोड़)।

- (ii) (iii) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित श्रमकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65 करोड़)

अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 65 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (घ) (i) (घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 583 करोड़)।

अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 583 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (ii) (ii) निम्न के तहत आवश्यकता पूरी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान - 1. उपचारिका सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) के उन्नयन का सुदृढीकरण (₹ 5 करोड़)। 2. गिनिया वार्म कार्यक्रम (₹ 0.10 करोड़)। 3. राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम (₹ 47 करोड़)। 4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 23 करोड़)। 5. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 59.12 करोड़)। 6. बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 5 करोड़)। 7. राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (₹ 10 करोड़) 8. राष्ट्रीय वीबीडी नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 10.41 करोड़) (ईएसी) (ii) निम्न संस्थानों स्कीमों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान 1. देश में वंचित क्षेत्रों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए (₹ 1210 करोड़) 2. स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि/सृजन हेतु राज्य सरकारी चिकित्सा कालेजों के अन्नयन हेतु (₹ 100 करोड़)। 3. उपचारिका सेवाओं (एएनएम/जीएनएम) के उन्नयन का सुदृढीकरण (₹ 40 करोड़)। 4. राज्य केंद्रीय सरकारी चिकित्सा कालेजों राष्ट्रीय के सुदृढीकरण और उन्नयन के लिए (₹ 385 करोड़) 5. राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 238 करोड़)। 6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के

Strengthening/Upgradation of Pharmacy School/Colleges (₹ 1.50 crore), 4. For Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 4 crore), 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 30 crore), 6. For setting up of State level institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 3 crore), 7. For Forward Linkages to NRHM (₹ 50 crore), 8. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 52.68 crore), 9. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 15.60 crore), 10. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 0.25 crore).

- (ii) Grants-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in NE States (₹ 65 crore).

Taking into account the savings of ₹ 65 crore available in the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.

- (d) (i) Grants-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana in States (₹ 583 crore).

Taking into account the savings of ₹ 583 crore available in the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.

- (ii) Grant-in-Aid General for meeting requirement under the following 1. For Strengthening upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 5 crore), 2. For Guinea-Worm Programme (₹ 0.10 crore), 3. For National Blindness Programme (₹ 47 crore), 4. For National Mental Health Programme (₹ 23 crore), 5. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 59.12 crore), 6. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 5 crore), 7. For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 10 crore), 8. National VBD control programme (₹ 10.41 crore)(EAC), (ii) Grant-in-Aid for creation of Capital Assets for the following institutions/Schemes: 1. For establishment of new Medical Colleges in underserved areas in the country (₹ 1210 crore), 2. For upgradation of State Govt. Medical Colleges for increase/creation of PG Seats (₹ 100 crore), 3. For Strengthening/upgradation of Nursing Services (ANM/GNM) (₹ 40 crore), 4. For strengthening and upgradation of State/Central

लिए (₹ 40 करोड़)। 7. राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 59.86 करोड़)। 8. बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 49.67 करोड़)। 9. राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (₹ 15 करोड़) 10. राष्ट्रीय अंधता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 4 स्टेशन बोन टैपोरेल की स्थापना हेतु स्वायत्त चिकित्सा कालेजों के लिए (₹ 1.98 करोड़)।

(ii) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ड) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करने हेतु, सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)।
अनुदान सं. 62, श्रम मंत्रालय में उपलब्ध 2 करोड़ की बचत के मद्देनजर, जिसका अभ्यर्पण किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिससे कोई नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (ii) (i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु, जरूरत पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। (ii) निम्न संस्थानों/स्कीमों के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान। 1. (i) कैंसर रोकथाम और नियंत्रण मधुमेह, कार्डियो वस्कुलर डिजेज एंड स्ट्रोक के राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 18 करोड़) 2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (₹ 1 करोड़)। 3. सरकारी मेडिकल कालेजों में संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञानों के राज्य स्तरीय संस्थानों की स्थापना हेतु (₹ 3 करोड़) 4. फार्मा स्कूलों/कालेजों के सुदृढीकरण उन्नयन हेतु (₹ 3 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (च) (i) राज्यों में एनसीडीसी की 30 शाखाओं की स्थापना संबंधी पूंजी व्यय को पूरा करना (₹ 8.50 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में अभिघात सेवा सुविधाएं विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 9.63 करोड़)। (iii) बर्न इंजरी की रोकथाम व प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में सहायता हेतु (₹ 10 करोड़)। (iv) सीआईपी, रांची में एमआरआई मशीन की खरीद के लिए (₹ 14 करोड़)। (v) एपीएचओ सहित पोर्ट स्वास्थ्य संगठन संबंधी पूंजी व्यय पूरा करना (₹ 12 करोड़)। (vi) पैरा मेडिकल संस्थानों आरआईपीएस/एनआईपीएस का सुदृढीकरण (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Govt. Medical Colleges (₹ 385 crore), 5. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 238 crore), 6. For National Mental Health Programme (₹ 40 crore), 7. For assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 59.86 crore), 8. For assistance to Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 49.67 crore), 9. For National Programme for Health Care of Elderly (₹ 15 crore), 10. To Autonomous Medical Colleges for setting up of 4 Station Bone Temporal Lab under National Programme for prevention and control of Deafness (₹ 1.98 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) Grant-in-Aid General for meeting additional requirement towards social security to unorganized workers under Rashtriya Swasthya Bima Yojana (₹ 2 crore)

Taking into account the savings of ₹ 2 crore available in the Grant No. 62 Ministry of Labour, which will be surrendered, a technical supplementary is sought, which will not entail any cash outgo.

- (ii) (i) Grant-in-Aid General for meeting requirement for National Mental Health Programme (₹ 1 crore), (ii) Grant-in-Aid for creation of Capital Assets in respect of following Institutions / Scheme 1. For implementation of National programme for Prevention & Control of Cancer, Diabetes, Cardio-vascular diseases & Stroke (₹ 18 crore), 2. For National Mental Health Programme (₹ 1 crore), 3. For setting up of State level Institutions of Allied Health Sciences in Govt. Medical Colleges (₹ 3 crore), 4. For strengthening/upgradation of Pharmacy Schools/Colleges (₹ 3 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (f) (i) To meet capital expenditure on establishing 30 branches of NCDC in States (₹ 8.50 crore), (ii) To meet capital expenditure on assistance to Capacity Building for developing Trauma Care Facilities in Govt. Hospitals on National Highways (₹ 9.63 crore), (iii) For assistance for Capacity Building for prevention & management of Burn injury (₹ 10 crore), (iv) For procurement of MRI machine at CIP Ranchi (₹ 14 crore), (v) For meeting capital expenditure on Port Health Establishment including APHO (₹ 12 crore), (vi) Strengthening/creation of Para-medical Institutions (RIPS/NIPS) (₹ 20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:		1347.00	50.00	1397.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:		0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1347.01	50.00	1397.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ईएपी घटक से इएपी घटक (₹ 10 करोड़) को पुनर्विनियोग के द्वारा राज्य सरकार को सहायता अनुदान के अन्तर्गत विद्यमान परित्यक्त प्रावधान के उपयोग हेतु वैश्विक निधि से अतिरिक्त ईएपी घटक को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional EAP component from Global Fund for utilization of remaining provision under Grant-in-aid to State Govt. by re-appropriation from Non-EAP component to EAP Component. (₹ 10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1521.57	48.43	1570.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1521.59	48.43	1570.02	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्कीम के तहत खरीदी गए अग्निशमन और बचाव उपकरणों के संबंध में दीर्घावधिक बकाया के व्यवस्थापन हेतु आपूर्तियों व सामग्री हेतु व्यय पूरा करना। (₹ 0.83 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 16 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान (₹ 232.34 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for Supplies and Material for settlement of long outstanding dues in respect of firefighting and rescue equipment procured under Japanese International Cooperation Assistance Scheme (₹ 0.83 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting expenditure for Grants in aid General (₹ 16 crore) and Grants in aid for creation of capital assets (₹ 232.34 crore) for National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	416.99	...	416.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	100.00	...	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	516.99	...	516.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers	Voted:	...	100.00
				100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एयर इण्डिया के लंबित दावों की स्वीकृति (₹ 100 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद खर्च होगा।

The supplementary grant is required for:

clearing pending claims from Air India for operating and maintaining Prime Minister's Aircraft (₹ 100 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted: 53568.83	9015.49	62584.32
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	100.01	100.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	53581.12	9123.42	62704.54
	भारित:	Charged: 12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted: 53568.84	9115.50	62684.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (खb)	100.00 (गc)	100.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	100.01	100.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा सर्वोदय विद्यालय में अनुदान सहायता सामान्य के खर्च को पूरा करना। (₹ 0.10 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) लंबित दाताओं को पूरा करने और असम राइफल्स द्वारा कार्यालय भवन (₹ 48.62 करोड़) और सीमा आऊट पोस्ट निर्माण द्वारा विद्यमान देयताओं को पूरा करना (₹ 9.80 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ग) मैसर्स रोसोबोर्न एक्सपोर्ट, रूस से छः एमआई17V-5 हेलीकोप्टर खरीदने के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्ध और वर्तमान देयताओं को पूरा करना। (₹ 452.82 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपरोक्त व्यय में ₹ 100 करोड़ का नकद खर्च होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting expenditure for Grants in Aid General under "Swachh Bharat Abhiyan" in respect of Sarvodaya Kanya Vidhyalaya by National Investigation Agency (₹ 0.10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting pending and current liabilities of Assam Rifles for Office Buildings (₹ 48.62 crore) and construction of Border Out Posts (₹ 9.80 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional committed and current liability for procurement of six MI 17 V-5 Helicopters from M/s Rosoborn export, Russia (₹ 452.82 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 100 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 56

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 2206.03	358.53	2564.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 27.92	...	27.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2233.98	358.53	2592.51
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 2233.95	358.53	2592.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: 22.91 (खb)	...	22.91
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 5.00 (गc)	...	5.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 27.91	0.01	27.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	1984 के दंगों के मामलों में जांच पुनः जांच हेतु नवगठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के लिए विभिन्न खाताशीर्षों को खोलना (₹ 8.22 करोड़)।	(a)	opening of various administrative heads of account, for the newly constituted Special Investigation Team (SIT) for investigating/re-investigating the cases of 1984 riots (₹ 8.22 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम सहित 'अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं' संबंधी विभिन्न प्रशासनिक खर्च पूरा करना (₹ 22.91 करोड़) जिसे सीधे एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त खर्च में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting various administrative expenditure on 'Other Disaster Management Projects' including School Safety Programme (₹ 22.91) to be directly implemented by NDMA henceforth. Taking into account the surrender of savings available in the capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	राज्य सरकारों के संबंध में 'अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना' के तहत अनुमोदित पहलों का खर्च पूरा करना (₹ 5 करोड़ जिसे सीधे एनडीएमए द्वारा कार्यान्वित किया जाना है)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त खर्च में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(c)	for meeting approved initiatives under 'Other Disaster Management Project' in respect of State Governments (₹ 5 crore) to be directly implemented by NDMA henceforth. Taking into account the surrender of savings available in the capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	5634.47	...	5634.47	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5634.51	...	5634.51	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01 (ग)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (घ)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के लिए सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 8 करोड़)
- (ii) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान को (₹499.99 करोड़) बढ़ाया।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) पेशेवर सेवाओं के तहत प्रावधान में (₹5 करोड़) की वृद्धि और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन - शहरी गरीब के लिए मूलभूत सेवाएं स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़)।
- (ii) अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (₹0.05 करोड़) का प्रावधान, प्रशासनिक सेवाओं (₹0.90 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹16.41 करोड़), अंतरराष्ट्रीय विकास सहायक परियोजना विभाग की स्कीम के तहत।
- (iii) अन्य प्रशासनिक खर्चों के तहत (₹0.16 करोड़), प्रावधान की वृद्धि और पेशेवर सेवाओं (₹0.67 करोड़) शहरी विकास परियोजनाओं की क्षमता निर्माण स्कीम के तहत।
- (iv) जपानी एनसीफलीटिस/अक्यूट एनसीफलीटिस सिनड्रोम के साथ झुग्गी-झोपड़ियों की बस्ती एनडीएम में पेयजल आपूर्ति स्कीम के तहत (143 करोड़ रुपये) व्यय को पूरा करना।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) release of Grants-in-aid General to Building Material & Technology Promotion Council (₹ 8 crore).
- (ii) augmenting Grant in aid General in respect of Credit Linked Subsidy Scheme (₹ 499.99 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) augmenting provision under Professional Services (₹ 5 crore) and Grants in aid General (₹ 3 crore) under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission – Basic Services for Urban Poor.
- (ii) augmenting provision under Other Administrative Expenses (₹ 0.05 crore), Professional Services (₹ 0.90 crore) and Grants in aid General (₹ 16.41 crore) under the scheme of Department for International Development supported Project.
- (iii) augmenting provision under Other Administrative Expenses (₹ 0.16 crore) and Professional Services (₹ 0.67 crore) under the scheme of Capacity Building for Urban Development projects.
- (iv) meeting expenditure under the scheme Drinking Water Supply in slum households endemic with Japanese Encephalitis/Acute Encephalitis Syndrome (₹ 143 crore).

	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान के लिए प्रावधान में (5.80 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(c)	augmenting provisions towards payment for various projects under National Urban Livelihoods Mission (₹ 5.80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	राज्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान को प्रदान करना, (i) शहरी गरीबों और बुनियादी सेवाओं के लिए 80 करोड़ रुपए और (ii) एकीकृत आवास एवं झुग्गी-झोपड़ी विकास परियोजना (58 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(d)	releasing Grants in Aid General and Grants in Aid for creation of Capital Assets to States under the schemes, (i) ₹ 80 crore for Basic Services for Urban Poor and (ii) ₹ 58 crore for Integrated Housing & Slum Development Project. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	69794.50	...	69794.50	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	69794.51	...	69794.51	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

i) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत जीआइए सामान्य (₹ 3.05 करोड़), ii) आरएमएसए की स्कीम में विधानमंडल के बगैर, संघ शासित राज्य के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के अनुदान के लिए (₹ 10.24 करोड़), iii) उत्कृष्टता के मानदण्ड के तौर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना स्कीम के तहत पेशेवर सेवाओं का प्रदान करने के लिए, मुख्य शीर्ष 3601-जीआइए सामान्य से पुनः विनियोग के लिए (₹ 0.69 करोड़), iv) मदरसों स्कीम जिसके तहत अल्पसंख्यकों (एसपीक्यूईएम) को शिक्षा प्रदान करने, वकीलों के भुगतान, टीए, डीए इत्यादि, जोकि मुख्य शीर्ष 3601-जीआइए सामान्य से पुनः विनियोग करने के लिए (₹ 0.50 करोड़), v) एमडीएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्कीम के तहत एफसीआई के रीवॉल्विंग फण्ड के जीआइए सामान्य (₹ 14.40 करोड़) और vi) नवोदय विद्यालय समिति की स्कीम के तहत जीआइए वेतन (₹ 94 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement towards i) GIA General under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 3.05 crore), ii) Grants for creation of Capital Assets under UT without Legislature in the Scheme of RMSA (₹ 10.24 crore), iii) Professional services under the Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence (₹ 0.69 crore), iv) Other charges under the Scheme for providing Education to Madrasahs/Minorities (SPQEM) for making payments to advocates, TA/DA, etc (₹ 0.50 crore), v) GIA General for revolving fund of FCI in the Scheme of National Programme of MDM (₹ 14.40 crore) and vi) GIA Salary under the Scheme for Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
-------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

स्वीकृत:

Voted: 26855.26 ... 26855.26

इस समय आवश्यक रकम का पूरक

Supplementary Estimate of the amount

अनुमान:

now required:

स्वीकृत:

Voted: 0.03 ... 0.03

जोड़ (मूल और पूरक)

Total (Original plus Supplementary)

26855.29 ... 26855.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
----------------	------------------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत:	2202 -General Education	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत:	2203 -Technical Education	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) नेशनल बुक ट्रस्ट फार बुक प्रमोशन को अनुदान स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 10 करोड़) तथा अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल मिशन आन टीचर्स एण्ड ट्रेनिंग के स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन का अनुदान (₹ 75 करोड़)।

(a) meeting additional requirement towards (i) GIA General under the Scheme of 'Grants to National Book Trust/Institutions for Book promotion (₹ 10 crore) and Grants of creation of Capital Assets under the Scheme of 'National Mission on Teachers and Teaching for meeting additional requirement (₹ 75 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) तथा (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की निम्नांकित स्कीमों के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹ 317 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 198 करोड़), इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च (₹ 125 करोड़), भारतीय इंजीनियरिंग साइंस एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹ 27 करोड़), बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (₹ 1 करोड़), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च संस्थान (₹ 10), सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 20.40 करोड़), पीपीपी माडल में आईआईटी की स्थापना (₹ 34 करोड़) तथा भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 50 करोड़)।

(b) meeting additional requirements towards (i) GIA General under the Scheme of 'Setting up of Indian Instt. of Engineering, Science and Technology (₹ 10 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following Schemes: Indian Institutes of Technology (₹ 317 crore), National Institutes of Technology (₹ 198 crore), Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research (₹ 125 crore), Setting up of Indian Institute of Engineering Science and Technology (₹ 27 crore), Board of Apprenticeship Training (₹ 1 crore), National Institutes of Technical Teachers Training & Research (₹ 10 crore), Training & Research in Frontier Areas (₹ 20.40 crore), Setting up of IIITs in PPP Model (₹ 34 crore) and Indian Institute of Management(IIM) (₹ 50 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (i) आईआईएम स्कीम के अन्तर्गत

(c) meeting additional requirement towards (i) GIA Salary under the

वेतन सहायता अनुदान (₹ 8 करोड़) तथा (ii) निम्नांकित स्कीमों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान: आईआईएम (₹ 10 करोड़) तथा (iii) एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफटी रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता (₹ 30 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Scheme of IIM (₹ 8 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets for the following schemes : IIM (₹ 10 crore) and Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar (₹ 30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

सबचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3686.11	25.00	3711.11	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	11116.78	0.01	11116.79	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14802.89	25.01	14827.90	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
2221 - प्रसारण	स्वीकृत: 2221 -Broadcasting	Voted:	...	11116.76 (गc)	11116.76
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	11116.77	11116.78
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4220 - सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4220 - Capital Outlay on Information and Publicity	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	11116.77	11116.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म और वृत्तचित्र के निर्माण' की आयोजना स्कीम के अन्तर्गत उपयोगिता "वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण" हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करना (₹ 1.40 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) ₹ 0.60 करोड़ 'सूचना भवन' (₹ 0.50 करोड़) के कार्यालय स्थान के नवीकरण और फिल्म प्रमाणन और अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों को मानदेय प्रदान करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ग) निम्न का अंतरण (i) पीछे से चला आ रहा ऋण और (ii) 1.4.2000 से 31.3.2010 की अवधि के लिए ₹ 5,684.34 करोड़ का पूंजीगत ऋण और ऋण ब्याज की माफी (पीछे से चला आ रहा ऋण और शास्ति ऋण) ₹ 4082.88 करोड़, और वित्तीय पुनर्गठन के रूप में प्रसार भारती को 31.3.2011 तक स्पेस सेगमेंट और स्पेक्ट्रम प्रभागों के (₹ 1349.54 करोड़)

The supplementary grants are required for:

(a) meeting expenditure towards providing additional 'Grant-in-aid-General' for the sub scheme "production of Documentary Films" under the Plan Scheme 'production of Films and documentaries in various regional languages' (₹ 1.40 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) ₹ 0.60 crore for Films Certification Appellate Tribunal (FCAT) towards renovating office space of 'Soochna Bhawan' (₹ 0.50 crore) and for making payment of honorarium to members (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) conversion of (i) loan-in-perpetuity and (ii) Capital loan for the period from 1.4.2000 to 31.3.2010 amounting ₹ 5,684.34 crore and waiver of interest on loans (loan-in-perpetuity, Capital loan and penal interest) amounting to ₹ 4082.88 crore, into Grants-in-aid; and waiver of accumulated arrears of space segment and

संचित बकाया को माफ करना। चूंकि प्रस्तावित व्यय, पावतियों के बराबर है, इसमें नकद खर्च नहीं होगा।

spectrum charges accrued (₹ 1349.54 crore) to Prasar Bharati upto 31.3.2011 as part of financial restructuring. As proposed expenditure will be matched by equivalent receipts, this will not entail cash outgo.

(घ) 'फिल्म प्रभाग के लिए उपस्करों का अर्जन' स्कीम के तहत 'मशीनरी और उपस्करों' (₹ 0.20 करोड़)। (d)

meeting expenditure towards 'Machinery & Equipment' under the scheme 'Acquisition of Equipment for Films Division' (₹ 0.20 crore).

अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3420.90	102.75	3523.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3420.91	102.75	3523.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संविधान की धारा 124क के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की कार्यप्रणाली के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अधिनियम, 2014, जो 13.4.2015 से लागू हुआ, के अनुसार खर्च के लिए (₹ 4.20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

expenditure towards functioning of the National Judicial Appointments Commission, provided under Article 124A of the Constitution in accordance with the National Judicial Appointments Commission Act, 2014 which came into the force on 13-4-2015 (₹ 4.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	2997.12	10.30	3007.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2997.14	10.30	3007.44
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (क)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted:	0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) वस्तु शीर्ष "पूंजी आस्तियों के सर्जन के लिए अनुदान" के तहत ग्रामीण विकास अनुदान (रु. 3 करोड़) स्कीम के तहत गैर एनईआर शीर्ष में उपलब्ध फंड से एईआर अगरतला में कार्यालय भवन निर्माण के लिए एनईआर योजना। (ii) वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान (7.55 करोड़) सहायक गतिविधियों के लिए एनईआर योजना जैसाकि ब.अ. 2015-16 में प्रदान फंड वर्तमान आवश्यकता से कम है। (iii) "सामान्य सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत प्रधानमंत्री रोजगार वर्जन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का (2 करोड़) स्कीम के तहत गैर एनईआर शीर्ष में उपलब्ध फंड से आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनईआर योजना। वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान योजना के वीआईसी के प्रशिक्षण विभाग को वर्ष 2015-16 से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अच्छा बनाने के लिए भुगतान करना अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। नकद में कोई व्यय शामिल नहीं है।
- (ख) वस्तु शीर्ष "सामान्य सहायता अनुदान" (0.50 करोड़) के तहत ग्रामीण उद्योग अनुदान योजना के वीआईसी के प्रशिक्षण विभाग का 2015-16 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अच्छा बनाने के लिए भुगतान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। नकद में कोई व्यय शामिल नहीं है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) "Village Industries Grant" (₹ 3 crore) under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" – NER Plan for construction of Office Building at Agartala in NER from funds available under the Non-NER head under the scheme. (ii) "Village Industries Grant" (₹ 7.55 crore) under the object head "Grants-in-aid General" – NER Plan for support activities as the funds provided under BE 2015-16 is less than the current requirement. (iii) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" (₹ 2 crore) under the object head "Grants-in-aid General" – NER Plan for the enhanced requirement under NER from funds available under the Non-NER head under the scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. No cash out go is involved.
- (b) "Village Industries Grant" (₹ 0.50 crore) under the object head "Grants-in-Aid General" Plan for payment to Departmental Training Centre of KVIC for giving more thrust to Training programme during the year 2015-16. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. No cash out go is involved.

मांग संख्या DEMAND NO. 67

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.08	...	0.08
	स्वीकृत:	Voted:	1100.85	54.78	1155.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	7.35	...	7.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1108.28	54.78	1163.06
	भारित:	Charged:	7.43	...	7.43
	स्वीकृत:	Voted:	1100.85	54.78	1155.63
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	भारित: 2853 - Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Charged:	...	7.35	7.35

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बीजीएमएल के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न देयताओं के भुगतान के लिए स्वीकृत ₹ 7.35 करोड़ के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम रिकूपमेंट।

अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

Recoupment of Contingency Fund of India advance for ₹ 7.35 crore sanctioned towards payment of liabilities arisen due to the verdict of the Hon'ble Supreme Court in the case of BGML.

Taking into account the surrender of the equivalent amount available in the voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	3618.11	120.00	3738.11	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3618.13	120.00	3738.13	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 - Social Security and Welfare	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 - North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत 'सीखो और कमाओ' में 175000 प्रशिक्षुओं के बड़े हुए लक्ष्य के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 176.72 करोड़) के रूप में अतिरिक्त अपेक्षित फंड को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) कौशल विकास प्रोत्साहन के तहत 'सीखो और कमाओ' में 175000 प्रशिक्षुओं के बड़े हुए लक्ष्य के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 15.50 करोड़) के रूप में अतिरिक्त अपेक्षित फंड को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement of funds towards fulfilling the increased target of 175000 trainees under the scheme of skill Development Initiatives 'Seekho Aur Kamao' as Grants-in-aid General (₹ 176.72 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting the additional requirement of funds towards fulfilling the increased target of 175000 trainees under the scheme of skill Development Initiatives 'Seekho Aur Kamao' as Grants-in-aid General (₹ 15.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 69
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2708.21	95.00	2803.21	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	500.00	0.01	500.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3208.21	95.01	3303.22	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted:	500.00 (का)	...	500.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4810 - Capital Outlay on New and Renewable Energy	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	500.00	0.01	500.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	(-) 500.00	...	(-) 500.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ग्रिड इंटरएक्टिव स्कीम और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा हेतु सामान्य सहायता-अनुदान जारी करना (₹ 250 करोड़)।
- (ii) ग्रिड इंटरएक्टिव स्कीम और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के तहत हरित ऊर्जा कारीडोर हेतु निधियां जारी करना (₹ 100)।
- (iii) आफ-ग्रिड स्कीम/वितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 150)।
- अतः राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के व्यय होगा, तकनीकी पूरक अपेक्षित है।
- (ख) नई दिल्ली में कार्यालय भवन और भुवनेश्वर में संस्थान का निर्माण (₹ 3 करोड़)।
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) releasing Grants-in-aid General for Solar Power under the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹ 250 crore)
- (ii) releasing funds for Green Energy Corridors under the scheme Grid Interactive and Distributed Renewable Power (₹ 100 crore)
- (iii) To releasing Grants-in-aid General for Solar Power under the scheme Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power (₹ 150 crore)
- As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a Technical Supplementary is sought.
- (b) construction of building of office in New Delhi and an Institute at Bhubaneswar (₹ 3 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 71

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	94.75	...	94.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted:	300.00	...	300.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		394.75	...	394.75
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	270.00 (का)	...	270.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	30.00 (खb)	...	30.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	300.00	...	300.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के लिए वचनबद्ध देयताओं को पूरा करना। (रु. 270 करोड़) इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) एनईआर और सिक्किम के लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान (रु. 30 करोड़) इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting committed liabilities for Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (₹ 270 crore). This will entail cash out go.

(b) Additional provision (₹ 30 crore) for the benefit of NER & Sikkim. This will entail cash out go.

मांग संख्या DEMAND NO. 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	30124.55	1.00	30125.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	47.00	1153.00	1200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	30171.55	1154.00	31325.55
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted: ...	47.00 (का)	47.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted: 1153.00 (खब)	...	1153.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1153.00	47.00	1200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड "(आईएसपीआरएल)" को भुगतान स्कीम के तहत विशाखापटनम में भंडारण कैवर्न के संबंध में उसके वार्षिक कार्य और रख-रखाव की लागत को पूरा करने हेतु (₹ 47.00 करोड़)।</p> <p>(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी" के तहत निधियां प्रदान करने हेतु (₹ 660 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इससे ₹ 47 करोड़ का नकद प्रवाह होगा।</p> | <p>(a) (i) meeting annual operations and maintenance cost of ₹ 47 crore in respect storage cavern at Visakhapatnam under the scheme "Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited" (ISPRL).</p> <p>(ii) providing the funds under "Other Subsidy payable including NE Region" (₹ 660 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 47 crore.</p> |
| <p>(ख) भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड को निधियां प्रदान करने हेतु (₹ 1153 करोड़)। उपर्युक्त व्यय में नकद देना होगा।</p> | <p>(b) providing funds for Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) (₹ 1153 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1846.85	364.78	2211.63	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1846.86	364.78	2211.64	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) नई योजना स्कीम विश्व स्तरीय नवोन्मेषी केन्द्र नेटवर्क को प्रोत्साहित करना एवं भारत में सांस्कृतिक नवोन्मेष तथा वैश्विक अनुसंधान और भारत के सम्मुख विद्यमान चुनौतियों को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर तथा शैक्षिक उद्यमशीलता तथा अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करते हुए अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम), नवोन्मेष प्रोत्साहन प्लेटफार्म के व्यय को पूरा करना (₹ 1 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ii) नई योजना स्कीम-स्टार्टअप बिजनेस, अन्य स्व-रोजगार कार्यकलापों विशेषतया प्रौद्योगिकी पूरक क्षेत्रों के सभी पहलुओं के समर्थन हेतु सेल्फ एम्प्लायमेंट एण्ड टैलेंट यूटिलाइजेशन (एसआईटीयू) टेक्नो फाइनेंशियल, इक्यूबेशन एण्ड फैसिलिटेशन प्रोग्राम के व्यय को पूरा करना (₹ 50 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting the expenditure for New Plan Scheme - Atal Innovation Mission (AIM) an Innovation Promotion Platform involving academics, entrepreneurs and researchers and drawing upon national and international experiences to foster a culture of innovation, R&D and scientific research in India and promoting a network of world-class innovation hubs and Grand Challenges of India (₹ 1 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ii) meeting the expenditure for New Plan Scheme - Self-Employment and Talent Utilization (SETU) a Techno-Financial, Incubation and Facilitation Programme to support all aspects of start-up business and other self-employment activities, particularly in technology-driven areas (₹ 50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6319.53	1952.30	8271.83	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	2000.00	...	2000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8319.53	1952.30	10271.83	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted:	2000.00	...	2000.00
	टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2801 - विद्युत	2801 - Power		(-) 1000.00	...	(-) 1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- ऊर्जा प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को दी जाने वाली ₹ 1000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराना।
- गैस आधारित क्षमता सृजन के उपयोग हेतु स्कीम के तहत ₹ 1000 करोड़ की निधि उपलब्ध कराना जो ऊर्जा प्रणाली विकास निधि (पीएसडी) से व्यय होगा।
- इस अनुदान के इसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से अंतरराष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड कार्रवाई नेटवर्क (आईएसजीएन) को दी जाने वाली सदस्यता चंदा (₹ 0.32 करोड़) के भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराना।

अनुदान अतिरिक्त वसुली और प्राप्तियों के इसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध आंतरिक बचतों के मद्देनजर, इस पूरक में ₹ 1000 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- providing an amount of ₹ 1000 crore to Power System Development Fund (PSDF).
- providing funds of ₹ 1000 crore under the scheme for utilization of gas based generation capacity to be met from Power System Development Fund (PSDF).
- providing funds for payment of membership fee (₹ 0.32 crore) to International Smart Grid Action Network (ISGAN) from the savings available within same section of the Grant.

Taking into accounts the internal savings available within the same section of the Grant, additional recovery and receipts, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 1000 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	...	10.50	10.50	
	स्वीकृत:	Voted:	16560.00	62508.24	79068.24	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	70.01	0.01	70.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		16630.01	62518.75	79148.76	
	भारित:	Charged:	...	10.50	10.50	
	स्वीकृत:	Voted:	16630.01	62508.25	79138.26	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत:	3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3055 - सड़क परिवहन	स्वीकृत:	3055 -Road Transport	Voted:	70.00 (खb)	...	70.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	70.01	...	70.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	70.02	...	70.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए सीधे भुगतान प्रक्रिया के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य के लिए लागू अंतर-राज्य कनेक्टिविटी के लिए (₹ 293 करोड़)।
- (ii) एमएच-3054 सड़कों और पुलों (अनुसंधान और विकास) के तहत नया लेखा शीर्ष बनाकर प्रशिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण पर व्यय करने के लिए (₹ 58.20 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और मजबूती के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े बस टर्मिनलों का विकास (₹ 70 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त नकद प्रवाह नहीं होगा।

- (ग) संबंधित राज्य क्षेत्रीय अधिकारी/अधिकारियों(आरपीएओ) के जरिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत कार्यकारी एजेन्सी को भुगतान के लिए (₹ 4500.09 करोड़) राशि प्रदान करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) implementation of Direct Payment Procedure for roads of economic importance and Inter-State connectivity applicable for National Highways Works (₹ 293 crore).
- (ii) incurring expenditure on training, research, quality control etc. by creating a new head of account under MH 3054-Roads and Bridges (Research and Development) (₹ 58.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) development of large Bus Terminals in States/Union Territories under 'Improving and Strengthening of Public Transport System' (₹ 70 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (c) releasing payment to executing agency under Direct Payment Procedure through respective State Regional Officer(s)/RPAOs (₹ 4500.09 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	114047.58	...	114047.58	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	1000.01	...	1000.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	115047.59	...	115047.59	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2505 - ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत: 2505 -Rural Employment	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 -North Eastern Areas	Voted:	100.00 (खb)	...	100.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 -Grants-in-aid to State Govt.	Voted:	900.00 (गc)	...	900.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1000.01	...	1000.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान हेतु आपरेशनल डाइरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रोटोकाल हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 7000 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) एनईआर एवं सिक्किम के लाभ के लिए विस्तार का प्रावधान (₹ 100 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत सहायता अनुदान (₹ 900 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting additional requirement (₹ 7000 crore) for operational Direct Benefit Transfer (DBT) protocol for wage payment under MGNREGA.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Augumentation provision (₹100 crore) for the benefit of NER & Sikkim. This will entail cash outgo.
- (c) Meeting additional requirement of Grants-in-Aid (₹ 900 crore) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) for Creation of Capital Assets. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1393.71	386.08	1779.79	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	...	3.01	3.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1393.71	389.09	1782.80	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted:	...	2.00 (का)	2.00
5052 - नौवहन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5052 - Capital Outlay on Shipping	Voted:	1.00 (खब)	...	1.00
7051 - बंदरगाह और प्रकाशगृहों के लिए ऋण	स्वीकृत: 7051 - Loans for Ports and Light Houses	Voted:	0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	1.01	2.00	3.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	(-) 2.00	(-) 2.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अण्डमान में लैंडिंग सुविधाओं एवं घाटों का निर्माण (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त में नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पोत महानिदेशालय, मुंबई में आन-लाइन जांच प्रणाली (₹ 1 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यर्पित बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। उपर्युक्त में नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट को बकाया जेआईसीए ऋण (₹ 7.72 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) construction of landing facilities and jetties in Andaman (₹ 2 crore).

Taking into account the matching recovery in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) online examination system at Directorate General of Shipping, Mumbai (₹ 1 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(c) payment of balance JICA loan to Vishakhapatnam Port Trust (₹ 7.72 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6062.58	462.24	6524.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6062.60	462.24	6524.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted: 0.01 (क)	...	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत (अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमों के लिए (₹ 124.55 करोड़) सहायता अनुदान;	(a) (i) releasing 'Grants-in-aid' General for various programmes related to celebration of 125th anniversary of Dr. B. R. Ambedkar under 'Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes' (₹ 124.55 crore);
(ii) नई स्कीम के तहत अन्य पिछड़ी जातियों के मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति के लिए (₹ 1 करोड़) राशि प्रदान करना; अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(ii) releasing funds under the new scheme of Post Matric Scholarship for OBCs (₹ 1 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought;
(ख) (i) नशाखोरी और मादक पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोक-थाम की स्कीम के लिए (₹ 8 करोड़) सहायता अनुदान जारी करना;	(b) (i) releasing Grants-in-aid General for scheme of prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) abuse (₹ 8 crore);
(ii) ड्रग्स और मादक पदार्थ दुरुपयोग संबंधी विस्तार, पैटर्न और रुझानों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण को (₹ 2 करोड़)का सहायता अनुदान;	(ii) releasing Grants-in-aid General for National Survey to assess the extent, pattern and trends on Drug Abuse and Substance Abuse (₹ 2 crore);
(iii) गरीबों के पुर्नवास के लिए समाकलित कार्यक्रम हेतु (₹ 3 करोड़) का सहायता अनुदान जारी करना;	(iii) releasing Grants-in-aid General for Integrated Programme for Rehabilitation of Beggars (₹ 3 crore);
(iv) सामाजिक रक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के लिए सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) जारी करना;	(iv) releasing Grants-in-aid General for National Institute of Social Defence (₹ 5 crore);
(v) राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के हेल्पलाइन के लिए (₹ 2 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान जारी करना; अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	(v) releasing Grants-in-aid General for Helpline for Senior Citizens at National Level (₹ 2 crore); Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4136.10	138.70	4274.80
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount			
पूरक अनुमान:	now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4136.13	138.70	4274.83

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 5.37 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने हेतु (₹ 16.96 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 3.29 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान को अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए (₹ 1.38 करोड़) (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर कपड़ा संवर्धन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 35 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 40 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।
- (ख) (i) यार्न आपूर्ति स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के जैसे अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 137 करोड़) (ii) समूह बीमा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने (₹ 5.30 करोड़) (iii) ग्रुप वर्कशेड स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 14.46 करोड़) (iv) बिजली चालित करघा क्षेत्र विकास की एकीकृत स्कीम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.73 करोड़) (v) प्लेन बिजलीचालित करघा इनसीटुअप ग्रेडेशन स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 25 करोड़) (vi) अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का अंतरण और आईटी पहल के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 15.58 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में (₹ 35.72 करोड़) (vii) बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों
- (a) (i) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5.37 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 16.96 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology and IT Initiative in NER Sector. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 1.38 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 3.29 crore) under Seed Organization in NER Sector. (iii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 40 crore) and Grants-in-Aid for Creation of Capital Assets (₹ 35 crore) under NER Textile Promotion Scheme in NER Sector. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 137 crore) under Yarn Supply Scheme. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5.30 crore) under Group Insurance Scheme. (iii) meeting additional requirement for Creation of Capital Assets (₹ 14.46 crore) under Group Workshed Scheme. (iv) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 12.73 crore) under Integrated Scheme for Powerloom Sector Development. (v) meeting additional requirement for Creation of Capital Assets (₹ 25 crore) under Scheme For In-Si-Tu Up-Gradation of Plain Powerloom . (vi) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 35.72 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 15.58 crore) under R&D, Training, Transfer of Technology

के सृजन के लिए (₹ 14.80 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (₹ 23.31 करोड़)(viii) समन्वयन एवं बाजार विकास (एचआरडी) के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 1.27 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹ 4.75 करोड़) (ix) गुणवत्ता प्रमाणित प्रणाली के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन (₹ 0.17 करोड़) और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.70 करोड़) (x) सेरीकलचर कैंटालीटिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजाती क्षेत्र उप-योजना स्कीम के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 14 करोड़) और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़) (xi) पशमीना ऊन विकास कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 5 करोड़) (xii) बीज संस्था के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 5 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ण करने हेतु (₹ 2 करोड़)।

- (ग) (i) कीमत को सहयोग देने हेतु काटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कपास की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (₹ 2108 करोड़) (ii) कीमत को सहयोग देते हुए ज्यूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को इसकी सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹ 107.11 करोड़) जो भारतीय आकस्मिक निधि अभिम की क्षतिपूर्ति में शामिल है (₹ 55 करोड़) (iii) कपास सलाहकार समिति और कपास संस्थान को अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹ 1.50 करोड़)। सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

and IT Initiative. (vii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 23.31 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14.80 crore) under Seed Organization. (viii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 4.75 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.27 crore) under Coordination and Market Development (HRD). (ix) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 0.70 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.17 crore) under Quality Certification System. (x) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 6 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 14 crore) for the Tribal Area Sub Plan of the Scheme under Sericulture Catalytic Development Programme. (xi) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 5 crore) under Pashmina Wool Development Programme. (xii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 2 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5 crore) under Seed Organization in Scheduled Caste Sub Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) meeting additional requirement for Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support (₹ 2108 crore). (ii) meeting additional requirement for Subsidy to Jute Corporation of India towards Price Support (₹ 107.11 crore), which includes the recoupment of Contingency Fund of India advance (₹ 55 crore). (iii) meeting additional requirement for Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 97

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1568.02	5.05	1573.07	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	20.01	5.62	25.63	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1588.03	10.67	1598.70	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (कa)	...	0.01
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted:	20.00 (खb)	...	20.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	20.01	...	20.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	5.00 (गc)	...	5.00
5452 - पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5452 - Capital Outlay on Tourism	Voted:	0.62 (घd)	...	0.62
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	5.62	...	5.62
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	25.63	...	25.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए पर्यटन सर्किट स्कीमों के तहत अतिरिक्त निधि (₹ 20 करोड़) प्रदान करना।

- (a) providing additional funds under the schemes Tourism Circuits for North Eastern Areas (₹ 20 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) पर्यटक अवसंरचना स्कीम के तहत अतिरिक्त केंद्रीय एजेन्सियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 25 करोड़), (ii) कुतुब शाही परियोजना के लिए पर्यटक अवसंरचना विकास के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (₹ 10 करोड़) और तीर्थ स्थलों के खूबसूरती (पीआरएएसएडी) के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत वाराणसी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)।

- (b) providing additional funds (i) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets to Central Agencies under the scheme Tourist Infrastructure (₹ 25 crore), (ii) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under Tourism Infrastructure Development for Qutub Shahi Project (₹ 10 crore) and (iii) Grants-in-aid General for Varanasi Project under National Mission for Beautifying Pilgrimage Centres (PRASAD)(₹ 10 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 25 करोड़ बचतों को देखते हुए, इससे ₹ 20 का नकद प्रवाह होगा।

Taking into account the savings of ₹ 25 crore available in the same section of the Grant, it will entail cash outgo of ₹ 20 crore.

- (ग) बहुस्तरीय पार्किंग और मंत्रालय के कार्यालय के निर्माण का व्यय उपलब्ध कराना (₹ 10 करोड़)।

- (c) meeting expenditure for construction of multi-level parking-cum-office of the Ministry (₹ 10 crore);

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध ₹ 5 करोड़ की बचत की अभ्यप्रित राशि को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड में ₹ 5 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद उक्त व्यय से आगे कोई अतिरिक्त नगद खर्च नहीं होगा।

- (घ) अजंता एलौरा संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना संबंधी देय रकमों का निपटारा करना। (₹ 0.62 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत की सुपुर्दगी को ध्यान में रखने से उक्त व्यय से आगे कोई अतिरिक्त नगद खर्च नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 5 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 5 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) settlement of dues relating to Ajanta Ellora Conservation and Tourism Development Project (₹ 0.62 crore);

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 99
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
स्वीकृत:	Voted:	3286.72	573.65	3860.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3286.74	573.66	3860.40
भारित:	Charged:	0.01	...	0.01
स्वीकृत:	Voted:	3286.73	573.66	3860.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	... 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development			
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (खब)	... 0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.02	... 0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी (एएनआईएमईआरएस) को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (60.64 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।
- (ख) (ख) सेलुलर जेल के रख-रखाव और वाइपर द्वीप के संरक्षण के लिए सिविल निर्माण कार्य पूरा करने हेतु कला व संस्कृति के तहत अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (3.22 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional expenditure towards Grants-in-Aids to Andaman & Nicobar Islands Medical Education and Research Society (ANIMERS). (₹ 60.64 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the additional requirement under Art & Culture to complete civil construction work for maintenance of Cellular Jail and conservation of Viper Island (₹ 3.22 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:	Charged:	0.03	...	0.03	
स्वीकृत:	Voted:	598.47	308.96	907.43	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	29.50	...	29.50	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	628.00	308.96	936.96	
भारित:	Charged:	0.03	...	0.03	
स्वीकृत:	Voted:	627.97	308.96	936.93	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	7.00 (का)	...	7.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted:	22.50 (खb)	...	22.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	29.50	...	29.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ग्रामीण सुलभताओं के रखरखाव और सुधार के लिए ₹ 17.50 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र की स्थलाकृति पहाड़ी और लहराती हुई छोटी है, इसलिए लगभग 550 किलोमीटर लम्बी सड़क के रखरखाव के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु ₹ 10.50 करोड़ की राशि राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों से पूरी की जाएगी और पूंजी भाग से ₹ 7 करोड़ जिसके लिए तकनीकी पूरक अपेक्षित है, उपर्युक्त व्यय से अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को देखते हुए, और अनुदान के उसी भाग में रखी बचतों के इस्तेमाल के बाद, उपर्युक्त व्यय के कारण कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) सूर्योदय आवास योजना के तहत 1000 मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹ 15 करोड़ की और स्वच्छ आंगन योजना के तहत 3750 संख्या के शौच ब्लाकों के निर्माण हेतु लाभार्थियों के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 7.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि को पूरा करना।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय के कारण अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional requirement of ₹ 17.50 crore for maintenance and improvement of rural accessibilities and for maintenance of about 550 kms road since the topography of rural area is hilly and undulate. ₹ 10.50 crore will be met from the savings available under Revenue Section and ₹ 7 crore will be met from the savings available under Capital Section (for which technical supplementary is sought). The above expenditure will not entail any additional cash outgo. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) meeting the additional requirement of ₹ 15 crore for providing financial assistance to beneficiaries for construction of 1000 No. of houses under Suryodaya Awaas Yojana and ₹ 7.50 crore for providing financial assistance to beneficiaries for construction of 3750 Nos. of toilets blocks under Swachh Aangan Yojna. The above expenditure will not entail any additional cash outgo. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 103

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिये)

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	974.79	179.99	1154.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	974.81	179.99	1154.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) लक्षद्वीप विद्युत विभाग से संबद्ध उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म (सीजीआरएफ) के अध्यक्ष और सदस्यों की परिलब्धियों के ₹ 0.07 करोड़ के अतिरिक्त खर्च को सामान्य अनुदान सहायता के तहत पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) सामान्य अनुदान सहायता के तहत ₹ 0.85 करोड़ का पंचायती राज संस्थान (पीआरआईएस) के स्वयं के फंड के रिक्योपमेंट को पूरा करना, जिसमें से वही राशि अप्रियास बजट प्रावधान (₹ 0.85 करोड़) के कारण पिछले वर्ष पीआरआई से स्थानांतरित स्टॉफ के वेतन के भुगतान में प्रयोग की गई।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting the additional expenditure of ₹ 0.07 crore under Grants-in-aid General for the remuneration of the Chairperson and Member, Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF) attached to the Lakshadweep Electricity Department

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting the additional requirement of ₹ 0.85 crore under Grants-in-aid General for the recoupment of the own fund of Panchayati Raj institution (PRI) from which the same amount was utilized during previous years for payment of salaries to staff transferred to PRIs due to insufficient budget provision (₹ 0.85 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 66.77	115.00	181.77
	स्वीकृत:	Voted: 7448.41	9202.06	16650.47
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 1000.00	1000.00	2000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8515.18	10317.06	18832.24
	भारित:	Charged: 66.77	115.00	181.77
	स्वीकृत:	Voted: 8448.41	10202.06	18650.47
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 80.00 (क)	...	80.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 860.00 (ख)	...	860.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 60.00 (ग)	...	60.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 1000.00	...	1000.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6217 - शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत: 6217 - Loans for Urban Development	Voted: 1000.00 (घ)	...	1000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 2000.00	...	2000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्वच्छ भारत मिशन के कार्यनव्यन के लिए, विधानमंडल, प्रशासनिक और अन्य व्यय और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 80 करोड़)।
- (ii) विरासत शहरों (एचआरआईआई) की स्कीम के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधानों को बनाने के लिए (₹ 200 करोड़)।
- (iii) 100 स्मार्ट शहरों की स्कीम के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधानों को बनाने के लिए (₹ 280 करोड़)।
- (iv) 500 शहरी पुर्नजीवन मिशन-500 निवास स्थान (एमआरयूटी) के लिए नए लेखा शीर्षों के तहत (₹ 89.74 करोड़)।

स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) administrative and other expenses and to meet expenditure in the UTs without legislature for urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 80 crore).
- (ii) making provisions under new heads of accounts for the scheme of Heritage Cities (HRIDAY)(₹ 200 crore).
- (iii) making provisions under new heads of accounts for the scheme of 100 Smart Cities (₹ 280 crore).
- (iv) making provisions under new heads of accounts for the scheme of Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT) (₹ 89.74 crore).

Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

<p>(ख) (i) 'स्वच्छ भारत मिशन' स्कीम के शहरी घटक के तहत राज्यों को अनुदान (₹ 860 करोड़)।</p> <p>(ii) 'उत्तर पूर्व क्षेत्र का शहरी विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत प्रावधान की वृद्धि' (₹ 125.12 करोड़)।</p>	<p>(b) (i) Grants to States under urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 860 crore)</p> <p>(ii) augmentation of provision under the scheme 'North East Region Urban Development Programme' (₹ 125.12 crore).</p>
<p>स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(ग) (i) 'स्वच्छ भारत मिशन' स्कीम के शहरी घटक के कार्यान्वयन के लिए (₹ 60 करोड़)।</p> <p>(ii) 100 स्मार्ट शहरों की स्कीम का नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधान की वृद्धि (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 4 करोड़ और (अनुदान की) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 100 करोड़)।</p> <p>(iii) शहरी पुर्नजीवन मिशन-500 निवास स्थान (एमआरयूटी) स्कीम का नए लेखा शीर्षों के तहत प्रावधान की वृद्धि (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 7.50 करोड़ और अनुदान की पूंजीगत परिसम्पत्तियों की सृजन के लिए ₹ 85 करोड़)।</p>	<p>(c) (i) Grants to UTs under urban component of the scheme of Swachh Bharat Mission (₹ 60 crore).</p> <p>(ii) augmenting provision under new heads of accounts for the scheme of 100 Smart Cities (Grants-in-aid General - ₹ 4 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹ 100 crore)</p> <p>(iii) augmenting provision under new heads of accounts for the scheme of Urban Rejuvenation Mission- 500 Habitations (AMRUT) (Grants-in-aid General - ₹ 7.50 crore and Grants for creation of Capital Assets - ₹ 85 crore)</p>
<p>स्वच्छ पेयजल एवं सफाई संबंधी अनुदान सं.30 - में समतुल्य बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, उपर्युक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त व्यय से कोई भी अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>Taking into account the surrender of matching savings from Grant No.30 - Drinking Water & Sanitation and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p>
<p>(घ) (i) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को पासथ्रू के जरिए सहायता प्रदान करने हेतु (₹ 750 करोड़)।</p> <p>(ii) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन को पासथ्रू के जरिए सहायता प्रदान करने हेतु (₹ 250 करोड़)।</p> <p>(iii) 2015-16 की अनुदान मांगों में एमएच-4217 के तहत नागपुर मेट्रो को ऋण के वर्गीकरण का संशोधन दिखाया गया है (₹ 29.08 करोड़)।</p>	<p>(d) (i) providing Pass Through Assistance to Chennai Metro Rail Limited (₹ 750 crore)</p> <p>(ii) providing Pass Through Assistance to Bangalore Metro Rail Corporation (₹ 250 crore)</p> <p>(iii) correction of the classification of Loans for Nagpur Metro which was shown under MH-4217 in the Demands for Grants 2015-16 (₹ 29.08 crore).</p>
<p>अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के पश्चात, (₹ 1000 करोड़ का नकद देना होगा।</p>	<p>After utilising the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 1000 crore.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 105

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 देखिये)

(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.80	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1591.28	749.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			2341.04
	स्वीकृत:	Voted:	17.65	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1609.73	750.77	2360.50
	भारित:	Charged:	0.80	1.00
	स्वीकृत:	Voted:	1608.93	749.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 - Public Works	Voted:	17.65 (का)	...
				17.65
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	...	0.01 (खb)
				0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	17.65	0.01
				17.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सीपीडब्लूडी प्रशिक्षण संस्थान के वेतन और स्थापना से संबंधित व्यय (₹ 9.42 करोड़)
- (ii) निर्माण लेखा का कार्यान्वयन (₹ 8.23 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त खर्च में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।
- (ख) आईजोल, मिजोरम में जनगणना भवन निर्माण से संबंधित प्रतिबद्ध देयताओं के लिए (₹ 1.20 करोड़)
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक की पूरक अपेक्षित है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) salary and establishment related expenditure (₹ 9.42 crore) for CPWD Training Institute
- (ii) implementation of Nirman lekha (₹ 8.23 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) meeting committed liabilities in connection with construction of census building at Aizwal, Mizoram (₹ 1.20 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 107

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	1.10	1.10
	स्वीकृत:	Voted: 6235.21	144.72	6379.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	60.25	60.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6235.24	206.07	6441.31
	भारित:	Charged: ...	1.10	1.10
	स्वीकृत:	Voted: 6235.24	204.97	6440.21

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत: 2701 -Major and Medium Irrigation	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.03	...	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701 - वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4701 - Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	Voted: 6.25 (घद)	...	6.25
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	Voted: 54.00 (डे)	...	54.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 60.25	...	60.25
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 60.28	...	60.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी जाने वाली पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 29 करोड़)।

(a) Grants-in-aid for creation of Capital Assets (₹ 29 crore) to North Eastern Area under "Accelerated Irrigation Benefit & Flood Management Programme".

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) नदी बेसिन प्रबंध स्कीम को जल संसाधन विकास स्कीम के निरीक्षण के तहत सामान्य अनुदान प्रदान करना (₹ 44 करोड़)।

(b) (i) providing Grants-in-aid general under Investigation of Water Resources Development component of the River Basin Management Scheme (₹ 44 crore)

(ii) प्रयोगशाला उपकरण की खरीद, प्रयोगशालाओं/बिल्डिंगों के नवीकरण और जारी निर्माण कार्यों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (₹ 16.35 करोड़)।

(ii) providing Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology under Research and Development Programme for procurement of lab equipment, renovation of labs/buildings and for other ongoing works.

	(₹ 16.35 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अपेक्षित है। ब्लॉक अनुदान संघटक के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 96.80 करोड़) और "त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम" को जनजातीय उपयोजना सं (₹ 172.20 करोड़)।	(c) Grants-in-aid for creation of Capital Assets under Block Grant component (₹ 96.80 crore) and Tribal Sub Plan Component (₹ 172.20 crore) of "Accelerated irrigation Benefit & Flood Management Programme".
	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, तापीय वितरण के लिए नदी इंजीनियरिंग समूह के लिए हेंगर के निर्माण के लिए के.लो.नि.वि. के जरिए निधियां जारी करना (₹ 6.25 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(d) releasing funds under Research and Development Programme for construction of Hanger for River Engineering Group for Thermal dispersion through CPWD (₹ 6.25 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ) डीजीएस एण्ड डी के जरिए रिस खरीद हेतु भू-जल प्रबंधन एवं विनिमय स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना (₹ 54 करोड़)।	(e) releasing funds under Ground Water Management and Regulation Scheme for procurement of rigs through DGS&D (₹ 54 crore)
	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 108

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 137 देखिये)

(See page 137 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue		पूंजी Capital		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		स्वीकृत:	Voted: 10382.40		...		10382.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:					
स्वीकृत:		स्वीकृत:	Voted: 4000.03		...		4000.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	14382.43		...		14382.43
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत:	2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01	(का)	0.01	(खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत:	2552 -North Eastern Areas	Voted: 400.00	(गc)	...		400.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 3600.00	(घd)	...		3600.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01	(डe)	...		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 4000.02		0.01		4000.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(i)	एक स्टाफ सेन्टर स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक स्टाफ केन्द्र का निर्माण (₹ 0.80 करोड़)।	(a)	(i)	construction of one stop centres in the States/Union Territories under the Scheme One Stop Centre (₹ 0.80 crore)
	(ii)	बेहटा (बिहार) एवं मोहाली (पंजाब) में दो नए क्षेत्रीय केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जन सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीसीसीडी) (₹ 25 करोड़)।		(ii)	National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD for Creation of Capital Assets, for construction of building of two new Regional Centres at Behta (Bihar) and Mohali (Punjab) (₹ 25 crore).
	(iii)	त्रिंदावन में विधवाओं के आश्रय घर के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 10 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।		(iii)	an additional amount for Shelter Home for Widows at Vrindavan (₹ 10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) सामान्य सहायता अनुदान अतिरिक्त राशि के रूप में प्रतिबद्धित देयताओं जैसे महंगाई सहायता गैरचुटी, छुट्टी नकदीकरण और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान रिटायर हुए स्टाफ की पेंशन का संराशीकृत मूल्य, (₹ 2.50 करोड़) और वर्तमान वर्ष के लिए 23 खाली पदों को भरने हेतु और प्रतिबद्ध देयताएं जैसे महंगाई भत्ता, वार्षिक वृद्धि के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु (₹ 4.50 करोड़)।	(b)	(i)	National institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)- An additional amount as Grant in Aid General for committed liabilities like dearness relief, gratuity, leave encashment and commuted value of pension (₹ 2.50 crore) and as Grant in Aid Salary for committed liabilities like DA, annual increment, and filling up of 23 vacant posts., for the current year (₹ 4.50 crore).
	(ii)	केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) के लिए अतिरिक्त राशि, सामान्य सहायता अनुदान के रूप में, प्रतिबद्ध देयताओं के		(ii)	for Central Social Welfare Board (CSWB): An additional amount as Grant in Aid General for committed liabilities

लिए जैसे मंहगाई सहायता, बेंचुटी, छुट्टी भुनाना और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान रिटायर हुए स्टाफ की पेंशन के संराशीकृत मूल्य हेतु (₹ 4.41 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

like dearness relief, gratuity, leave encashment and commuted value of pension (₹ 4.41 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹ 0.75 करोड़), (ii) किशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) (₹ 18 करोड़) और (iii) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹ 382 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं (₹ 400 करोड़) होगा।

- (c) (i) construction of one stop centres in the North Eastern States under the Scheme One Stop Centre (₹ 0.75 crore), (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 18 crore) & (iii) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 382 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 400 crore.

- (घ) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) (₹ 3218 करोड़), (ii) राज्यों में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण हेतु (₹ 5.59 करोड़), (iii) किशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेतु (₹ 382 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में नकद नहीं देना (₹ 3600 करोड़) होगा।

- (d) meeting expenditure for (i) Integrated Child Development Service (ICDS) (₹ 3218 crore), (ii) construction of one stop centres in the States (₹ 5.59 crore), (iii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 382 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3600 crore.

- (ङ) वन स्टाप सेन्टर स्कीम के तहत दिल्ली और पुडुचेरी में वन स्टाप सेन्टरों के निर्माण के लिए (₹ 0.40 करोड़), (ii) किशोरावस्था बालिकाओं के सशक्तिकरण की राजीव गांधी स्कीम (एसएबीएलए) हेतु (₹ 14.48 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (e) for (i) construction of one stop centres in Delhi and Pudducherry under the Scheme one Stop Centre (₹ 0.40 crore), (ii) Rajiv Gandhi Scheme for empowerment of Adolescent girls (SABLA) (₹ 14.48 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 109

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 138 देखिये)

(See page 138 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue		पूँजी Capital		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:					
स्वीकृत:		Voted:	1540.23		0.90		1541.13
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:					
स्वीकृत:		Voted:	0.05		...		0.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1540.28		0.90		1541.18
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
			आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत:	2204 -Sports and Youth Services	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (गc)	...		0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत:	3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (घd)	0.01 (ङe)		0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.02		0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना i) निम्नांकित के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अन्तर्गत कामनवेलथ युवा यात्रियों की बैठक का आयोजन, ब्रिक्स युवा सम्मेलन तथा अन्य युवा विनिमय कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रूस यात्रा (₹ 2 करोड़), ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत वेतन, चिकित्सा, अभिमुखीकरण तथा अनुसंधान केन्द्रों को भुगतान हेतु (₹ 10.50 करोड़), iii) विभिन्न कार्यक्रम कार्यकलापों के लिए नेहरु युवा केन्द्र संगठन की स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25 करोड़), iv) हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान विभाग, जवाहर माउंटेनियरिंग संस्थान, प्रवासी भारतीय दिवस की शेयर मनी के भुगतान हेतु राष्ट्रीय युवा एवं प्रौढ़ विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़), v) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 11 करोड़) और vi) डोप कंट्रोल किट्स, एन्टी डोपिंग एवेयरनेस आदि के लिए नेशनल एन्टी डोपिंग एजेंसी विषयक स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(ख) i) कामनवेलथ सचिवालय अंशदान/प्रतिबद्धता, एशिया क्षेत्रीय केन्द्र 2013-15 तथा 2014-15 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 2.50 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ तथा

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional requirements towards i) organizing Commonwealth Youth Ministers Meet, visit of Indian Delegations to Russia to participate BRICS Youth Summit and other Youth Exchange Programmes under the Scheme of International Co-operation in connection with (₹ 2 crore), ii) To make payment of Salary, Medical, Reorientation and Research Centres etc under the National Service Scheme (₹ 10.50 crore) iii) GIA General under the Scheme of Nehru Yuva Kendra Sangathan for various programme activities (₹ 25 crore, iv) GIA General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for making payment of share money of the Deptt. Of Himalayan Mountaineering Instt., Jawahar Instt. Of Mountaineering, Pravasi Bhartiya Divas, etc. (₹ 9 crore), v) GIA General under the Scheme of Rajiv Gandhi Khel Abhiyan for various programme activities (₹ 11 crore) and vi) GIA General under the Scheme of National Anti Doping Agency for purchase of Dope control Kits, conducting of Anti-doping Awareness etc (₹ 1.90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional requirement towards i) contribution/commitment to the Commonwealth Sectt, Asia Regional Centre for the years 2013-14 & 2014-15 to meet the liabilities (₹ 2.50 crore) and (ii) For

क्षेत्रीय केन्द्रों के स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु (₹ 1.08 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना i) असम में पूर्वोत्तर युवा महोत्सव के लिए राष्ट्रीय युवा एवं प्रौढ़ विकास कार्यक्रम की स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) तथा ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 15 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (घ) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में कार्यक्रम विषयक कार्यकलापों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय सेवा स्कीम के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 1.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ङ) संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएस राज्य सम्पर्क कार्यालय की देयताओं को पूरा करने की राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

making payment of salary to staff of Prog. Advisory Cells and Regional Centres under the National Service Scheme (₹ 1.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) meeting additional requirements towards i) GIA General under the Scheme of National Programme for Youth and Adolescent Development for conducting North East Youth Festival in Assam (₹ 2 crore) and ii) Grants for creation of Capital Assets in various States under the Scheme of Urban Sports Infrastructure (₹ 15 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) meeting additional requirement towards GIA General under the National Service Scheme, for conduction programme activities in UT Govts. (₹ 1.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) meeting additional requirement towards GIA General under the National Service Scheme for meeting liability towards NSS State Liaison Office in UTs (₹ 0.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध

वर्ष 2014-15 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।
(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	बजट अनुमान 2014-15	पुनर्विनियोग की राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	संस्कृति मंत्रालय	एम एच 2205			
		1. ललित कला अकादमी, नई दिल्ली 2205.00.102.03.03.31	1.50(आयो.)	3.00	पेंशन, अनुबंधित स्टाफ को वेतन और आम रख-रखाव के भुगतान हेतु
		2. केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी 2205.00.102.03.03.31	2.70(आयो.)	0.85	बिजली, पट्रोल/डीजल बिल के भुगतान हेतु
		3. केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी 2205.00.102.03.05.36	11.00(आयो.)	3.00	अपने कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु
		2205.00.102.03.05.36	1.00 (यो.)	1.00	नए भर्ती कर्मचारियों को भुगतान हेतु;
		4. एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता 2205.00.102.03.07.31	1.00(आयो.)	0.60	बिजली, जल प्रभारों, टेलीफोन, नगर निगम करों, बिलों आदि के भुगतान हेतु
		5. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली 2205.00.102.03.09.31	1.02(आयो.)	0.30	बिजली, जल प्रभारों के भुगतान, पेंशनभोगियों व सीजीएचएस आदि को अंशदान
		6. केन्द्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग 2205.00.102.03.15.31	0.33(आयो.)	0.43	प्रशासनिक खर्च पूरा करने हेतु
		7. राष्ट्रीय भारतीय पुरातत्व 2205.00.104.01.03.13	3.16(आयो.)	1.00	नई दिल्ली नगर परिषद के बिजली/पानी बिलों के भुगतान के लिए प्रतिफल को पूरा करने हेतु।
		2205.00.104.01.03.14	0.10(आयो.)	1.20	किराया, दरों व करों के भुगतान हेतु
		2205.00.104.01.03.20	0.20(आयो.)	0.05	कैंटीन स्टाफ आदि को वेतन के भुगतान हेतु
		8. दिल्ली पब्लिक लाईब्रेरी, दिल्ली 2205.00.105.02.01.31	1.80(आयो.)	5.20	पेंशनभोगियों को पेंशन, मृत्यु मामले में टर्मिनल लाभों, सीजीएचएस, अंशदान, किराया और करों, बिजली, पानी बिलों आदि के भुगतान के लिए
		9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.01.03.14	1.00(आयो.)	0.25	भूमि/आवास स्वामियों को आवास किराए पर देने के लिए किराए के भुगतान हेतु

ANNEXURE

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2014-15.

(Rupees in Crore)					
Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates 2014-15	Amount of Re-appropriation	Remarks
1	2	3	4	5	6
2.	Ministry of Culture	MH 2205			
		1. Lalit Kala Akademi, New Delhi 2205.00.102.03.03.31	1.50 (NP)	3.00	For payment of Pension, salary to contractual staff and for normal maintenance.
		2. Central University of Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.31	2.70 (NP)	0.85	For payment of electricity, petrol/ diesel bill.
		3. Central University of Tibetan Studies, Varanasi 2205.00.102.03.05.36	11.00 (NP)	3.00	For payment of salaries to its employees.
		2205.00.102.03.05.36	1.00 (P)	1.00	For payment to newly recruited employees.
		4. The Asiatic Society, Kolkata 2205.00.102.03.07.31	1.00 (NP)	0.60	For payment of electricity, water charges, telephone, municipal taxes, bills, etc.
		5. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi 2205.00.102.03.09.31	1.02 (NP)	0.30	For payment of electricity, water charges, contribution to pensioners and CGHS, etc.
		6. Central Institute of Himalayan Culture Studies, Dahung 2205.00.102.03.15.31	0.33 (NP)	0.43	For meeting administrative expenses
		7. National Archives of India 2205.00.104.01.03.13	3.16 (NP)	1.00	For meeting committed expenditure for payment of electricity/water bills of New Delhi Municipal Council.
		2205.00.104.01.03.14	0.10 (NP)	1.20	For payment of rent, rates and taxes.
		2205.00.104.01.03.20	0.20 (NP)	0.05	For payment of salaries to Canteen Staff, etc.
		8. Delhi Public Library, Delhi 2205.00.105.02.01.31	1.80 (NP)	5.20	For payment of pension to pensioner, terminal benefits in death cases, CGHS, contribution, payment of rent & taxes, electricity, water bills, etc.
		9. Archaeological Survey of India 2205.00.106.01.03.14	1.00 (NP)	0.25	For payment of rent to land/house owners for hires accommodation.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
		10. सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ 2205.00.107.03.01.06	0.09(आयो.)	0.04	स्टाफ सदस्यों के परिवारों के गंभीर मामलों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु
		11. सलारजंग म्युजियम, हैदराबाद 2205.00.107.04.00.31	0.05(आयो.)	0.95	सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान हेतु
		12. विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कोलकाता 2205.00.107.05.00.31	0.80(आयो.)	0.90	कोलकाता नगर निगम को पानी और बिजली प्रभारों, किराया चुकौती आदि के भुगतान हेतु
		13. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल 2205.00.107.06.00.31	1.15(आयो.)	0.32	आकस्मिक व्यय, बिल्डिंग, इंडोर गैलरी और पेंशन के भुगतान के लिए
		14. नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय, नई दिल्ली 2205.00.107.08.00.31	1.70(आयो.)	2.00	आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु
		15. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.01.03.13	2.50 (यो.)	1.00	कार्यालय कांफ्लैक्स के बिजली बिलों के भुगतान हेतु
		2205.00.106.01.03.16	13.00 (यो.)	4.30	सरकारी प्रैस, नासिक को मुद्रण और विभिन्न टिकट वाले संरक्षित अनुस्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों आदि के लिए विशेष निर्मित आम प्रवेश टिकट की आपूर्ति के भुगतान हेतु
		2205.00.106.99.00.13	3.50 (यो.)	1.50	सात पुरातत्व स्थल संग्रहालयों पर जतन सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के कार्यान्वयन/लगाने, ई-उपस्थिति और अन्य आईटी मदों की खरीद के लिए
		2205.00.106.02.03.28	48.50 (यो.)	17.15	विभिन्न संरक्षित स्मारको/स्मारक स्थानों/संग्रहालयों आदि पर तैनात सीआईएसएफ, सशस्त्र पुलिस गार्ड, होम गार्ड/निजी सुरक्षा कार्मिकों के वेतनों के भुगतान के लिए।
		एम एच 3601			
		16. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3601.01.203.01.00.31	0.20(आयो.)	0.50	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारियों आदि को वेतन के भुगतान हेतु
		(यो.)- योजना	(आयो.)- आयोजना		

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		10. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow 2205.00.107.03.01.06	0.09 (NP)	0.04	For payment of pending medical bills of serious cases of the families of staff members.
		11. Salarjung Museum, Hyderabad 2205.00.107.04.00.31	0.05 (NP)	0.95	For payment of retirement benefits.
		12. Victoria Memorial Hall, Kolkata 2205.00.107.05.00.31	0.80 (NP)	0.90	For payment of Kolkata Municipal Corporation on account of water and electricity charges, rent payment, etc.
		13. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal 2205.00.107.06.00.31	1.15 (NP)	0.32	To meet contingency expenditure, building, indoor gallery and payment of pension.
		14. Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi 2205.00.107.08.00.31	1.70 (NP)	2.00	For payment of contingent expenditure.
		15. Archaeological Survey of India 2205.00.106.01.03.13	2.50 (P)	1.00	For payment of electricity bills of Office Complex.
		2205.00.106.01.03.16	13.00 (P)	4.30	For payment to GOI Press, Nasik towards printing and supply of specially designed common entry tickets for various ticketed protected monuments/sites/ museums, etc.
		2205.00.106.99.00.13	3.50 (P)	1.50	To implement/deploy the Jatan Software/hardware at seven Archaeological Site Museums, procurement of e-attendance and purchase of other IT items.
		2205.00.106.02.03.28	48.50 (P)	17.15	For payment of salaries to the CISF, Armed Police Guards, Home Guards/Private Security personnel deployed at various protected monuments/monumental sites/ museums, etc.
		MH 3601			
		16. Archaeological Survey of India 3601.01.203.01.00.31	0.20 (NP)	0.50	For payment of salaries to the Registering Officers and their supporting staff, etc. for implementation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972
		(P)- Plan	(NP)- Non-Plan		

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
2.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण	3601.01.104.09.00.31-सड़कों व सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान [(सहायता अनुदान (सामान्य))]	5665.00	290.90	2012-13 व 2013-14 के पूर्व वित्त वर्षों के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू व तेलंगाना राज्यों को प्रतिबद्ध निधियों जारी करने हेतु।
		3601.02.101.27.00.35-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना (पूँजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	50.00	0.88	सं.अ. 2014-15 के बाद अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों हेतु धन की जरूरत पूरी करने हेतु।
		3601.02.101.49.00.35-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (पूँजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	1180.00	1276.30	आन्ध्र प्रदेश राज्य में नई पूंजी में राजभवन, एसंबली आदि के निर्माण और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संसाधन अंतराल को पाटने हेतु अतिरिक्त निधियों की जरूरत पूरी करने हेतु।
		3601.02.101.49.00.35-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (पूँजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान)	1180.00	600.00	सं.अ. 2014-15 में अनुमानित रूप में नई पूंजी आदि के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य हेतु अतिरिक्त निधियों की जरूरत पूरी करने हेतु।
3.	भारी उद्योग विभाग	6858.60.190.19.00.55 हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. (एचएमटी) को ऋण	0.00	118.18	एचएमटी के कर्मचारियों के बकाया वेतन/ पारिश्रमिक व संविधिक देयों के लिए व्यय में बढ़ोत्तरी और वेतन में विभेदक के लिए ऋण और अग्रिम(1997 वेतन संशोधन)।
		2852.08.215.10.00.31 हिंदुस्तान पेपर कारपो. लिमि. (कचार पेपर मिल्स) को सामान्य सहायता अनुदान	70.00	198.56	एचपीसी की ईकाई, कचार पेपर मिल को परिवहन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त प्रचालन लागत पूरी करने हेतु व्यय में बढ़ोत्तरी के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202-आम शिक्षा (मुख्य शीर्ष) 01-प्राथमिक शिक्षा (उप मुख्य शीर्ष) 789-अनु. जाति हेतु विशेष घटक आयोजना (गौण शीर्ष) 03-विद्यालयों में मिड डे मील राष्ट्रीय कार्यक्रम (उप-शीर्ष) 03.01.31-सामान्य सहायता अनुदान	0.00	50.00	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की घूर्णन निधि में बढ़ोत्तरी हेतु।
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	अनुसंधान व विकास 3054 सड़क व सेतु (मुख्य शीर्ष) 80 सामान्य (उप शीर्ष) 80.004 अनुसंधान एवं विकास (उप शीर्ष) 01 राजमार्ग अनुसंधान 01.04 अन्य प्रशिक्षण संगोष्ठी 01.04.20 अन्य प्रशासनिक व्यय	1.00	2.00	शीर्ष के तहत एईई में नए आए लोगों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अतिरिक्त मांग व कुछ अन्य कार्यों के लिए प्राप्त बिलों के लिए अतिरिक्त मांग

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
2.	Transfers to State and Union Territory Governments	3601.01.104.09.00.31-Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges (Grants-in aid General)	5665.00	290.90	For release of committed funds to the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana pertaining to the previous financial years of 2012-13 & 2013-14.
		3601.02.101.27.00.35-National e-Government Action Plan (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	50.00	0.88	To meet requirement of funds for approved projects/proposals beyond RE 2014-15.
		3601.02.101.49.00.35-Other Additional Central Assistance (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	1180.00	1276.30	To meet requirement of additional funds towards Grants for construction of Raj Bhavan, Assembly etc. in new Capital of Andhra Pradesh and to bridge the resource gap, for the financial year 2014-15 in accordance with Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014.
		3601.02.101.49.00.35-Other Additional Central Assistance (Grants-in-aid for Creation of Capital Assets)	1180.00	600.00	To meet requirement of additional funds for the State of Andhra Pradesh for construction of new capital, etc. as estimated in RE 2014-15.
3.	Department of Heavy Industry	6858.60.190.19.00.55 Loans to Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)	0.00	118.18	Loans & Advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages & statutory dues to the employees of HMT and for towards differential in salary (1997 pay revision).
		2852.08.215.10.00.31 Grants-in-Aid General to Hindustan Paper Corporation Ltd. (Cachar Paper Mills)	70.00	198.56	Grants-in-Aid General to augment the expenditure for meeting additional operational cost on account of transport subsidy to Cachar Paper Mills, a unit of HPC.
4.	Ministry of Human Resource Development. Department of School Education & Literacy	2202-General Education (Major Head) 01-Elementary Education (Sub Major Head) 789-Special Component Plan for Scheduled Caste (Minor Head) 03-National Programme of Mid Day Meals in Schools (Sub-Head) 03.01.31-Grants-in-aid General	0.00	50.00	For augmenting the revolving funds of Food Corporation of India (FCI).
5.	Ministry of Road Transport and Highways	Research and Development 3054 Roads & Bridges (Major Head) 80 General (Sub MH) 80.004 Research and Development (Minor Head) 01 Highways Research 01.04 Other Training Seminar 01.04.20 Other Administrative Expenses	1.00	2.00	Additional demand for training programmes for newly joined AEE and bills received for some other work under the head.

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
	3602 संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)				
	02 संघ राज्य क्षेत्र आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप शीर्ष)				
	02.105 केंद्रीय सड़क निधि से अनुदान (गौण शीर्ष)				
	02 पांडिचेरी में सड़क				
	02.00.35 पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	4.23	11.21		पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र हेतु स्वीकृत अतिरिक्त निर्माण कार्य
	3601 राज्य सरकार को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)				
	03 केंद्रीय आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप मु. शीर्ष)				
	03.821 कार्य नीतिक और सीमा सड़क - सड़क कार्य (गौण शीर्ष)				
	02 बीआरडीबी के तहत सड़क निर्माण कार्य				
	02.00.35 पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान	50.00	5.00		स्कीम के तहत लिखित बिलों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधि अपेक्षित है।
	कुल	55.23	18.21		
	घटाएं वसूलियां				
	3602 संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान (मुख्य शीर्ष)				
	02 संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान (उप शीर्ष)				
	02.903 घटाएं केंद्रीय सड़क निधि से राशि (गौण शीर्ष)				
	01 संघ राज्य क्षेत्रों से सड़कों हेतु अनुदान				
	01.00.70 घटाएं वसूलियां		11.21		
6. पोत परिवहन मंत्रालय	3051 बंदरगाह और प्रकाश गृह (मुख्य शीर्ष)				
	03 प्रकाश गृह और प्रकाशपोत (उप-मुख्य शीर्ष)				
	03.101 प्रकाश गृह - कार्यशील खर्च (गौण शीर्ष)				
	01 प्रबंधन				
	01.00.13 कार्यालय व्यय	25.00	4.00		विलंब शुल्क से बचने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों को स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान
	3051 (योजना)				
	बंदरगाह और प्रकाश गृह (मुख्य शीर्ष)				
	02 गौण बंदरगाह (उप मुख्य शीर्ष)				
	02.001 दिशा व प्रशासक (गौण शीर्ष)				
	01 पोर्टब्लेयर और नई दिल्ली में सीई-सह-प्रशासक कार्यालय के संबंध में स्थापना प्रभार				
	01.00.01 आयोजना वेतन	6.50	0.47		अधिक कर्मचारियों द्वारा आशा से अधिक एफएसपी/एलटीसी लेने के लिए
	3051 (आयोजना-भिन्न)				
	बंदरगाह और प्रकाश गृह (मुख्य शीर्ष)				
	02 गौण बंदरगाह (उप मुख्य शीर्ष)				
	02.001 दिशा व प्रशासक (गौण शीर्ष)				

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		3602 Grant in aid to UT Govts. (Major Head)			
		02 Grants for UT Plan Schemes (Sub MH)			
		02.105 Grants from Central Road Fund (Minor Head)			
		02 Roads in Puducherry			
		02.00.35 Grants for creation of Capital Assets	4.23	11.21	Additional works sanctioned for UT of Puducherry.
		3601 Grants in aid to State Govt. (Major Head)			
		03 Grant for Central Plan Schemes (Sub MH)			
		03.821 Strategic & Border Roads - Road Works (Minor Head)			
		02 Road Works under BRDB			
		02.00.35 Grants for creation of Capital Assets	50.00	5.00	Additional fund required to clear the pending bills under the Scheme.
		Total	55.23	18.21	
		Deduct Recoveries			
		3602 Grant in aid to UT Govts. (Major Head)			
		02 Grants for UT Plan Schemes (Sub MH)			
		02.903 Deduct Amount met from Central Road Fund (Minor Head)			
		01 Grants for Roads in UTs			
		01.00.70 Deduct Recoveries		11.21	
6. Ministry of Shipping		3051 Ports and Light Houses (Major Head)			
		03 Light Houses and Light Ships (Sub-Major Head)			
		03.101 Light Houses-Working expenses (Minor Head)			
		01 Management			
		01.00.13 Office Expenses	25.00	4.0	Payment of spectrum charges to Ministry of IT to avoid late fee.
		3051 (Plan)			
		Ports and Light Houses (Major Head)			
		02 Minor Ports (Sub Major Head)			
		02.001 Direction & Administration (Minor Head)			
		01 Establishment Charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair & New Delhi			
		01.00.01 Plan Salaries	6.50	0.47	For availing of FSP/LTC by more employees than expected.
		3051 (Non-Plan)			
		Ports and Light Houses (Major Head)			
		02 Minor Ports (Sub Major Head)			
		02.001 Direction & Administration (Minor Head)			

		(करोड़ रुपये)			
1	2	3	4	5	6
		01 पोर्टब्लेयर और नई दिल्ली में सीई-सह-प्रशासक कार्यालय के संबंध में स्थापना प्रभार			अधिक कर्मचारियों द्वारा आशा से अधिक एफएसपी/एलटीसी लेने के लिए
		01.00.01 गैर आयोजना वेतन	15.40	0.20	
		3451 सचिवालय आर्थिक सेवा (मुख्य शीर्ष)			
		00.090 सचिवालय (गौण शीर्ष)			
		58 जहाजरानी मंत्रालय			लंबित मुद्रण बिलों के कारण खर्च पूरा करने के लिए
		58.01.16 प्रकाशन	0.15	0.05	
		2852 उद्योग (मुख्य शीर्ष)			
		16 ई-शासन (उप मुख्य शीर्ष)			
		16.99 सूचना प्रौद्योगिकी (गौण शीर्ष)			मंत्रालय व संगठनों में कांफ्रेंस नेटवर्किंग लगाने हेतु एमआईसीएसआई को भुगतान के लिए।
		16.99.50 अन्य प्रभार	0.50	0.49	
7. महिला और बाल विकास मंत्रालय		2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण(मुख्य शीर्ष)			
		02-सामाजिक कल्याण			
		102-बाल कल्याण			
		41-बेटी बचाओ			
		बेटी पढ़ाओ अभियान			कोष का नए सृजित शीर्ष में पुनर्विनियोजन किया गया।
		41.00.20-अन्य प्रशासनिक खर्च	0.00	26.00	
		3601-राज्य सरकारों की अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष)			
		03-केन्द्र नियोजित स्कीमों के लिए अनुदान			
		358-सामाजिक कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष)			
		02-बेटी बचाओ			
		बेटी पढ़ाओ आंदोलन			
		02.00.31-सामान्य अनुदान सहायता	0.00	13.24	
		जोड़	0.00	39.24	
		3601-राज्य सरकारों की अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष)			
		02-राज्य नियोजित स्कीमों के लिए अनुदान			स्कीम (आईसीपीएस) के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कोष हेतु कोष का पुनःविनियोजन किया गया ।
		358-सामाजिक कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष)			
		01-एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आईसीपीएस)			
		01.00.31-सामान्य अनुदान सहायता (योजना)	261.22	49.50	
		3602-संघ शासित सरकारों के लिए अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष)			
		02-संघ राज्य क्षेत्र की आयोजित स्कीमों के लिए अनुदान			
		358-समाज कल्याण-बाल कल्याण(लघु शीर्ष)			

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		01 Establishment Charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair & New Delhi			
		01.00.01 Non-Plan Salaries	15.40	0.20	For availing of FSP/LTC by more employees than expected.
		3451 Secretariat Economic Service (Major Head)			
		00.090 Secretariat (Minor Head)			
		58 Ministry of Shipping			
		58.01.16 Publication	0.15	0.05	To meet the expenses on account of pending printing bills.
		2852 Industries (Major Head)			
		16 E-Governance (Sub Major Head)			
		16.99 Information Technology (Minor Head)			
		16.99.50 Other Charges	0.50	0.49	For payment to NICSII for installation of Video Conferencing Network in Ministry and organizations.
7.	Ministry of Women and Child Development	2235-Social Security & Welfare (Major Head)			
		02-Social Welfare			
		102-Child Welfare			
		41-Beti Bachao Beti Padhao Campaign			
		41.00.20-Other Administrative Expenses	0.00	26.00	Funds were re-appropriated in newly created heads.
		3601-Grants-in aid to State Government (Major Head)			
		03-Grants for Central Plan Schemes			
		358-Social Welfare Child Welfare (Minor Head)			
		02-Beti Bachao Beti Padhao Campaign			
		02.00.31-Grants-in aid General	0.00	13.24	
		Total	0.00	39.24	
		3601-Grants-in aid to State Government (Major Head)			
		02-Grants for Central Plan Schemes			Funds were re-appropriated for the additional funds required for States/UTs under the scheme (ICPS).
		358-Social Welfare Child Welfare (Minor Head)			
		01-Integrated Child Protection Scheme (ICPS)			
		01.00.31-Grants-in-aid General (Plan)	261.22	49.50	
		3602-Grants-in-aid to Union Territory Government (Major Head)			
		02-Grants for Union Territory Plan Schemes			
		358-Social Welfare Child Welfare (Minor Head)			

(करोड़ रुपये)					
1	2	3	4	5	6
		01-एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम (आईसीपीएस) 01.01-सामान्य सेवाएं 01.01.31-सामान्य (नियोजित) सहायता अनुदान (ब.अ.: रुपए 400.00 करोड़)	15.19	0.50	
		कुल	276.41	50.00	
		2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण(मुख्य शीर्ष) 02-सामाजिक कल्याण 02.798-अन्तरराष्ट्रीय सहयोग 01-यूनिसेफ को अंशदान 01.00.32-अंशदान (गैर नियोजित) (ब.अ.: रुपए 3.80 करोड़)	3.80	1.80	फंड को यूनिसेफ से अंशदान के लिए विनियोग किया गया जो भारत सरकार द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता है।
		2251-सचिवालय-समाज सेवाएं(मुख्य शीर्ष) 00-उप शीर्ष 090-सचिवालय(लघु शीर्ष) 13-महिला और बाल विकास मंत्रालय 01-स्थापना 13.01.14-किराया दर और कर योजना-मिन्न (ब.अ.: रुपए 0.45 करोड़)	0.45	5.47	मंत्रालय के दखल वाले स्थान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के भुगतान के लिए किराया दरों और करों के अन्तर्गत निधियों को पुर्नविनियोजित किया गया था।

(Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		01-Integrated Child Protection Scheme (ICPS)			
		01.01-General Component			
		01.01.31-Grants-in-aid General (Plan)			
		(BE: Rs.400.00 crore)	15.19	0.50	
		Total	276.41	50.00	
		2235-Social Security & Welfare (Major Head)	3.80	1.80	The funds were re-appropriated to Contribution to UNICEF which is a international commitment announced by the Government of India.
		02-Social Welfare			
		02.798-International Cooperation			
		01-Contribution to UNICEF			
		01.00.32-Contributions (Non Plan)			
		(B.E: Rs. 3.80 crore)			
		2251-Secretariat-Social Services (Major Head)	0.45	5.47	The funds were re-appropriated under Rent Rates and Taxes for payment of rent to LIC for the space occupied by the Ministry.
		00-Sub Major Head			
		090-Secretariat (Minor Head)			
		13-Ministry of Women and Child Development			
		01-Establishment			
		13.01.14-Rent Rates and Taxes (Non-Plan)			
		(BE: Rs.0.45 crore)			